[2021] 14 एस. सी. आर 104

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

बनाम

PEARL BEVERAGES LTD.

(सिविल अपील सं। 2021 का 1526)

12 अप्रैल, 2021

[उदय उमेश ललित, इंदिरा बनर्जी और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस। 185 – शराब पीकर गाड़ी चलाने का बीमा अनुबंध-बीमाकर्ता की देयता-बहिष्करण खंड

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - s.185-प्रत्यर्थी-अपीलार्थी के साथ बीमा की गई कंपनी की कार (पोर्श) दुर्घटना का शिकार हो गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी राज्य आयोग के दावे को खारिज कर दिया।

प्रतिवादी-एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपास्त किया गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:

30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली से अधिक अल्कोहल की उपस्थिति। एक बीमाकर्ता को सफलतापूर्वक इस खंड को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए रक्त की आवश्यकता एक अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है-जो साबित करने की आवश्यकता है वह शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना है-नशे में गाड़ी चलाना, एक

आपराधिक अपराध, यू / s.185 अल्कोहल-रक्त स्तर के अपने वस्तुनिष्ठ मानदंड के साथ, यह साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है कि व्यक्ति शराब के प्रभाव में था-यदि श्वास विश्लेषक या कोई

अन्य परीक्षण नहीं किया जाता है, बीमाकर्ता को अपने मामले को अन्यथा साबित करने से रोका नहीं जा सकता है-जहां कोई वैज्ञानिक सामग्री नहीं है, उपलब्ध परीक्षण परिणामों के रूप में, जैसा कि वर्तमान मामले में है, बीमाकर्ता बहिष्करण के लिए मामला स्थापित करने से अक्षम नहीं है-NCDRC

आवश्यकता यू/एस को संयोजित करने में त्रुटि थी। 185 इसके साथ

बीमा। उपभोक्ता संरक्षण-बीमा का बीमा अनुबंध 'अपना नुकसान'-चालक के शराब के प्रभाव में होने के आधार पर बीमाकर्ता को निकालने का खंड-विपरीत मॉडल

104 इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड।

- आयोजित किया गया: एक मॉडल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी मामलों द्वारा किया जाता है जहां केवल यह आवश्यक है कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी स्तर पर शराब हो-इस मॉडल के तहत, इसे उसके आचरण को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है-दूसरे मॉडल के तहत बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति

गाड़ी शराब के नशे में धुत थी।

बीमा अनुबंध-शराब पीकर गाड़ी चलाना

-

बीमाकर्ता की देयता को बाहर रखा गया-बहिष्करण खंड के तहत

मादक शराब का प्रभाव "-की व्याख्या-आयोजित: किसी भी छोटी मात्रा में केवल शराब की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी।

-

न्यायालय अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकता है और यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता है कि केवल शराब की उपस्थिति, थोड़ी सी भी मात्रा में, बीमाकर्ता के दायित्व को बाहर करने के लिए पर्याप्त है-इसके लिए कुछ और आवश्यकता है, अर्थात्, वाहन का चालक दुर्घटना के समय मादक शराब के प्रभाव में था।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - s.185-रक्त शराब

एकाग्रता (बी. ए. सी.)-अनुमेय स्तर; चर चर्चा से सहसंबद्ध।

साक्षय अधिनियम, 1872 - s.106-विशेष रूप से तथ्य

व्यक्ति का ज्ञान सबूत का बोझ-नशे में गाड़ी चलाना-कार

दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त-प्रतिवादी के अनुसार-बीमित चालक ने किसी भी शराब का सेवन नहीं किया था-अगले ही वाक्य में, यह अनुरोध किया गया था कि यह मानते हुए कि उसने शराब का सेवन किया था, क्योंकि वह नशे में नहीं था, बहिष्करण खंड आकर्षित नहीं है-आयोजित: चालक ने यह बयान नहीं दिया कि उसने मादक शराब का सेवन नहीं किया था-उसने केवल इतना कहा कि वह न तो नशे के प्रभाव में था।

दुर्घटना के समय मादक शराब या नशीली दवाएं-कार थी

शराब पीने के बाद चालक द्वारा चलाया जाना-ऐसे मामले में शराब की प्रकृति क्या थी और शराब की मात्रा क्या थी, और उसने कहाँ सेवन किया था,

निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्य होंगे जिसने शराब का सेवन किया है-इस प्रकार, बीमाकर्ता के लिए तथ्यों में यह साबित करना "असमान रूप से कठिन" होगा कि क्या चालक ने खाली पेट शराब का सेवन किया है या उसने भोजन किया है और फिर शराब का सेवन किया है या पेय की मात्रा और गुणवत्ता (शराब की मात्रा) क्या थी, इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियाँ कि क्या उसने शराब के प्रभाव में वाहन चलाया है, भले ही यह धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर लागू न हो, सिद्धांत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू हो सकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम, 1988। 185 - सड़क यातायात अधिनियम, 1988। 3 ए, 4,5,6 बी-चर्चा के बीच तुलना।

सिद्धांत/सिद्धांत-नशे में गाड़ी चलाने की प्रयोज्यता-राज्य आयोग ने नियम के सिद्धांत को लागू किया

लापरवाही-रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत, इस तरह, अनुचित प्रतीत होता है, जब, जो सवाल है, वह यह है कि क्या चालक शराब के प्रभाव में था-हालांकि इस तरह का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जिस तरह से दुर्घटना हुई है वह अन्य के साथ हो सकती है। परिस्थितियाँ चालक के शराब के प्रभाव में होने की ओर इशारा करती हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - s.185-मोटर वाहन अधिनियम, 1939 - s.117-के बीच अंतर-चर्चा की गई।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-जांच का दायरा-आयोजित: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले में, जो एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जांच के दायरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-एक उपभोक्ता, अधिनियम के तहत, केवल सेवा की सिद्ध कमी के आधार पर सफल हो सकता है, जो केवल अनुबंध की शर्तों और उसके आसपास के कानून के संदर्भ में उत्पन्न होगा-यदि कमी स्थापित नहीं होती है, तो अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को विफल होना चाहिए।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. 185 , 203 , 204 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-आयोजित: एस की आवश्यकता। 185 आपराधिक अपराध के संदर्भ में है-यदि यू/एस के तहत कोई दोषसिद्धि है। 185 , यह बीमाकर्ता को बहिष्करण खंड को सफलतापूर्वक लागू करने में मजबूत करेगा -

हालाँकि, यदि अभियोजन पक्ष ने यू/मामला दर्ज नहीं किया है s.185, इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक कार्रवाई में एक सक्षम मंच की कमी का आरोप लगा रहा है

शराब से। सड़क यातायात अधिनियम, 1988-एस. 3ए, 4,5,6 बी-क्षति परीक्षण-चर्चा-मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - s.185।

बीमा-नशे में गाड़ी चलाना-बहिष्करण खंड-बीमाकर्ता की व्यवहार्यता को बाहर रखा गया है-पकड़: बीमाकर्ता के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि तीव्र शराब का नशा था या वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया गया था जो एक दीर्घकालिक शराबी था-बस यह दिखाना आवश्यक है कि वाहन चलाते समय, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, चालक शराब के प्रभाव में था-शराब के बारे में वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की गई-मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस। 185 , 203 , 204 .

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. PEARL BEVERAGES LTD.

शब्द और वाक्यांश-"शराब के प्रभाव में" अंग्रेजी न्यायालयों/स्कॉटिश न्यायालय की बीमा व्याख्या का अनुबंध और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णय-पर चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1. स्कॉटलैंड से एक मामला

वर्तमान मामले में, कोई सबूत या तो रिकॉर्डिंग नहीं है

उसके द्वारा। वास्तव में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चालक ने कब शराब का सेवन किया था। जबकि इस पर निर्दिष्ट निर्णय में न्यायालय के समक्ष मामले में प्रस्तुत साक्षय, उस समय के बारे में साक्षय था जब शराब का सेवन किया गया था। इसके अलावा चालक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि दुर्घटना कैसे हुई जब इस अदालत के समक्ष कोई मामला नहीं है। जहाँ तक न्यायालय के अध्यक्ष द्वारा यह दृष्टिकोण लिया गया है कि विचारण न्यायाधीश इस तथ्य पर भरोसा करने का हकदार नहीं था कि प्रतिवादी ने खाली पेट लेगर पिया था, यह न्यायालय इसका समर्थन करने में असमर्थ है। यह इस कारण से है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि जब कोई एक पर पीता है

खाली पेट, सिस्टम में अल्कोहल का अधिक और तेजी से निवेश होता है जिससे रक्त अल्कोहल एकाग्रता में वृद्धि होती है

(बीएसी) स्तर। यही कारण है कि जब खाली पेट शराब का सेवन किया जाता है, तो शराब बिना किसी रुकावट के पेट से छोटी आंत में चली जाती है, जहाँ से शराब का 80 प्रतिशत अवशोषण होता है। इसलिए, यह वास्तव में न्यायालय के आकलन और निष्कर्ष में एक भूमिका निभाता है, जो शराब के सेवन के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए अन्य परिस्थितियों को देखते हुए कि क्या शराब ने दुर्घटना की घटना में योगदान दिया है। यह भी ध्यान में रखना अप्रासंगिक नहीं है कि एक व्यक्ति

जो शराब सहिष्णु है जिसका अर्थ है कि शराब के सेवन के आदी होने के कारण, विशेष रूप से मस्तिष्क शराब के सेवन को बनाए रखने और इसके प्रभाव से निपटने में सक्षम है, जबकि जब कोई नौसिखिया या नौसिखिया शराब का सेवन करता है, तो इसके परिणाम अलग होंगे। [पैरा 27,30] [150-डी-एफ;

151 - बी-ई]

केनेडी बनाम। स्मिथ 1975 एस. सी. 266; (1975) 6 डब्ल्यू. एल. यू. के 97

संदर्भित किया गया।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति

इसलिए, अंग्रेजी न्यायालयों/स्कॉटिश न्यायालय दोनों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का विश्लेषण और संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायालय को निम्नलिखित रूप में आयोजित करने के लिए राजी करेगा:

बीमाकर्ता के दायित्व से बहिष्करण बीमा की सटीक शर्तों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामला है

किसी तीसरे पक्ष के दावे से निपटें नहीं। मोटर वाहन अधिनियम के तत्वावधान में, न्यायालय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के असंशोधित प्रावधानों में धारा 149 (2) के प्रावधानों से अनजान नहीं है, जो संशोधन के बाद वर्तमान अवतार की धारा 150 में बीमाकर्ता को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध बचाव के संबंध में दर्ज हैं। न्यायालय स्वयं के नुकसान के मामले और उस खंड पर विचार कर रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ चालक के शराब के प्रभाव में होने के आधार पर बीमाकर्ता को बाहर निकालता है। इसके दो प्रकार हैं। मॉडल में से एक को अमेरिकी मामलों द्वारा दर्शाया जाता है जहां केवल यह आवश्यक है कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी स्तर पर शराब हो। उक्त मॉडल के तहत, उसके आचरण को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त मॉडल के तहत, यह आवश्यक नहीं है

बीमाकर्ता को यह दिखाने के लिए कि संबंधित व्यक्ति नशे में था या नशे की शराब के प्रभाव में था। दूसरा मॉडल जो मामले के तथ्यों में लागू होता है, अर्थात। , बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति के प्रभाव में था

शराब। मॉडलों के बीच का अंतर स्पष्ट और बोधगम्य है। जहाँ तक न्यायालय की प्रकृति के बहिष्करण का संबंध है, जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने की आवश्यकता होती है

मादक शराब के प्रभाव से, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल किसी भी छोटी मात्रा में शराब की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी। यही कारण है कि अदालत अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती है और यह

मान सकती है कि केवल शराब की उपस्थिति, थोड़ी सी भी मात्रा में, बीमाकर्ता के दायित्व को बाहर करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए कुछ और की आवश्यकता होती है, अर्थात्, वाहन का चालक दुर्घटना के समय मादक शराब के प्रभाव में काम कर रहा था। अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय घर के करीब हैं और कानून के निर्धारण में सहायता करते हैं। यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में शराब के सेवन से दुर्घटना नहीं हुई थी, जो निस्संदेह दुर्घटना को इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भीतर लाएगी।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड।

खंड की शरारत लेकिन कम से कम एक बोधगम्य में योगदान दिया दुर्घटना के कारण का रास्ता। [पारस 35,36] [154-ई-एच; 155-ए-ई]

वेब वी। इंपीरियल लाइफ इंस। कं. [इंक. 216 एन. सी. 10 (1939)]; हेल्टस्ले बनाम। लाइफ एंड कैजुअल्टी इन्स। कं. [299 क्यू. 396

(1945)] ; मानक जीवन और ए. सी. इंस. को. वी. जोन्स 94 अला।

434 संदर्भित किया गया। —

3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 को निरस्त कर दिया। उक्त के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

कार्रवाई भी करें। धारा 117 को महत्वपूर्ण अंतरों के साथ वर्तमान अधिनियम की धारा 185 के अनुरूप प्रावधान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रावधान को 1977 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उपरोक्त धारा 117 के रूप में इसके प्रतिस्थापन के बाद कानून निर्माता ने नशे में गाड़ी चलाने के संबंध में एक सख्त प्रतिबंध की शुरुआत की। वास्तव में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 को 1994 के अधिनियम 54 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले, धारा 185 को मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 117 के रूप में समान रूप से लिखा गया था, जैसा कि 1977 में प्रतिस्थापित किया गया था। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय का निर्णय बचूभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम में दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 117 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा निर्भर महाराष्ट्र राज्य का उदय हुआ, जिसके लिए न केवल यह आवश्यक था कि वह व्यक्ति

मात्रा कितनी भी कम क्यों न हो। यह वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त बीमा अनुबंधों के खंडों के समान था। यह रक्त में अल्कोहल की सबसे कम मात्रा की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। जहां तक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 का संबंध है, अपराध तब किया जाता है जब 100

मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम शराब की एक निर्दिष्ट मात्रा पाई जाती है। खून से। इस संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में कानून मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप और इस मुद्दे से निपटने वाले क़ानून की व्याख्या करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक प्रारंभिक निर्णय को भी लाभप्रद रूप से संदर्भित किया जा सकता है। [पारस 41-43] [159-D-E, G-H; 160-D-H] [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बचूभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(1971) 3 एस. सी. सी. 930 को संदर्भित किया गया।

4.1 शराब के प्रभाव में रहने के लिए, तथ्यों पर जाने वाले एक प्रश्न के रूप में समझा जाना चाहिए और एक मामले के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए

विशेष चालक पर शराब के सेवन के प्रभाव का संदर्भ। फिर भी एक और उदाहरण एक परेशान करने वाले मुद्दे पर प्रकाश डालेगा। एक व्यक्ति, जो खाली पेट पीता है, उसके पास आवश्यक रूप से शराब की उपस्थिति की तेज दर होगी। रक्त में, और परिणामस्वरूप, मस्तिष्क में। दूसरी ओर, एक व्यक्ति, जिसने शराब के साथ भोजन किया है, बाद में शराब का प्रभाव प्रकट कर सकता है। यदि किसी मामले में, बिना किसी रक्त परीक्षण के, शराब के सेवन के प्रभावों से जुड़ी परिस्थितियाँ साबित होती हैं, तो यह निश्चित रूप से दिखा सकता है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति शराब के प्रभाव में आ गया था। जिस तरीके से वाहन चलाया गया था, वह फिर से हो सकता है, अगर यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति के प्रभाव में होने की ओर इशारा करता है

शराब की, गिनती की जाए। सबूत, यदि आने वाला है, एक अस्थिर चाल, शराब की गंध, आंखों में भीड़ होने के अलावा, शराब के वास्तविक सेवन से पहले, या तो

गाड़ी चलाना शुरू करना या गाड़ी चलाने की प्रक्रिया के दौरान भी गाड़ी चलाना, दुर्घटना के तरीके के साथ, चालक के शराब के प्रभाव में होने की ओर इशारा कर सकता है। यह.

अभिवचनों और साक्षय के प्रभाव के आधार पर एक निष्कर्ष होगा। [पारस 50,51] [166-सी-डी; 167-ए-सी]

मैर (एडमिनिस्ट्रेटर) v. रेलवे यात्रियों का आश्वासन

कं. लिमिटेड। 1877 37 एल. टी. 356 डी. सी.-संदर्भित।

मोदी का चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान

संदर्भित किया गया।

4.2 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 एक आपराधिक अपराध बनाती है। धारा 185 का संक्षिप्त शीर्षक निस्संदेह घोषणा करता है कि

इसका उद्देश्य नशे में धुत व्यक्ति या नशीली दवाओं के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना है। जहां तक नशे में धुत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने का संबंध है, यह अपराध एक वस्तुनिष्ठ मानक के उल्लंघन के इर्द-गिर्द बनाया गया था। , चालक में 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली से अधिक शराब की उपस्थिति। श्वास परीक्षण में रक्त का पता चला विश्लेषक। यह खंड इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उद्देश्य को साबित करने का आदेश देता है।

वी. PEARL BEVERAGES LTD.

30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली से अधिक अल्कोहल की उपस्थिति का मानदंड। से श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण में रक्त। यहीं पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 203 लागू होती है। यह पुलिस को सशक्त बनाता है।

यदि पुलिस अधिकारी या मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के पास चालक पर संदेह करने का उचित कारण है, तो अधिकारी को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने या चलाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति से सांस की जांच के लिए सांस का एक या अधिक नमूना प्रदान करने की आवश्यकता है।

धारा 185 के तहत अपराध किया। धारा 203 (2) उस स्थिति से संबंधित है जहां वाहन सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना में शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में, वर्दी में एक पुलिस अधिकारी को दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रक्त में शराब होने का संदेह करने के लिए किसी भी उचित कारण का मनोरंजन करने पर, वह व्यक्ति से श्वास परीक्षण में अपनी सांस का नमूना प्रदान करने की आवश्यकता कर सकता है। धारा 203 (6) घोषणा करती है कि धारा 203 के तहत किए गए श्वास परीक्षण का परिणाम साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। धारा 203

यदि परीक्षण श्वास परीक्षण में शराब की उपस्थिति का संकेत देता है, तो वारंट के बिना गिरफ्तारी पर विचार किया जाता है। धारा 204 उस व्यक्ति का अनुसरण करती है जिसे धारा 203 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसे धारा 203 के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसे ऐसे चिकित्सा व्यवसायी को अपने रक्त का एक नमूना प्रदान करना है जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रयोगशाला परीक्षण, यदि या तो पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि श्वास परीक्षण से ऐसे व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति का पता चलता है या ऐसे व्यक्ति को जब श्वास परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, तो उसने इनकार कर दिया है, छोड़ दिया है या ऐसा करने में विफल रहा है। प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम को भी स्वीकार्य बनाया जाता है। धारा 185 मोटर वाहन चलाने या चलाने का प्रयास करने से संबंधित है-एक व्यक्ति जिसके रक्त में 30 मिलीग्राम प्रति 100

मिली से अधिक शराब है जो श्वास विश्लेषक के परीक्षण में पाया जाता है। एक आपराधिक अपराध होने के कारण, यह निर्विवाद है कि अपराध के घटक होने चाहिए

कानून द्वारा विचार किए जाने के रूप में स्थापित किया गया जिसका अर्थ है कि मामले को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और साक्षय को 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब के स्तर को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए और इससे अधिक ऐसी उपस्थिति एक श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए। 01.09.2019 के प्रभाव से, धारा 185 में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए हैं, अर्थात "या प्रयोगशाला परीक्षण सहित किसी अन्य परीक्षण में"। [पारस 52,53] [167-सी-एच; 168-ए-ई] [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.3 बीमा अनुबंध, वर्तमान मामले में, एक है

स्वयं के नुकसान से निपटने के लिए बीमा का व्यापक अनुबंध और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तीसरा पक्ष भी है। हालाँकि, इस मामले में जो शामिल है, वह खंड (ए) के तहत बीमाकर्ता के साथ कथित देयता है, जो 'स्वयं के नुकसान' से संबंधित है। इस मामले में शामिल दावे के संबंध में, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अन्यथा अपीलार्थी को यह मामला स्थापित करने से वंचित कर दे कि अपवर्जन खंड प्रत्यर्थी को सफल होने से वंचित कर देगा। यह शराब के प्रभाव में वाहन चलाने का मामला है या नहीं, यह पूरी तरह से अलग मामला है। धारा 185 की आवश्यकता एक आपराधिक अपराध के संदर्भ में है। हालांकि यह सच हो सकता है कि यदि धारा 185 के तहत कोई दोषसिद्धि होती है, तो यह होगा:

निस्संदेह, बहिष्करण खंड 2 (सी) को सफलतापूर्वक लागू करने में बीमाकर्ता को मजबूत करें, क्या इसका उल्टा भी सच है? यदि अभियोजन पक्ष ने धारा 185 के तहत मामला दर्ज नहीं किया है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सेवा की कमी का आरोप लगाने वाली कार्रवाई में एक सक्षम मंच,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह पता लगाने से अक्षम है कि वाहन शराब के प्रभाव में व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली से अधिक अल्कोहल की उपस्थिति। बीमाकर्ता को सक्षम बनाने के लिए रक्त की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है

खंड को सफलतापूर्वक लागू करें। यह साबित करने की आवश्यकता है कि शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना है। नशे में धुत गाड़ी चलाना, धारा 185 के तहत एक आपराधिक अपराध, इसके साथ

शराब का वस्तुनिष्ठ मानदंड-रक्त स्तर, यह साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है कि व्यक्ति शराब के प्रभाव में था। अगर

श्वास विश्लेषक या कोई अन्य परीक्षण किसी भी कारण से नहीं किया जाता है, बीमाकर्ता को अन्यथा अपना मामला साबित करने से रोका नहीं जा सकता है। इस मामले में न्यायालय पक्षकारों के बीच अनुबंध में शब्दों का निर्माण कर रहा है। प्रत्यर्थी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलार्थी के दायित्व को बाहर करने के अनुबंध की शर्तें किसी भी तरह से अवैध हैं। बिना किसी कठिनाई के ऐसी परिस्थिति की कल्पना की जा सकती है जिसमें यह प्रस्ताव कि यदि बीमाकर्ता धारा 185 बी. ए. एल. (रक्त विश्लेषक परीक्षण) के संदर्भ में एक मामला स्थापित करने में विफल रहता है, तो यह विफल हो जाएगा, उचित नहीं भी हो सकता है।

मुद्दे पर दृष्टिकोण। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि दुर्घटना चालक के शराब के प्रभाव में होने के कारण हो सकती है और न तो श्वास परीक्षण और न ही प्रयोगशाला परीक्षण किया। दुर्घटना के बाद चालक भाग सकता है।

एक परीक्षण कभी भी इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नहीं हो सकता है। वी. PEARL BEVERAGES LTD.

प्रदर्शन किया जाता है। हालाँकि, ऐसे सबूत उपलब्ध हो सकते हैं जो इंगित कर सकते हैं कि दुर्घटना के समय वाहन को शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। यह तब नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि कोई परीक्षण नहीं है यदि ऐसा किया जाता है, तो बीमाकर्ता एक ऐसा मामला स्थापित करने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा जो अनुबंध के तहत उसके अधिकारों के भीतर है।

[पारस 56-58] [170-D-H; 171-A-D]

5. एल्कोहल के बारे में कुछ वैज्ञानिक पहलू बीमाकर्ता के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि

तीव्र शराब का नशा था और समान रूप से, यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया गया था जो एक दीर्घकालिक शराबी था। बस इतना दिखाना आवश्यक है कि वाहन चलाते समय, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, चालक शराब के नशे में था। रक्त अल्कोहल एकाग्रता या बी. ए. सी., इस प्रकार, किसी व्यक्ति के रक्त में अल्कोहल की सांद्रता है। भारत में, अनुमेय बी. ए. सी. स्तर 100 मिली में 30 मिलीग्राम अल्कोहल निर्धारित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 में रक्त का उपयोग। यह रक्त में शराब के 0.13 प्रतिशत के बराबर है, जिसके अलावा, धारा 185 के तहत गाड़ी चलाना या गाड़ी चलाने का प्रयास करना अपराध है।

घोषित कर दिया। बी. ए. सी. कई चरों से सहसंबद्ध है। यह लिंग और शरीर के वजन से प्रभावित होता है। नर में पानी की मात्रा अधिक होती है। एक महिला की तुलना में। समान मात्रा में पीने पर, बाद वाला पहले वाले की तुलना में अधिक बी. ए. सी. बनाता है। बी. ए. सी. भी स्पष्ट रूप से प्रभावित है कि क्या

व्यक्ति ने खाली पेट पिया या नहीं। यकृत आमतौर पर एक घंटे में एक पेय की दर से एक मानक पेय का चयापचय करता है। जिस आवृत्ति पर पेय लिया जाता है, वह बी. ए. सी. स्तर को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि जीन भी अपनी भूमिका निभाते हैं। [पैरा 60,61]

[173 - एच; 174-ए-बी, ई-जी]

मोदीज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, 26 वीं

उल्लेख किया गया संस्करण।

6.1 अन्वेषक की रिपोर्ट और सबूत के बोझ से संबंधित प्रश्न रिपोर्ट इंगित करती है कि अन्वेषक को अपीलार्थी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि वह 22.12.2007 पर दुर्घटना स्थल पर गया था। 05 ए. एम. के समय के संदर्भ पर [2021] 14 एस. सी. आर. में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके बाद, वह एक सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार देखी, जो जल रही थी। एकमात्र भाग जो जाँचकर्ता की रिपोर्ट को बनाता है, उसकी टिप्पणियाँ हैं। इस प्रकार, अन्वेषक की रिपोर्ट से यह प्रतीत नहीं होता है कि अन्वेषक सुबह 05.00 पर दुर्घटना स्थल पर गया था और इसलिए उसे वाहन के चालक के साथ बातचीत करने या यह सुनिश्चित करने का अवसर मिला कि परीक्षण यह दिखाने के लिए किया गया था कि चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी की दलीलें खारिज हो जाती हैं। अनुबंध में प्रावधान है कि किसी भी दावे की स्थिति में किसी भी आकस्मिक नुकसान या क्षति की घटना के तुरंत बाद बीमाकर्ता को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। बीमित व्यक्ति को कंपनी द्वारा आवश्यक सभी जानकारी और सहायता देनी होती है। साफ है कि यह सच है।

कि अपीलार्थी को 22.12.2007 पर सूचित किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जांचकर्ता 22.12.2007 पर दुर्घटना स्थल पर गया था और कार का निरीक्षण किया था। हालाँकि रिपोर्ट में दिए गए सटीक समय का उल्लेख नहीं किया गया है। जिस समय वह गया था, उसे भी पूछताछ के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया था।

उत्तरदाता। ऐसा प्रतीत होता है कि कार के चालक को कोई नई चोट नहीं लगी होगी और वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से रक्त परीक्षण या श्वास परीक्षण नहीं किया। इस संबंध में क्या हुआ, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। एफ. आई. आर. से ऐसा प्रतीत होता है कि मुखबिर अधिकारी की प्राथमिकता पुरुषों को बाहर निकालना और उन्हें अस्पताल ले जाना था। हालाँकि, न्यायालय पुलिस अधिकारी के आचरण पर असंतोष दर्ज करने का विरोध नहीं कर सकता है। श्वास परीक्षण या अन्य परीक्षण करने के रूप में मामले को आगे नहीं बढ़ाना और मोटर वाहन अधिनियम

की धारा 185 के तहत मामले को आगे बढ़ाना या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना। सबूत के बोझ पर फिर से सवाल पर आते हुए, जहां तक बीमित अपीलकर्ता दायित्व के बहिष्करण का संबंध स्थापित करना चाहता है, सबूत का बोझ उस पर है, बशर्ते कि यह अदालत क्या मानती है। [पारस 74-76] [184-ए-डी, ई-एच; 185-ए-सी] इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

वी. PEARL BEVERAGES LTD.

6.2 साक्षय अधिनियम की धारा 106 उन तथ्यों को साबित करने के बोझ की बात करती है जो व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हैं।

यह खंड उस सिद्धांत को स्थापित करता है जो तथ्यों को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है जब वे तथ्य विशेष रूप से किसी पक्ष के ज्ञान में होते हैं। भले ही यह धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर लागू नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि यह सिद्धांत उपभोक्ता के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकता है।

संरक्षण अधिनियम। [पारस 77-79] [185-B, C-G]

शंभू नाथ मेहरा बनाम। अजमेर ए. आई. आर. 1956 एस. सी.

404 [1956] एस. सी. आर. 199 पर भरोसा किया।

6.3 प्रतिवादी ने मामला स्थापित किया कि चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था। अगले ही वाक्य में, यह दलील दी गई है

कि आगे यह मानते हुए कि उसने शराब का सेवन किया था, क्योंकि वह नशे में नहीं था, बहिष्करण खंड आकर्षित नहीं होता है। हालाँकि, जब हलफनामे के साक्षय की बात आती है, तो चालक ने यह बयान नहीं दिया है कि उसने मादक शराब का सेवन नहीं किया था। उसने केवल इतना कहा है कि दुर्घटना के समय वह न तो मादक शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था। उन साक्षयों को ध्यान में रखते हुए जो चालक से शराब की बदबू आने की ओर इशारा करते हैं और यहां तक कि चालक द्वारा भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने शराब का सेवन नहीं किया है और जैसा कि राष्ट्रीय आयोग ने पाया है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शराब पीने के बाद चालक द्वारा कार चलाई गई थी। ऐसे मामले में कि शराब की प्रकृति क्या थी और शराब की मात्रा क्या थी, और उसने कहाँ सेवन किया था, यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्य होंगे जिसने शराब का सेवन किया है। उदाहरण के लिए, चालक ने यह भी नहीं बताया है कि एक बार जब यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि उसने शराब का सेवन किया है, तो उसने संकेत दिया है कि उसने कब किया है। शराब का सेवन किया। बीमाकर्ता के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तथ्यों में यह साबित करना "असमान रूप से कठिन" होगा कि क्या चालक ने खाली पेट शराब का सेवन किया है या उसने भोजन किया है और फिर शराब का सेवन किया है या पेय (शराब की मात्रा) की मात्रा और गुणवत्ता क्या थी जो इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियां

होतीं कि क्या उसने शराब के प्रभाव में वाहन चलाया था। चालक ने केवल इतना कहा है कि वह नशे के प्रभाव में नहीं था और वह पूरी तरह से होश में था।

यह सच है, नहीं

[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सन्देह है, अपीलार्थी द्वारा चालक से कोई पूछताछ नहीं की गई है। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही संक्षिप्त होने के कारण, प्रतिपरीक्षा आयोजित की जाए आमतौर पर पूछताछ के तौर-तरीकों के माध्यम से। इस प्रकार, अदालत में कार्यवाही के विपरीत, आम तौर पर बीमाकर्ता प्रतिपरीक्षा करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। चूंकि साक्षय अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत ने केवल उस व्यक्ति पर बोझ डाला है जिसके पास है

तथ्यों में, स्थान को केवल चालक की जानकारी में नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि एफ. आई. आर. के अनुसार, गश्ती पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर इसका वर्णन किया है दुर्घटना की घटना और उस समय मौजूद था। उनके कथन के अनुसार, उन्होंने अपने साथी अधिकारी की सहायता से चालक और सह-यात्री को वाहन से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में, चिकित्सा कानूनी रिपोर्ट में, शराब (+) की सांस का संदर्भ है। हालाँकि, यह सच है कि बीमाकर्ता या उसके एजेंट को उस स्तर पर नोटिस नहीं दिया गया होगा। यह अभिनिर्धारित करना उचित या वैध नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियों में बीमाकर्ता अभी भी साबित करने की स्थिति में होगा

श्वास परीक्षण या रक्त परीक्षण के माध्यम से कि चालक शराब के प्रभाव में था। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए चालक को कोई नई चोट नहीं लगी है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और चला जाता है। दूर, यह अकल्पनीय है कि सांस या रक्त परीक्षण नहीं कराने के लिए बीमाकर्ता की गलती कैसे हो सकती है। यह सच हो सकता है कि बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता के उपयोग के संबंध में किसी अन्य तथ्य के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी से शपथ पत्र साक्षय के रूप में सामग्री प्राप्त की होगी।

चालक द्वारा शराब। [पारस 81-83] [186-F-H; 187-A-D; 188-D-H; 189-A]

वी. किशन राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और

एक और (2010) 5 एससीसी 513: [2010] 5 एस. सी. आर. 1; मुरलीधर और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य ए. आई. आर 2005 एस. सी. 2345:

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. PEARL BEVERAGES LTD.

[2005] 1 पूरक। एससीआर 175; डॉ. जे. जे. मर्चेंट (डॉ.) बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6 एससीसी 635: [2002] 1 पूरक। एस. सी. आर. 469 पर भरोसा किया। 7. आर. ई. एस. आई. पी. एस. ए. स्थान

राज्य आयोग ने रेज़ इप्सा लोकितुर के सिद्धांत को लागू किया है। सवाल का जवाब यह नहीं है कि क्या ड्राइवर वाहन की लापरवाही थी। इस प्रकार, इसका उपयोग अपकृत्य के मामलों में किया जाता है और जहां तथ्यों के बिना कुछ भी अधिक स्पष्ट और स्पष्ट रूप से होता है।

लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत, इस तरह, असंगत प्रतीत होता है, जब, जो सवाल में है, वह यह है कि क्या चालक शराब के नशे में धुत था। यह एक और बात हो सकती है कि हालांकि इस तरह का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से दुर्घटना हुई है, वह अन्य परिस्थितियों के साथ चालक के शराब के प्रभाव में होने की ओर इशारा कर सकता है।

[पारस 84,85] [189-बी; 190-बी-सी]

सैयद अकबर बनाम। कर्नाटक राज्य (1980) 1 एससीसी 30: [1980] 1 एस. सी. आर. 95-पर निर्भर। 8.विवादित आदेश में हवाएँ

राष्ट्रीय आयोग के आदेश में, जिस पर भरोसा किया जाता है, आयोग ने मोदी के चिकित्सा को संदर्भित किया है

न्यायशास्त्र और विष विज्ञान, 24 वां संस्करण। आयोग ने

यह पता चलता है कि लेखक की राय में, रक्त में अल्कोहल का प्रतिशत 0.2% होगा यदि प्रति 100 मिली रक्त में अल्कोहल की मात्रा 200 मिलीग्राम है। यह निष्कर्ष कि एक व्यक्ति को कहा जा सकता है

यदि उसके पास 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिली है तो मध्यम रूप से नशे में होना एक गलत अनुमान है। जिस व्यक्ति के पास शराब का ऐसा स्तर है, उसके पास 0.20% शराब होगी। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट रूप से अत्यधिक नशे में होगा। यह निर्भर आदेश के पैराग्राफ 7 में संदर्भित चिकित्सकों के लिए नियमावली में प्रभाव दिखाने वाली तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है। आगे यह पता चलता है कि रक्त में अल्कोहल की 0.15% सांद्रता वाला व्यक्ति है

एक मोटर वाहन चलाने के लिए उपयुक्त माना जाता है और ऐसा प्रतिशत तब होता है जब उसके पास प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 150 मिलीग्राम शराब होती है, जो मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी पर आधारित एक अवलोकन है। मोदी ने इस संबंध में अपने काम में उस अनुमानित सीमा को रेखांकित किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित थी।

0.15% से अधिक पाया गया जब तक कि आरोपी द्वारा खंडन नहीं किया गया, यह माना गया कि चालक शराब के प्रभाव में था। वास्तव में, 0.05% की एक कम अनुमानित सीमा थी और यदि एकाग्रता इस सीमा से कम थी तो यह माना जाता था कि चालक गलत नहीं था। प्रासंगिक बात यह है कि विभिन्न अध्ययनों के बाद एक ओर सभी राज्यों में अनुमानित सीमा को कम कर दिया गया था और अधिकतम अनुमानित सीमा को शुरू में 0.10% कर दिया गया था और उसके बाद इसे 0.08% कर दिया गया था। भारत में यह प्रतिशत 0.003 है जो 100 में 30 मिलीग्राम के बराबर है। खून की मिली। चीन और स्वीडन में, प्रतिशत अभी भी कम है। यह 0.02% है। निर्भर आदेश के पैराग्राफ 6 में ल्योन के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी का संदर्भ दिया गया है।

राष्ट्रीय आयोग ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि इस तरह की अनुमानित सीमा के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून यह भी प्रदान करते हैं कि शराब प्रतिशत या बी. ए. सी. स्तर की परवाह किए बिना, यदि वाहन सुरक्षित रूप से नहीं चलाया जाता है और एक व्यक्ति के पास है शराब का सेवन करने पर उस पर किसी अन्य कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ल्योन के चिकित्सा न्यायशास्त्र में किया गया अवलोकन

यह भी कि 0.10% से कम का रक्त अल्कोहल स्तर नशे की धारणा को नहीं बढ़ाता है, उन विकासों के विपरीत है जिनके तहत अनुमानित सीमा को भी 0.08% तक कम कर दिया गया है। वास्तव में, संयुक्त राज्य में कम उम्र के चालकों के लिए अधिकांश राज्यों में शून्य-प्रतिशत शराब का स्तर या 0.02% शराब है।

राज्यों। भरोसेमंद आदेश के पैराग्राफ 7 पर आते हुए, आयोग ने राष्ट्रीय इफको टोक्यो सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड में चिकित्सकों के लिए नियमावली का उल्लेख किया है।

वी. PEARL BEVERAGES LTD.

औषधि निर्भरता उपचार केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। इसमें प्रथम स्थान पर त्रुटि है

दूसरा वर्गीकरण। वास्तव में, यह '80 से ऊपर' के बीएसी स्तर के लिए अभिप्रेत है। यहां तक कि उक्त वर्गीकरण में भी शराब के सेवन के वास्तविक प्रभावों को निम्नानुसार दिखाया गया है-"शोर, मूडी, बिगड़ा हुआ निर्णय, खराब ड्राइविंग क्षमता" जबकि तीसरा वर्गीकरण 100 से 200 बीएसी है, जिसके प्रभाव इस प्रकार हैं -

मैनुअल में 80 से नीचे लाए गए बी. ए. सी. के प्रभावों का उल्लेख नहीं किया गया है। उसी में, प्रभावों को इस प्रकार दिखाया गया है-"उत्साह, आराम की भावना और स्वतंत्र रूप से बात करना, हाथों और पैरों की अनाड़ी गति, सतर्कता में कमी लेकिन खुद को सतर्क मानता है।" यह आदेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राय के आधार पर मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान में व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छा को भी दर्शाता है, जो कथित रूप से ल्योन के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान में व्यक्त की गई राय से सहयोग करता है। उक्त मामले में आयोग, जो शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने के मामले से नहीं निपटता था, ने विभिन्न देशों में निर्धारित सीमाओं को प्रासंगिक पाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमत शराब की मात्रा 100 मिली रक्त में 100 मिलीग्राम से अधिक नहीं बताई जाती है। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां यह 100 मिली में 100 मिलीग्राम हुआ करता था, अब इसे 100 मिली में 80 मिलीग्राम के अनुरूप 0.08% कर दिया गया है। एन. सी. डी. आर. सी. ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत आवश्यकता को बीमा अनुबंध में बहिष्करण खंड के तहत आवश्यकता के साथ जोड़कर गलती की थी। [पारस 86-88] [190-C-H; 191-A-H; 192-A-C]

9.1 एफ. आई. आर.

प्रतिवादी ने स्वयं एफ. आई. आर. और मेडिको लीगल केस (एम. एल. सी.) पर भरोसा करना चाहा। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी तैयार की गई है। आपराधिक मामले में एफ. आई. आर. के उपयोग को उपभोक्ता मामले में इसके रोजगार से अलग किया जाना है। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब शिकायतकर्ता स्वयं एफ. आई. आर. पर भरोसा करता है। हालाँकि शिकायत में यह तर्क दिया गया था कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 279/427 के अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन संख्या [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायत की तारीख तक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसका अर्थ है कि पुलिस, मामले की जांच करने के बाद, किसी भी अपराध के लिए चालक पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं पा सकी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायत वर्ष 2009 की है और यह दिनांक 04.03.2009 में देखा गया है, प्रतिवादी का मामला कि किसी भी अपराध के लिए चालक पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं था, कम से कम एक के संबंध में दोषी ठहराते हुए चालक द्वारा गलत साबित किया जाता है। अपराधों का, अर्थात। , आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत अपराध, जो जाहिर तौर पर राज्य आयोग और राज्य आयोग के समक्ष शिकायत के लंबित रहने के दौरान हुआ था, ने इस विकास का संज्ञान लिया है। जहाँ तक एम. एल. सी. का संबंध है, प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एम. एल. सी. में चालक और सह-यात्री का संदर्भ था।

शराब की गंध। [पैरा 92,93] [193-डी-एच]

9.2 प्रतिवादी स्पष्ट रूप से यह मामला स्थापित करता है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति ने शराब का सेवन नहीं किया था। अगला वाक्य, वैकल्पिक मामले को स्थापित करता है, जो यह है कि आगे यह मानते हुए कि उसने शराब का सेवन किया था, मामला बहिष्करण खंड के तहत नहीं आएगा, क्योंकि वह किसी भी मामले में नशे में नहीं था। प्रतिवादी के कंपनी सचिव, पीडब्लू1 ने अपने शपथ पत्र साक्षय में कहा है कि धारा 185 के तहत

एम. वी. अधिनियम, शराब का एक निश्चित प्रतिशत किसी व्यक्ति पर नशे में गाड़ी चलाने के अपराध के लिए मुकदमा चलाने से पहले पाया जाना है। कानून शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और केवल यह प्रतिबंधित है कि शराब का प्रतिशत 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति 100 मिली। खून से। इसलिए, यह समझ प्रतीत होती है कि केवल उन परिस्थितियों में, जहां गाड़ी चलाने का कार्य, शराब का सेवन करना, धारा 185 का क्रोध आकर्षित करता है और उसके तहत एक अपराध किया जाता है, कि

स्वयं के नुकसान के लिए बीमा अनुबंध में बहिष्करण खंड,

आकर्षित होता है। पी. डब्ल्यू. 2, स्वयं चालक के शपथ पत्र से पता चलता है कि वह यह गवाही नहीं देता है कि उसने शराब का सेवन नहीं किया था जैसा कि शिकायत में किया गया था। इसके बजाय, वह केवल यह बयान देता है कि वह न तो नशे की शराब या ड्रग्स के प्रभाव में था।

दुर्घटना का समय। उन्होंने आगे कहा कि वह पूरी तरह से होश में थे और उक्त वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में सक्षम थे। यहां तक कि हलफनामे के माध्यम से बयान के स्तर पर, जो 2010 में दायर किया गया प्रतीत होता है, वह दोहराता है कि इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

वी. PEARL BEVERAGES LTD.

2007 की एफ. आई. आर. संख्या 453 में मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत में उनके खिलाफ लंबित मामला दुर्भावनापूर्ण बताया गया है और उन्हें उक्त मामले में बरी किया जाना निश्चित है। हालाँकि, लगभग एक साल के भीतर, कथित रूप से झूठे मामले को चालक द्वारा सही माना जाता है। पीडब्लू2 के शपथ पत्र में यह नहीं दिखाया गया है कि चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था, जो मामला स्थापित किया गया है। इसके विपरीत, नशे में धुत चालक को मजबूत किया जाता है एमएलसी द्वारा, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चालक से शराब की बदबू आ रही थी। इसलिए, प्रत्यर्थी का यह मामला कि कार चलाने वाले व्यक्ति ने शराब का सेवन नहीं किया था, स्पष्ट रूप से गलत है।

[पारस 94-97] [193-H; 194-A-G]

10.1 अंत:क्रियाएँ

पूछताछ, उत्तरों के साथ, निम्नलिखित का खुलासा करती है: ए। अपीलार्थी का सर्वेक्षक एक वकील Firm.b है। सर्वेक्षक व्यक्तिगत रूप से कार के चालक से नहीं मिला है। सी। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियाँ एमएलसी पर आधारित होती हैं और

एफ. आई. आर. डी। अपीलार्थी को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या सर्वेक्षणकर्ता अपनी जाँच के दौरान किसी डॉक्टर से मिला था। ई. सर्वेक्षक ने अपनी जाँच के दौरान डॉक्टर या जाँच अधिकारी से कोई चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। एफ. अपीलार्थी अज्ञानता का अनुरोध करता है कि क्या शराब के सेवन को निर्धारित करने के लिए चालक पर कोई मूत्र परीक्षण किया गया था। जी। यही जवाब इस संबंध में भी है कि क्या शराब के सेवन को निर्धारित करने के लिए कोई रक्त का नमूना लिया गया था। एच.

अपीलार्थी ने अपने जवाब में कहा है कि उसने डॉक्टर का हलफनामा दायर नहीं किया है, जिसने अपनी रिपोर्ट में 'शराब की गंध' बताई है। आई. अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि उसके पास रक्त में शराब के स्तर को दिखाने के लिए कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं है। [पैरा 100] [198-बी-एफ]

10.2 इन दोनों स्थितियों को जोड़ना उचित नहीं होगा। , मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत आवश्यकता और विचाराधीन बीमा अनुबंध में एक बहिष्करण खंड। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे में गाड़ी चलाने की आवश्यकताओं को केवल शराब की सांद्रता की उपस्थिति के संदर्भ में साबित किया जा सकता है जो प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम है। यह 0.13 प्रतिशत बी. ए. सी. के बराबर है। वास्तव में स्वीडन और चीन में यह 0.02 है। जहाँ तक [2021] 14 एस. सी. आर. की स्थापना की बात है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1977 में प्रतिस्थापन, और इससे भी अधिक यह सबूत पर भी बदल गया। हालांकि, ऐसे मामलों में, जहां कोई वैज्ञानिक सामग्री नहीं है, उपलब्ध परीक्षण परिणामों के रूप में, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष मामले में है, यह बीमाकर्ता को एक मामला स्थापित करने से अक्षम नहीं कर सकता है। बहिष्करण। किसी मामले में प्राप्त होने वाली परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले में जांच का दायरा, जो एक संक्षिप्त कार्यवाही है,

दृष्टि खोया नहीं जा सकता है। एक उपभोक्ता, अधिनियम के तहत, केवल सेवा की सिद्ध कमी के आधार पर सफल हो सकता है। सेवा की कमी केवल अनुबंध की शर्तों और उसके आसपास के कानून के संदर्भ में उत्पन्न होगी। यदि कमी स्थापित नहीं होती है, तो अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को विफल होना चाहिए। [पारस 101-103] [198-G-H; 199-A-E]

10.3 इस संबंध में, इस मामले में शामिल प्रकृति के बहिष्करण को देखा जाना चाहिए। वाहन चलाने वाले व्यक्ति ने

शराब का सेवन किया। शराब पीने के बाद वह गाड़ी चलाता था। यह सच है कि सटीक मात्रा, जिसका उसने सेवन किया था, आने वाली नहीं है। तथ्य यह है कि उसे शराब की बदबू आ रही थी,

निर्विवाद, एफ. आई. आर. की सामग्री को ध्यान में रखते हुए और एमएलसी। उनके साथ पीडब्लू 3 भी था। पीडब्लू3 से भी शराब की बदबू आती थी। यह घटना 22.12.2007 के शुरुआती घंटों में हुई थी। यह नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट हुआ। चालक और यात्री बीस वर्ष के थे। दिन के उस समय, अर्थात। , शुरुआती घंटों में, दुर्घटना की किसी भी संभावना के संदर्भ के बिना पार्टियों के संस्करण की सराहना की जानी चाहिए

आई. एफ. एफ. सी. ओ. टोक्यो जनरल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अनुसार, अचानक होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप हो रहा है।

वी. PEARL BEVERAGES LTD.

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति या जानवर को पार करने का प्रयास, जिसके कारण वाहन को दुर्घटना में शामिल होना आवश्यक हो गया, उस तरीके से, जो एफ. आई. आर. द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्यर्थी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है। वाहन को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया था, जिसके तहत दर्ज की गई सजा को ध्यान में रखते हुए

आईपीसी की धारा 279। इसे प्रतिवादी द्वारा यह मामला रखने के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि चालक ने ऐसा नहीं किया था

शराब का सेवन किया और यह कि आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत भी मामला झूठा था। इसके अलावा, दुर्घटना की सटीक प्रकृति की जांच, शराब के सेवन से वाहन के चालक पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। यह कार, जो निस्संदेह एक पोर्श है, जिसमें संभवतः एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है और जो भारी गति प्राप्त करने में सक्षम है, नियंत्रण से बाहर हो गई और टकरा गई।

सड़क के फुटपाथ के साथ एक विशाल बल पर। यह पलट गया। इसमें आग लग गई। वास्तव में, यह प्रतिवादी का मामला है कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे कुल नुकसान बताया गया था। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए आईं। गति और इसका प्रभाव सड़क, यातायात और गति सीमा के सापेक्ष हो सकता है। एफ. आई. आर. में कार को 'बहुत तेजी से' चलाने का उल्लेख किया गया है। एक व्यक्ति हो सकता है

शराब के प्रभाव में आए बिना जल्दबाजी और लापरवाही। साथ ही, शराब के प्रभाव में रहने से जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का कारण भी बन सकता है। वे नहीं हैं। बेमेल। यदि यह न्यायालय इस पर विचार करता है तो यह छूट नहीं देगा।

दुर्घटना के समय नाम के लायक किसी भी यातायात की असंभवता को ध्यान में रखें। जबकि यह बीमाकर्ता के लिए मामला बनाने के लिए होगा, बहिष्करण खंड को दबाने के लिए, प्रत्यर्थी के अभिवचनों में या दुर्घटना को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्षय में कोई सामग्री नहीं है। इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जाता है कि राजधानी शहर की सड़कें, विशेष रूप से उस क्षेत्र में, जहां दुर्घटना हुई थी, पर्याप्त चौड़ी हैं और वाहन

फुटपाथ पर दौड़ना और कछुए को मोड़ना और आग पकड़ना, अपने आप में, इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि जिस शराब का सेवन किया गया था, वह ड्राइवर की सांस में समकालीन रूप से प्रकट होती है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि शराब ने भूमिका निभाई थी, जो,

दुर्भाग्य से, यह उत्पादन करने में सक्षम है। जिन सिद्धांतों को संदर्भित किया गया है, उन्हें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, निम्नलिखित निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

ए. सबसे पहले, एमएलसी में, चालक के संबंध में, रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, शराब की गंध को इंगित करती है;

बी. विशेष रूप से, सह-यात्री के संबंध में एक ही रिपोर्ट है। चालक और यात्री दोनों बीस के दशक के अंत में थे;

C. शराब की गंध को एक चिकित्सा द्वारा पहचाना गया है

अभ्यासी;

डी. हालांकि प्रतिवादी द्वारा मामला स्थापित किया गया था कि चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था, चालक ने अपने साक्षय में

(एफिडेविट सबूत), ने यह भी नहीं कहा है कि उसने शराब का सेवन नहीं किया है, जैसा कि शिकायत में स्थापित विशिष्ट मामला था। दूसरी ओर, वैकल्पिक मामला, जिसे स्थापित किया गया था कि वह शराब के प्रभाव में नहीं था, अकेले पदच्युत कर दिया गया था। यह तब भी है जब प्रत्यर्थी ने जवाबी हलफनामे में दोहराया था कि वाहन के चालक ने शराब या किसी अन्य मादक पेय/नशीली दवा का सेवन नहीं किया था;

ई. यहां तक कि एन. सी. डी. आर. सी. ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि चालक ने कुछ शराब का सेवन किया था। अपीलार्थी ने यह स्थापित किया है कि दुर्घटना के समय चालक ने शराब का सेवन किया था और वह वाहन चला रहा था।

जी. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत आवश्यकता को स्वयं के नुकसान के दावे में बीमा पॉलिसी के तहत शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह के दावे पर विचार किया जाना चाहिए दुर्घटना की प्रकृति, यात्रा से पहले या उसके दौरान शराब पीने के साक्षय, चालक पर प्रभाव और पक्षों द्वारा स्थापित मामले के आधार पर;

एच. दूसरा पहलू, जिसे दबाया जाता है, वह है, जिस तरह से दुर्घटना हुई थी। इस संबंध में, यह स्पष्ट है कि इस तरह के किसी भी मामले में, यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

वी. PEARL BEVERAGES LTD.

जो यह स्थापित कर सकता है कि चालक शराब के प्रभाव में था। शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाना, ड्राइविंग शुरू करने से पहले या ड्राइविंग के दौरान शराब के सेवन के कारण गाड़ी चलाना के रूप में समझा जाना चाहिए।

और दुर्घटना से पहले, जब चालक द्वारा शराब का सेवन उसकी क्षमताओं और उसके ड्राइविंग कौशल को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि पहले सेवन की गई शराब दुर्घटना का कारण थी या इसने दुर्घटना की घटना में योगदान दिया;

I. प्रत्यर्थी के पास कोई मामला नहीं है कि दुर्घटना अचानक हुई घटना के परिणामस्वरूप हुई, जिसके कारण कार को फुटपाथ पर ले जाना आवश्यक हो गया। उदाहरण के लिए, यदि अचानक मानव या पशु पार करने का प्रयास किया गया था, और चालक ऐसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए, उसी तरीके से गाड़ी चला सकता है, जिसकी परिणति दुर्घटना में हुई। यह एक ऐसा मामला होगा जहां दुर्घटना होने के बावजूद भी चालक अपनी क्षमताओं के नियंत्रण में रहेगा। एफ. आई. आर. के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सामग्री (विशेष रूप से, संक्षिप्त कार्यवाही की प्रकृति में) है। सूचना दर्ज कराने वाले पुलिस अधिकारी ने विशेष रूप से कहा है कि कार को बहुत तेजी से चलाया जा रहा था।

जे. चालक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कुछ नहीं दिया है।

दुर्घटना के होने के लिए स्पष्टीकरण, जो भी हो। उसके पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि कार में या ब्रेक में कोई खराबी थी; के. चालक ने अपराध स्वीकार कर लिया है और आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो जल्दबाजी या लापरवाही को दंडित करता है।

गाड़ी चला रहे हैं। एक व्यक्ति, जो शराब के प्रभाव में नहीं है, कर सकता है

जल्दबाजी और लापरवाही बरतें। लेकिन एक व्यक्ति, जो शराब के प्रभाव में है, जल्दबाजी और लापरवाही भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वे पूरी तरह से असंगत नहीं हैं। दूसरी ओर, शराब के प्रभाव में होने से चकत्ते की संभावना बढ़ जाती है और

लापरवाही से गाड़ी चलाना निकटवर्ती कारण हो सकता है। कार को लगभग 27 वर्षीय चालक चला रहा था। वास्तव में, उन्होंने और उनके साथी दोनों ने शराब का सेवन किया था। दुर्घटना तब हुई जब सड़क किसी भी यातायात से पूरी तरह से मुक्त होती (ऐसा कोई मामला नहीं है कि दुर्घटना किसी अन्य [2021] 14 एस. सी. आर. के कारण हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाहन को किसी भी तरह से चलाया जा रहा है या कोई व्यक्ति या जानवर सड़क पार करने का प्रयास कर रहा है या अन्यथा चालक का ध्यान भटक रहा है)। प्रतिवादी और चालक और उसके साथी (पीडब्लू3) के अनुसार भी दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी अदालत को यह विश्वास करने के लिए कहा जाता है कि चालक अपनी इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण में था। यदि राज्य आयोग, परिस्थितियों में, प्रतिवादी के संस्करण पर विश्वास करता है, तो संक्षिप्त कार्यवाही में, एन. सी. डी. आर. सी. ने तर्क पर हस्तक्षेप करने में गलती की, जो इस प्रकार पाए जाते हैं -

गलत है। [पारस 104-106] [199-E-H; 200-A-H; 201-A-H; 202-A-H; 203-A-B]

10.4 संक्षिप्त कार्यवाही में जो उल्लेखनीय है, वह सड़क की चौड़ाई (इंडिया गेट के पास एक सड़क, नई दिल्ली) की स्थापना में है।

दिल्ली) और सबसे कम संभव यातायात, और बिना किसी बहाने के, भारी बल के साथ फुटपाथ पर टकराना, नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं होना, बिजली के खंभे से टकराना, बच्चों के पार्क की दीवार। प्रभाव इतना अधिक है कि इससे कार पलट गई और वाहन में आग लग गई। यदि चालक को पीडब्लू2 के रूप में माना जाए, तो यह दुर्घटना अकथनीय है, जब उसने अपदस्थ किया था "मैं दुर्घटना के समय अपने पूरे होश में था और कार पर पूरा नियंत्रण रखने में सक्षम था"। यह अधिक संभावना है कि उसका पेय वास्तव में इसका कारण बना। तथ्यों पर, राज्य आयोग का दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। द.

विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। [पैरा 107,108] [203-सी-ई]

पीएस लोधी कॉलोनी बनाम के माध्यम से राज्य। संजीव नंदा 2012 (8) एससीसी 450 [2012] 12 एससीआर 881; रॉयल सुंदरम

सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड v. दावूभाई

एन. सी. डी. आर. सी. का बाबूभाई रावलिया आदेश दिनांक 04.09.2018

2018 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 1296 में; सम्राट बनाम। राम देवजी एयर 1928 बी. ओ. एम. 331 का उल्लेख किया गया है।

लाउडैन वी। ब्रिटिश मर्चेंट बीमा कंपनी लिमिटेड [1961] डब्ल्यू. एल. आर. 798 क्यू. बी.-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1971) 3 एस. सी. सी. 930

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

[2010] 5 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

16

[2012] 12 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पैरा 54 इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड।

[1956] एससीआर 199

पैरा

79

उस पर भरोसा करें

[2005] 1 पूरक। एससीआर 175

उस पर भरोसा करें

पैरा

81

[2002] 1 पूरक। एससीआर 469

उस पर भरोसा करें

पैरा

82

[1980] 1 एससीआर 95

उस पर भरोसा करें

पैरा

84

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1526

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 21.08.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की पहली अपील संख्या 753 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली।

शिवम सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता, विदुर द्विवेदी, गोपाल सिंह,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रवि कुमार अग्रवाल, जयंत

मोहन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. 22.11.2007 पर हुई एक दुर्घटना, जिसमें एक कार शामिल थी

(एक पोर्श) प्रत्यर्थी-कंपनी से संबंधित है, जिसका अपीलार्थी के साथ बीमा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में 'एन. सी. डी. आर. सी.') द्वारा आदेश के खिलाफ यह अपील की गई है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के दावे को खारिज कर दिया। इस अपील में जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या एन. सी. डी. आर. सी. यह अभिनिर्धारित करने में सही है कि अपीलार्थी बीमा अनुबंध के खंड (2सी) की ढाल का आह्वान करने का हकदार नहीं है, जिसके तहत, वह उत्तरदायी नहीं था, यदि वाहन चलाने वाला व्यक्ति, मादक शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था। राज्य

आयोग ने प्रत्यर्थी की इस शिकायत को खारिज कर दिया कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति ने शराब का सेवन किया था और वह शराब के नशे में था। दूसरी ओर, एन. सी. डी.

आर. सी. ने आक्षेपित आदेश द्वारा पाया कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वाहन का चालक उपरोक्त बहिष्करण खंड के अर्थ के भीतर मादक शराब के प्रभाव में था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" (2) कंपनी इसमें कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। सम्मानः

((a) XXX

XXX

XXX

(ख) XXX

XXX

XXX

(ग) बीमित व्यक्ति के दौरान कोई आकस्मिक हानि या क्षति हुई हो।

या कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान के साथ वाहन चला रहा हो और

बीमित व्यक्ति की सहमति नशे के प्रभाव में है

शराब या ड्रग्स "।

4. वाहन को श्री अमन बंगिया चला रहे थे। इसके बाद

संयोग से, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। दुर्घटना स्थल सुबह लगभग 02.25 बजे 22.12.2007 पर है। एफ. आई. आर. के अंश, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार हैं:

" सी. टी. का वक्तव्य आनंद कुमार No.1226/ND, पी. एस. तिलक, न्यू

दिल्ली ने कहा कि मैं तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात हूं

सिपाही और आज 21/22.12.07 I और सिपाही बृजेश

No.1163/DHG, ड्यूटी M/Cy। डीएल-1 एसएन-8288, पी. एस. तिलक मार्ग थे

गश्त पर। लगभग 2.25 बजे जब मैं, अपने ऊपर एम/साइ पर। , था।

गश्त करते हुए सी-हेक्सागन डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग के पास पहुंचे, तब मैं देखता हूँ कि कार का चालक No.DL-1CJ-3577 कहाँ से आया था

बहुत जल्दबाजी, लापरवाही और बहुत तेज गति से और बहुत तेज गति के कारण गति, उनकी कार नियंत्रण से बाहर हो गई और एक विशाल बल पर टकरा गई

सी-हेक्सागन डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग चिल्ड्रन के फुटपाथ के साथ पार्क इंडिया गेट, बिजली के खंभे और बच्चों की दीवार

कार पलट गई और उसमें आग लग गई। मैं अपने साथी के साथ होम गार्ड ड्राइवर को ले आया जिसका नाम और पता अमन था

बंगिया एस/ओ एस। एस. के. बंगिया आर/ओ 42-ए, पीकेटी। सी सिद्धार्थ विस्तार। नया।

दिल्ली-14 और उनके सहयोगी रिची राम जयपुरिया पुत्र श्री। सी. के.

जयपुरिया आर/ओ H.No.08, पृथ्वी राज रोड, दिल्ली उक्त कार से

बहुत प्रयासों के बाद और घटना के बारे में वायरलेस को सूचित किया ऑप. वायरलेस के माध्यम से पुलिस स्टेशन का डी-56। इसके बाद

फायर ब्रिगेड, पी. सी. आर. वैन और ऐड/एस. एच. ओ. वैन के वाहन आप थे।

मौके पर पहुंचे। दुर्घटना चकत्ते के कारण हुई है।

और चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना जिसके लिए सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

ड्राइवर। आपने मौके पर ही मेरा बयान दर्ज कर लिया है, को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर पढ़िए।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

और सुना जो सच और सही है। एस. डी./- अंग्रेज आनंद कुमार कॉन्स्ट। No.1226/ND Dt. 22 / 12.07 सत्यापित एस. आई. कुखितार सिंह पी. एस.

तिलक मार्क, नई दिल्ली डी. 22.12.07 . सर ड्यूटी ऑफिसर पुलिस

स्टेशन तिलक मार्ग, नई दिल्ली को यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. डी. No.36A की प्राप्ति के बाद आई. एस. आई. सी. टी. के साथ। विनोद No.2098/ND दुर्घटना स्थल यानी सी-हेक्सागन डॉ.

ज़ाकिर हुसैन मार्ग पर पहुँचा जहाँ कार No.DL-1CJ-3577 जल गई थी। जहाँ आग पर काबू पाने के लिए Add./SHO और फायर ब्रिगेड के वाहन भी मौजूद थे। तब हमें पता चला कि आर. एम. एल. अस्पताल में पी. सी. आर. वैन आरोपी को ले गई है। आई एस. आई और सी. टी. विनोद कुमार No.2093/ND मौके से चले गए और तथ्यों को जानने के लिए अस्पताल के लिए रवाना हो गए, जहाँ मुझे रुचि राम जय पुरिया पुत्र सी. के. जय पुरिया पुत्र एच. एन. 0.08, पृथ्वी राय रोड, दिल्ली आयु 272 वर्ष की एम. एल. सी. NO.62213/07 प्राप्त हुई। जिस पर डॉक्टरों ने रिपोर्ट/राय दी है "कोई सबूत नहीं है

चिकित्सीय परीक्षण और श्वास की गंध के लिए किसी भी ताजा चोट का

शराब (+) "और एम. एल. सी. No.62214/07 अमन बंगिया एस/ओ एस. एस. के. बंगिया आर/ओ 42-ए, पीकेटी। - सी सिद्धार्थ विस्तार। , नई दिल्ली-14 साल की उम्र 27 साल। जिस पर डॉक्टरों ने रिपोर्ट/उल्लेख/राय दी है कि "चिकित्सा जांच और श्वास शराब (+) की गंध के लिए किसी भी ताजा चोट का कोई सबूत नहीं है। आई. एस. आई. दुर्घटनास्थल पर पहुंचे जहां सी. टी. आनंद प्रकाश No.1226/ND, पी. एस. तिलक मार्क, नई दिल्ली आया था और अपना बयान दर्ज कराया था और एमएलसी और घटना स्थल से आईपीसी की यू/एस 279/427 और आईपीसी की यू/एस 185 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एम. वी. अधिनियम का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, इसलिए तहरीर को सी. टी. को सौंप दिया गया है। विनोद कुमार No.2098/ND। मामला दर्ज करने के बाद मामले की संख्या की जानकारी दी जाएगी।

[पेपर बुक का पृष्ठ 39 से 42]

5. जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत मामले की बात है, यह ए. आर. के चालक द्वारा याचिका सौदेबाजी पर पारित आदेश दिनांक 27.8.2011 को समाप्त करता है और यह निम्नानुसार है:

" वकील श्री के साथ आरोपी अमन बंगिया। राहुल अरोड़ा। नोटिस के बिंदु पर सुना। रिकॉर्ड पेरूस्ड। आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत प्रथम दृष्टया एक मामले का खुलासा किया गया है। अतः तदनुसार अपराध यू/सेक के लिए नोटिस। 279 आई. पी. सी. अभियुक्त के खिलाफ अलग से तैयार किया गया है जिसके लिए अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है, लेकिन वह

फिर भी अपराध स्वीकार करने पर जोर देता है। चूँकि अभियुक्त ने स्वेच्छा से निवेदन किया है

दोषी, इसलिए उसे अपराध यू/एस के लिए दोषी ठहराया जाता है। 279 आईपीसी.

वाक्य के बिंदु पर सुना। अभियुक्त ने यह निवेदन करते हुए नरमी बरतने की प्रार्थना की कि यह उसका पहला अपराध है। उन्होंने भविष्य में सावधानी से गाड़ी चलाने का बीड़ा उठाया है। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को 10 दिनों की एस. आई. का उल्लंघन करने पर 1,000/- रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है। रसीद संख्या 866834 के माध्यम से जमा किया गया जुर्माना। फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

6. प्रतिवादी ने नोटिसों के आदान-प्रदान के बाद 2009 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17 के तहत शिकायत दर्ज की। प्रत्यर्थी के कंपनी सचिव (पीडब्लू1), कार के चालक (पीडब्लू2) और कार में चालक के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति (पीडब्लू3) के शपथ पत्र साक्षय प्रस्तुत किए गए थे। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में आई. पी. सी. की धारा 22.12.2007 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का मेडिको-कानूनी केस शीट शामिल था। जिस आदेश का हमने आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत उल्लेख किया है, उसे भी बाद में पेश किया गया। अपीलार्थी के उपाध्यक्ष ने शपथ पत्र साक्षय दिया। जाँचकर्ता ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए अपना हलफनामा भी दिया।

दुआएँ

7. उपभोक्ता की धारा 17 के तहत दायर शिकायत में

संरक्षण अधिनियम, 1986, हम आरोपों को नोटिस कर सकते हैं, जो प्रासंगिक हैं:

बहिष्करण खंड गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के रूप में लागू नहीं होता है।

गाड़ी ने शराब का सेवन नहीं किया था। आगे यह मानते हुए कि उसने शराब का सेवन किया था, मामला इसके अंतर्गत नहीं आएगा

बहिष्करण खंड के रूप में वह किसी भी मामले में नशे में नहीं था। हालाँकि पुलिस ने आई. पी. सी. की धाराओं के अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन आज तक चालक के खिलाफ कोई आरोप पत्र दर्ज नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस ने उसके बाद

मामले की जांच करते हुए, किसी भी अपराध के लिए चालक पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। यह प्रतिवादी का अगला मामला है, अन्य बातों के साथ, कि प्रतिवादी ने सूचित किया था

अपीलार्थी कि एम. एल. सी. केवल 'शराब की गंध' कहता है और इसका मतलब या मतलब यह नहीं है कि चालक के प्रभाव में था मादक पेय। यह भी दलील दी जाती है कि कानूनी नोटिस में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि

चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 को यह दलील देने के लिए लागू किया गया था कि जब तक कि

शराब का एक निश्चित प्रतिशत पाया जाता है कि कोई व्यक्ति इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नहीं हो सकता है।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। कानून शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के संबंध में यह स्थापित करने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया था कि वह नशीली दवाओं या मादक शराब के प्रभाव में था, जैसा कि धारा के तहत प्रदान किया गया है।

185 मोटर वाहन अधिनियम या बहिष्करण खंड।

यह भी कहा जाता है कि नशा का अर्थ है 'उन्माद की डिग्री तक उत्साहित या उत्तेजित' जिसका सरल अर्थ है कि मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।

8. अपीलार्थी द्वारा दायर उत्तर में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में तर्क दिया गया है। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के मिलने का आधिकारिक रिकॉर्ड है

शराब का सेवन किया हो और उस स्थिति में वाहन चलाया हो। प्रत्यर्थी ने अनुभवी जांचकर्ताओं के माध्यम से मामले की जांच कराई और उन्होंने अपने निष्कर्ष के साथ प्रासंगिक जानकारी और रिकॉर्ड एकत्र किए हैं कि चालक शराब के प्रभाव में था। दुर्घटना की गंभीरता से ही पता चलता है कि शराब पीने के कारण चालक गाड़ी चलाने में लापरवाही बरत रहा था।

9. प्रतिवादी ने शिकायत में आरोपों को दोहराते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया।

सबूत

10. कंपनी सचिव द्वारा दिए गए साक्षय के शपथ पत्र में

प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 और आई. पी. सी. की धाराओं 279/427 के तहत 2007 की एफ. आई. आर. 453 गलत तरीके से दर्ज की गई थी। मामला अभी भी लंबित था। उक्त मामले में उनका बरी होना तय था। सह-यात्री (पीडब्लू3) का शपथ पत्र साक्षय इस आशय का है कि वह मादक शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं था। उन्होंने पीडब्लू2 का भी समर्थन किया है कि पीडब्लू2 वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में सक्षम था और वह इसके

प्रभाव में नहीं था। दुर्घटना के समय शराब या नशीली दवाएँ। पुलिस अधिकारी और अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें मादक शराब के प्रभाव में नहीं पाया और न. [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परीक्षण किया गया। अपीलार्थी के उपाध्यक्ष के अलावा, अपीलार्थी के अन्वेषक ने जब अपनी रिपोर्ट की शुद्धता की पुष्टि की तो हलफनामा साक्षय दिया।

राज्य आयोग का आदेश

11. राज्य आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

घटना की तारीख और समय 02.25 AM पर 22.12.2007 था। चालक के आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह शराब पीने के बाद वाहन चला रहा था। चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से शराब के प्रभाव में था

अलग बात। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि चालक

शराब पीने के बाद गाड़ी चलाई। तरीका और

प्रभाव उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए जाता है। [निष्कर्ष यह है कि के बारे में एफ. आई. आर. में दिए गए बयानों के आलोक में सराहना की गई

कार को तेज और लापरवाही से और बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है।

पार्क करें जिसके परिणामस्वरूप कार उल्टा हो गई/पलट गई और आग भी लग गई।] इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बचूभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1, यह

निम्नलिखित रूप में पाया गया:

आपराधिक मामले में आवश्यक सबूत की मात्रा दीवानी कार्यवाही में आवश्यक सबूत की तुलना में बहुत अधिक होती है, जो

साक्षय की पूर्व प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर निर्णय लिया जाता है। चालक ने धारा 279 के तहत अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अन्य दो अपराधों (आई. पी. सी. की धारा 427 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185) का परिणाम उपलब्ध नहीं कराया गया था। राज्य आयोग ने दुर्घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत को लागू करना भी उचित पाया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही, प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण, आयोग को

इसकी आवश्यकता नहीं थी आपराधिक या सिविल न्यायशास्त्र की तकनीकीताओं में जाएं। दुर्घटना की टक्कर ऐसी थी कि वाहन पलट गया और उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड के वाहन को सेवा में लगाना पड़ा। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राज्य आयोग ने यह भी पाया कि वहाँ

बीमा पॉलिसी की शर्त 4 का उल्लंघन होना ("

1 (1971) 3 एस. सी. सी. 930 सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बीमित व्यक्ति नुकसान की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएगा ")। यह पाया गया है कि दुर्घटना के समय, वाहन

जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था और चालक

शराब का सेवन किया, जो अपने आप में नीति की शर्तों का उल्लंघन था।

एन. सी. डी. आर. सी. का विवादित आदेश

12. एन. सी. डी. आर. सी. ने निम्नलिखित पाया है:

दर्ज करें कि वाहन के चालक ने पहले कुछ शराब ली थी उसने वाहन चलाया, उक्त रिकॉर्ड एक पुलिसकर्मी के बयान के रूप में उपलब्ध है जिसने कहा कि शराब की गंध चालक के मुंह से आ रही थी, बिल्कुल नहीं है

शराब की मात्रा को साबित करने के लिए सबूत जिसका उसने सेवन किया था

गाड़ी चलाने से पहले। मान लीजिए कि दुर्घटना के समय चालक के खून में शराब की मात्रा का पता लगाने के लिए उसकी कोई चिकित्सीय जांच नहीं की गई थी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, एक व्यक्ति है

यदि वह गाड़ी चलाते समय पाया जाता है, शराब प्रति सौ मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक पाई जाती है और शराब के स्तर को श्वास संश्लेषक के उपयोग से किए गए परीक्षण के माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, तो उसे सजा दी जा सकती है। मान लीजिए, ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया था और इसलिए, राज्य आयोग या यहां तक कि बीमाकर्ता के समक्ष भी कोई सबूत

उपलब्ध नहीं था यह साबित करने के लिए कि चालक के पास प्रति सौ 30 मिलीग्राम से अधिक शराब थी

रक्त का मिली, उस समय जब वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ।

इसलिए, बीमाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि बीमाकृत ने नीति की शर्तों का उल्लंघन किया, चालक है

शराब के प्रभाव में "।

13. इसके बाद, इसने रॉयल सुंदरम जनरल में अपने आदेश का उल्लेख किया।

रेंस कंपनी लिमिटेड v. दावूभाई बाबूभाई रावलिया

2018 की सायन याचिका संख्या 1296 दिनांक 04.09.2018, जो इस प्रकार है

बनाम :

" 6. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह है -

चाहे शराब की उपरोक्त निर्दिष्ट मात्रा के कारण हो चालक के खून में पाए जाने के कारण, उसे [2021] 14 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मादक शराब के प्रभाव में या नहीं। यह मुद्दा इस आयोग के विचार के लिए 2015 के लक्ष्मी रोहित आहूजा बनाम एस. बी. आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आर. पी. No.3249 मामले में आया, जिसमें 28.04.2016 पर निर्णय लिया गया और निम्नलिखित विचार था:

लिया गया:

6. एफ. आई. आर. के अनुसार, दुर्घटना के समय मृतक वाहन चला रहा था। के अनुसार मृतक के पेट और आंत के विसरा के संबंध में रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के रक्त में प्रति 100 ग्राम 120 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल था। इसलिए जो सवाल विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या एक व्यक्ति के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 120 मिलीग्राम अल्कोहल होने को इसके प्रभाव में कहा जा सकता है।

मादक पेय। यह सवाल उठ रहा है उपभोक्ता शिकायत में इस आयोग का विचार

2014 का नंबर 401 बेबी अपूर्वा राय बनाम। नया भारत आश्वासन कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. 03.9.2015 पर निर्णय लिया गया और

निम्नलिखित दृष्टिकोण लिया गया था:

3. स्विमिंग पूल में डूबने के समय मृतक के नशे में होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इस दलील की पुष्टि करने के लिए बीमा कंपनी पर भरोसा करने वाला एकमात्र सबूत यह है कि उसकी मृत्यु के समय वह मादक शराब के प्रभाव में था, प्रयोगशाला की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति 103.14 मिलीग्राम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति की सूचना दी गई है।

100 मृतक के रक्त का मिली।

4. मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र पर भरोसा और

टॉक्सिकोलॉजी, 24 वां संस्करण, शिकायतकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 103.14 मिलीग्राम/100 मिली रक्त की उपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मृतक मादक शराब के प्रभाव में था। उन्होंने उपरोक्त संदर्भित पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित उद्धरण पर भरोसा किया:

" आम तौर पर यह माना जाता है कि रक्त में 0.1 प्रतिशत अल्कोहल की सांद्रता वाला व्यक्ति समलैंगिक और जीवंत प्रतीत होता है, और जिन लोगों के रक्त में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। रक्त में 0.15 प्रतिशत अल्कोहल की सांद्रता ओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

मोटर वाहन चलाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रक्त में अल्कोहल की इस सांद्रता को माना जाता है सुरक्षा की एक अनुमानित सीमा, और 4 से 5 के 8 औंस व्हिस्की की तेजी से खपत के परिणामस्वरूप हो सकती है।

बीयर के पिंट।

शराब अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग कार्य करती है और अलग-अलग समय पर एक ही व्यक्ति पर भी। कार्रवाई ज्यादातर पर्यावरण पर निर्भर करती है और

व्यक्तियों का तापमान और सेवन की गई शराब के डाइल्यूशन की डिग्री पर। आदतन पीने वाला आमतौर पर शराब की एक ही खुराक से कम प्रभाव दिखाता है। बार्बिटचूरेट्स, बेंज़ोडायज़ेपींस,

एंटीहिस्टामाइन, ट्रैंक्विलाइज़र, क्लोरप्रोमाज़िन और

इंसुलिन, शराब की क्रिया को प्रबलित करता है, जबकि

मिरगी या व्यक्ति जो सिर से पीड़ित हैं

चोट एक छोटे के लिए एक बढ़ा हुआ प्रभाव दिखा सकता है

शराब की मात्रा "। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि लेखक की राय में, रक्त में अल्कोहल का प्रतिशत प्रति 100 मिली रक्त में अल्कोहल की मात्रा के मामले में 0.20% होगा।

200 मिलीग्राम है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसके पास 200 मिलीग्राम अल्कोहल प्रति 100 मिली है। यदि हम उपरोक्त राय के अनुसार देखते हैं तो उनके रक्त को मध्यम नशे में कहा जा सकता है। 0.15% शराब की सांद्रता वाला व्यक्ति

वाहन। 0.15 % रक्त में शराब केवल तभी आती है जब उसके पास 150 मिलीग्राम अल्कोहल प्रति 100 मिली है। उसके खून से।

बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने डब्ल्यू. डब्ल्यू. द्वारा लिखे गए एक लेख पर भरोसा किया, जिसका शीर्षक था "मादक शराब के प्रवाह के तहत"।

हॉर्नटन और इंडियाना लॉ में 11.01.1928 पर प्रकाशित

आर्नल। उपरोक्त संदर्भित वाहन में विचार किया गया प्रश्न यह था कि एक ऑटर वाहन के चालक को "विषाक्त शराब या मादक पदार्थों के प्रभाव में" होने के लिए किस स्थिति में होना चाहिए? लेखक

न्यायपालिका से निम्नलिखित टिप्पणियों का पता लगाया

उनके द्वारा विचार की गई घोषणाएँ:

नसें स्पष्ट रूप से उत्तेजित होती हैं या शराब से उनका निर्णय बिगड़ जाता है। " नशे की हालत का अर्थ है कि यदि व्यक्ति ऐसी स्थिति में था कि वह इस बात पर ध्यान देने में असमर्थ था कि वह क्या कर रहा था, तो वह कौन सा व्यक्ति था।

विवेकपूर्ण और उचित बुद्धिमत्ता देगा "।

या बातचीत, जब उसका सामान्य निर्णय और सामान्य ज्ञान बाधित होता है, या उसकी सामान्य इच्छा शक्ति अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है, जब वे या समान

लक्षण शराब के उपयोग से उत्पन्न होते हैं और प्रकट होते हैं, फिर व्यक्ति 'नशे में धुत' होता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को 'मृत' कहा जाए।

नशे में या निराशाजनक रूप से नशे में। यह पर्याप्त है कि नशे में धुत व्यक्ति को शराब बेचने वाले सैलून कीपर के खिलाफ नुकसान की वसूली को अधिकृत करने वाले क़ानून के अर्थ के भीतर मादक शराब के उपयोग से उसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से नष्ट या विचलित हो जाती है।

मादक पेय जो उस पर इस तरह काम करता है, कि यह उसके कार्यों, या आचरण या गतिविधि को इतना प्रभावित करता है कि उसके संपर्क में आने वाली जनता या पक्ष आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि यह उस संबंध में उसे प्रभावित कर रहा था। प्रभाव के तहत उस हद तक एक आदमी शराब के बारे में जो पक्ष उसके संपर्क में आते हैं, या उसे देखते हैं, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि वह शराब के प्रभाव में था, उसके आचरण या उसके शब्दों या उसकी गतिविधियों से, यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि ऐसा पक्ष नशे में था।

जब भी कोई व्यक्ति शराब के प्रभाव में होता है ताकि वह पूरी तरह से खुद पर न रहे, तो वह नशे में होता है; हालाँकि वह सीधा चल सकता है 'हालाँकि वह ओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो सकता है।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपने व्यवसाय में भाग लेते हैं, और कोई बाहरी राशि नहीं दे सकते हैं

और आकस्मिक पर्यवेक्षक को दिखाई देने वाले संकेत कि वह नशे में है, फिर भी अगर वह शराब के प्रभाव में है ताकि वह खुद पर न रहे, ताकि वह इससे उत्साहित हो, और बुद्धि की उस स्पष्टता को प्राप्त न करे और

स्वयं पर वह नियंत्रण जो अन्यथा उसके पास होता,

वह नशे में है "।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि विरोधी पक्ष के विद्वान वकील द्वारा जिस अनुच्छेद पर भरोसा किया गया है, वह किसी व्यक्ति के रक्त में पाई जाने वाली शराब की मात्रा पर आधारित नहीं है। यह लेख इस सवाल में नहीं जाता है कि किसी व्यक्ति के रक्त में एथिल अल्कोहल की कितनी मात्रा इस निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि वह मादक शराब के प्रभाव में था।

विरोधी पक्ष के विद्वान वकील ने भी ल्यों के मेडिकल में निम्नलिखित जानकारी पर झूठ बोला है।

रिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी:

" अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने नशा के संबंध में निम्नलिखित नीतिगत बयान को अपनाया है-"0.10% की रक्त शराब को मादक नशा के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यह मानते हुए कि कई व्यक्ति 0.05 से 0.10% सीमा में प्रभाव में हैं।" यू. एस. ए. 1962 के समान वाहन संहिता के मानक इस प्रकार हैं: 0.05% या उससे कम की रक्त शराब एक धारणा को बढ़ाती है कि विषय मादक पेय के प्रभाव में नहीं था; 0.05% से अधिक लेकिन 0.10% से कम रक्त शराब नशा या संयम की कोई धारणा नहीं बढ़ाती है; 0.10% या उससे अधिक की रक्त शराब शराब के प्रभाव को बढ़ाती है। यह धारणा कि विषय प्रभाव में था

मादक पेय का "।

विभिन्न देशों में निर्धारित सीमा

अनुमेय रक्त अल्कोहल निम्नानुसार है:

30 मिग्रा%

भारत

100 मिग्रा%

अमेरिका

40 मिग्रा%

चिकित्सा-कानूनी संदर्भ में उपयोग की जाने वाली शब्दावली: द.

मेडिको में निम्नलिखित शब्दावली का उपयोग किया जाता है-कानूनी

मामले। इनका सही अर्थ समझा जाना चाहिए।

रक्त में अल्कोहल की मात्रा कम होना

10 मिलीग्राम% से अधिक

शराब पीना-रक्त में अल्कोहल की मात्रा 20

70 मिग्रा%

शराब के प्रभाव में-रक्त शराब

80-100 mg% की सांद्रता

नशे में या नशे में धुत रक्त शराब

150-300 mg% की सांद्रता

रक्त शराब

कोमा और मृत्यु 400

मिलीग्राम% से अधिक सांद्रता।

उपरोक्त संदर्भित पाठ्य पुस्तक के अनुसार, एक व्यक्ति के अधीन है

रक्त की सांद्रता 80-100 मिलीग्राम/100 मिली है। द. ऊपर उल्लिखित पाठ्य पुस्तक से यह भी पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका,

जो सबसे उदार है, जहाँ तक शराब की मात्रा की बात है

जिसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय खा सकता है केवल 100 मिलीग्राम अल्कोहल/100 मिली एल्कोहल की अनुमति है।

खून। यह आगे दिखाता है कि अगर शराब की मात्रा है

नशा। रक्त में शराब का प्रतिशत। 1 % आता है। जब रक्त में एथिल अल्कोहल की मात्रा है

100 रक्त का मिलीग्राम/100 मिली। इस प्रकार, अगर हम जाते हैं

मोदी की पाठ्य पुस्तक, एक व्यक्ति, जिसने कम खाया है 150 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल प्रति 100 मिली। उसके खून से,

यह नहीं कहा जा सकता कि वह नशे के प्रभाव में है, जबकि ल्यों की पाठ्य पुस्तक के अनुसार, एक व्यक्ति

प्रति 100 मिली रक्त में 100 मिलीग्राम या उससे अधिक होने पर

कहा जाता है कि वह शराब के प्रभाव में था।

राष्ट्रीय औषधि में चिकित्सकों के लिए एक नियमावली में

आश्रित उपचार केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

एडिकल साइंसेज, नई दिल्ली शराब के प्रभाव

एन निम्नलिखित रूप में कहा गया है:

कियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. PEARL BEVERAGES LTD. [के. एम. जोसेफ, जे.]

बीएसी

प्रभाव

मिलीग्राम/डीएल

उत्साह, आराम की भावना और स्वतंत्र रूप से बात करना, हाथों और पैरों की अनाड़ी गति, कम हो गई

< 80

सतर्कता लेकिन खुद को सतर्क मानता है। शोर, मूडी, बिगड़ा हुआ निर्णय, बिगड़ा हुआ

< 80

चालन क्षमता इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, धुंधली दृष्टि, अस्थिर चाल, सकल मोटर समन्वय, अस्पष्ट भाषण, आक्रामक,

100-200

झगड़ालू, ज़ोर से बात करना। अनुभव के लिए स्मृतिभ्रंश-ब्लैकआउट।

200-300 300-350

कोमा

मृत्यु का कारण या योगदान हो सकता है

355-600

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि उपरोक्त के संदर्भ में

एम्स द्वारा जारी संदर्भित संकलन, यदि मात्रा

रक्त में अल्कोहल की मात्रा 100 मिलीग्राम या उससे अधिक होती है। / डीएल (100 मिली), यह दृष्टि को धुंधला कर देता है, चाल बन जाती है अस्थिर हो जाता है और समन्वय प्रभावित हो जाता है। हमारी राय में, ये परिवर्तन केवल तभी हो सकते हैं जब कोई उस समय तक पहले से ही शराब के

प्रभाव में हो। शराब पीने वाले की निर्णय क्षमता के साथ-साथ उसकी गाड़ी चलाने की क्षमता भी प्रभावित होती है, भले ही उसमें शराब की मात्रा हो।

रक्त प्रति 100 मिली रक्त में 80 मिलीग्राम या उससे अधिक होता है।

8. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने एल. आई. सी. ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. में इस आयोग के निर्णय पर भरोसा किया है। बनाम रंजीत कौर तृतीय (2011) सी. पी. जे. 232 (एन. सी.), जहाँ रक्त में शराब की मात्रा 86.2 मिलीग्राम पाई गई। /100 खून की मिली। शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए, इस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा:

इसके अंतर्गत:

" यह भी प्रमाण में आया है कि यह अपने आप में है

उनकी मृत्यु के समय। जैसा कि उचित रूप से देखा गया है के विशिष्ट नैदानिक चित्र के बारे में नीचे अध्ययन किया गया है

आम तौर पर निर्धारित सीमा से भी अधिक शराब का सेवन यह नशे का निर्णायक प्रमाण नहीं है।

अलावा

यह, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि बिजली के झटके से हुई मौत के बीच कोई संबंध था और

शराब का सेवन "।

9. विरोधी पक्ष के विद्वान वकील, पर दूसरी ओर भारत के एल. आई. सी. और ए. एन. आर. में इस आयोग के निर्णय पर भरोसा किया गया है। बनाम प्रियंका सिंह

2014 की पहली अपील No.368 ने 14.10.2005 पर निर्णय लिया। उपरोक्त संदर्भित मामले में, बीमित व्यक्ति के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 109.92 मिलीग्राम एथिल अल्कोहल पाया गया। शिकायत को खारिज करते हुए, इस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

" चिकित्सा साहित्य के अनुसार, "एच. डब्ल्यू. वी. सी. ओ. एक्स. 'मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी', सातवें संस्करण पी. सी. दीक्षित" को रिकॉर्ड में लाया गया है, जिसमें शराब के नशे के तीन चरण हैं, जो इस प्रकार हैं:

" उत्तेजना की अवस्था (50 से 150 मिलीग्राम प्रतिशत)

सामान्य तौर पर अच्छे होने की भावना, थोड़ा उत्साह, आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्म-नियंत्रण की कमी देखी जाती है। यौन इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन प्रदर्शन कम हो जाता है। दृश्य तीक्ष्णता कम हो जाती है। यह समय और स्थान अभिविन्यास को भी बदल देता है। खराब निर्णय है

और मानसिक एकाग्रता मंद हो जाती है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील

उपरोक्त संदर्भित मामले में 'जैव रसायन' की पाठ्य पुस्तक पर भरोसा किया गया था जिसके अनुसार 50-150 mg की मात्रा को पूर्व-नशा के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें अस्थिरता के संकेत हैं, तंत्रिका-पेशी समन्वय में कमी आई है और निर्णय और नियंत्रण की आवश्यकता है।

त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए जैसे कि कार चलाना बिगड़ा हुआ है। जबकि मादक अवस्था में (150-300 mg/dl) बोलने में

बिगड़ा हुआ है और मोटर कौशल असंबद्ध हैं।

हालांकि, चिकित्सा साहित्य पर निर्भर

अपीलार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत, यह

आयोग ने माना कि मृतक के अधीन था

उसके रक्त के नमूने में शराब के सेवन के परिणामस्वरूप नशा, जिससे वह दोहरी दुर्घटना नीति के लाभों के लिए अयोग्य हो जाता है।

यह कियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होगा। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त संदर्भित मामले में, बीमित व्यक्ति मादक शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं थी।

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो इस देश का सबसे प्रमुख चिकित्सा संस्थान है, द्वारा जारी नियमावली में व्यक्त राय को ध्यान में रखते हुए, हम इसमें व्यक्त राय को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। मोदी का चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान,

विशेष रूप से जब एम्स की राय भी मिलती है

ल्योन में व्यक्त राय से पुष्टि

चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान। हालाँकि, यह शराब पीने के बाद गाड़ी चलाते समय मृत्यु का मामला नहीं है, शराब की अधिकतम मात्रा की अनुमति है

किसी व्यक्ति के लिए मोटर वाहन चलाने के लिए विभिन्न देशों को पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि निर्धारित मात्रा से अधिक शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक उस पर शराब के प्रभाव के कारण दुर्घटना न करे। दुर्घटना के मामलों को बाहर करने के पीछे बीमाकर्ता का उद्देश्य जब बीमाकृत है

मादक शराब के प्रभाव में यह सुनिश्चित करना है कि

शराब के सेवन से दुर्घटना नहीं होती है जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है। इसलिए, एक सुरक्षित सीमा से अधिक शराब का सेवन अनिवार्य रूप से बीमित व्यक्ति को उसके द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित किसी भी देश में मोटर वाहन के चालक के लिए अनुमत शराब की मात्रा 100 मिलीग्राम/100 मिली रक्त से अधिक नहीं है।

देश में यह केवल 30 मिलीग्राम/100 मिली रक्त है। इसलिए, हमारी राय में, यदि किसी व्यक्ति को सेवन करते हुए पाया जाता है 103.14 मिलीग्राम शराब/उसके रक्त के 100 मिली से अधिक, जो हमारे सामने मामले में स्थिति है, यह कहना उचित होगा कि वह के प्रभाव में था

जिस समय उनकी मृत्यु हुई या वे घायल हुए, उस समय की मादक शराब। हम प्रियंका सिंह (ऊपर) में इस आयोग के निर्णय से इस दृष्टिकोण को अपनाने में दृढ़ हैं। जहाँ तक रंजीत कौर (उपरोक्त) मामले में इस आयोग के निर्णय का संबंध है, हम पाते हैं कि [2021] 14 एस. सी. आर. में शराब की मात्रा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस मामले में बीमित व्यक्ति का रक्त 86.2 मिलीग्राम था, जो

यह मृतक सूर्य किरण के खून में पाए जाने वाले अल्कोहल की मात्रा से बहुत कम थी।

हालांकि रंजीत कौर (ऊपर) में, इस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि शराब के सेवन में बिजली के झटके से होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं था।

उपरोक्त अवलोकन केवल एक आज्ञाकारी है और मामले के अनुपात निर्णय का गठन नहीं करता है। वास्तव में, उपरोक्त आज्ञाकारी बीमा पॉलिसी की व्यक्त शर्तों के विपरीत है जो बीमाकर्ता को इसके प्रावधानों से मुक्त करता है।

पॉलिसी के तहत दायित्व, यदि बीमित व्यक्ति दुर्घटना के समय मादक शराब के प्रभाव में था और पॉलिसी के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।

दुर्घटना और दुर्घटना के मामले के बीच दिखाया जाने वाला संबंध

शराब का सेवन "।

14. आगे यह पाया गया कि रंजीत कौर (उपरोक्त) के मामले में, जिसे संदर्भित किया जाता है, रक्त के नमूने में शराब की मात्रा पाई गई थी।

यह 86.2 मिलीग्राम था और यह अभी भी पाया गया कि चालक नशे में नहीं था। वर्तमान मामले में, यह पाया गया है कि चालक के खून में शराब की मात्रा के बारे में कोई सबूत नहीं है। अपीलार्थी की जिम्मेदारी थी

बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि शराब की मात्रा कम से कम 30 मिलीग्राम थी और इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत निर्धारित सीमा को पार कर गई थी। एन. सी. डी. आर. सी. ने अपील को स्वीकार कर लिया और राज्य आयोग के आदेश को दरकिनार कर दिया और अपीलार्थी को प्रतिवादी के नुकसान का आकलन करने और शिकायत की तारीख से छह सप्ताह के भीतर प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

दलों की प्रस्तुतियाँ

15. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री शिवम सिंह और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन को सुना।

16. विद्वान वकील श्री शिवम सिंह ने तर्क दिया कि यह एक स्पष्ट मामला है जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में निर्दोष सामग्री है यह स्थापित किया कि कार एक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी जो मादक शराब के प्रभाव में था। तेज गति और जिस तरीके से दुर्घटना हुई, अर्थात। , वाहन खंभे से टकरा रहा है,

कछुए को मोड़ना और आगे आग पकड़ना, इस तथ्य के साथ कि एफ़. आई. आर. और एम. एल. सी. से संकेत मिलता है कि चालक को शराब की गंध आई. एफ. एफ. सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए पर्याप्त थी।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपवर्जन खंड को आकर्षित करें और अपीलार्थी की रक्षा करें। का प्रभाव

दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप कार पूरी तरह से नष्ट हो गई, इस बात पर जोर दिया जाता है कि परिस्थितियाँ मौजूद थीं जो हकदार थीं अपीलार्थी विशेष रूप से प्रदान किए गए बहिष्करण खंड के अनुरूप भारी वित्तीय बोझ से खुद को बाहर निकालने के लिए। उन्होंने वी. किशन राव बनाम में निम्नलिखित निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। निखिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और दूसरा। इसमें, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 13. जिला फोरम के समक्ष, प्रतिवादी 1 की ओर से, यह था

उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 61,64,74 और 75 के प्रावधानों का पालन किए बिना यशोदा अस्पताल के रिकॉर्ड को साबित करने की मांग की। फोरम ने आपत्ति को खारिज कर दिया, और हमारे विचार में सही है कि उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायतों का संक्षिप्त रूप से परीक्षण किया जाता है और साक्षय अधिनियम लागू नहीं होता है।

यह न्यायालय मलय कुमार गांगुली बनाम में आयोजित किया गया था। डॉ. सुकुमार

मुखर्जी [(2009) 9 एससीसी 221: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 299] कि साक्षय अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और मंच

अधिनियम के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है (देखें

पैरा 43, पृ. 252 रिपोर्ट)।

17. उक्त निर्णय चिकित्सा लापरवाही के संबंध में एक शिकायत के संबंध में दिया गया था और जो सवाल उठा था, वह यह था कि क्या ऐसी चिकित्सा लापरवाही को साबित करने के लिए विशेषज्ञ साक्षय की आवश्यकता थी। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में भी निर्णय दिया:

" 50. ऐसे मामले में जहां लापरवाही स्पष्ट है, शिकायतकर्ता को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है और शिकायतकर्ता को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में प्रत्यर्थी को यह साबित करना है कि उसने ध्यान रखा है और अपना कर्तव्य निभाया है -

लापरवाही के आरोप को दूर करें "।

18. उन्होंने आगे बताया कि अदालत वाहन के चालक द्वारा स्थापित मामले की प्रकृति की सराहना कर सकती है। यह इंगित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वाहन जल्दबाजी और लापरवाही से नहीं चलाया गया था। फिर भी, आपराधिक मामले में, चालक ने दोषी ठहराया और सजा, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आपराधिक अदालत द्वारा सुनाई गई। इससे, संदेह से परे, यह स्थापित हुआ कि प्रतिवादी का मामला कि कार को जल्दबाजी और लापरवाही से नहीं चलाया जा रहा था, गलत था। इसने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के मामले की संभावना जताई कि कार को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था और यह केवल इस तथ्य के कारण है कि

चालक नशे की हालत में था। इस संबंध में साक्षय एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और एम. एल. सी. द्वारा और मजबूत किया जाता है। उन्होंने आगे शिकायत की कि एन. सी. डी. आर. सी. ने यह मानते हुए पूरी तरह से गलती की है कि चालक के खून में शराब की मात्रा साबित करने का बोझ बीमाकर्ता पर था। उन्होंने

बीमाकर्ता पर इस तरह के दायित्व को पूरा करने के लिए सरासर असंभव रूप से इंगित करेगा। वह घोषणा की शुद्धता पर सवाल उठाएगा। 19. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन, सबसे पहले, अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अन्वेषक की रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। वह इंगित करेंगे कि रिपोर्ट से पता चलेगा कि सूचित किए जाने पर, जांचकर्ता सुबह-सुबह घटनास्थल पर बहुत अधिक था और फिर भी, उसके खून में शराब के स्तर का पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

ड्राइवर। यह बीमाकर्ता के लिए शराब के स्तर को साबित करने की असंभवता के बारे में आशंका का पर्याप्त रूप से मुकाबला करता है। इस संबंध में उन्होंने पूछताछ में पूछे गए प्रश्नों और प्राप्त उत्तरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जहां तक आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, वह प्रस्तुत करेंगे कि यह केवल दलील सौदेबाजी का मामला था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित था। अपराध, जो विवादास्पद खंड के लिए प्रासंगिक है, वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत विचार किया गया है और इसे चालक के खिलाफ लागू/साबित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रयास यह तर्क देने के लिए प्रतीत होता है कि सबसे खराब स्थिति में लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला स्थापित किया जा सकता है, जो शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने के समान नहीं है। उन्होंने बाचुभाई हसनल्ली में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त करने की भी मांग की।

एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा स्वयं पारित किया गया और यह उन रेखाओं पर प्रतीत होता है, जो विवादित आदेश में ही इंगित की गई हैं, जैसा कि हमने देखा है। उन्होंने आगे बताया कि कार में आग लग गई क्योंकि कार का ईंधन टैंक सामने स्थित है। 20. बचूभाई हसनल्ली कार्यानी (उपरोक्त) मामले में, न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 117 के तहत एक मामले पर विचार कर रहा था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 4. विद्वान वकील का तर्क है कि अपीलार्थी को भारी सजा दी गई है क्योंकि उसे पाया गया था उस रात मैं नशे में था। उनका कहना है कि अपीलार्थी की जांच करने वाले डॉ. कुलकर्णी ने अपना निष्कर्ष केवल इन तथ्यों पर आधारित किया कि टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थी की साँस से शराब की बदबू आ रही थी, कि उसकी चाल अस्थिर थी, कि उसका भाषण असंगत था और उसके पुतले फैले हुए थे। डॉक्टर ने स्वीकार किया था कि एक व्यक्ति, में रखा गया था जिन परिस्थितियों में अपीलार्थी को दुर्घटना के परिणामस्वरूप रखा गया था, वह एक तंत्रिका तनाव में होगा और उसकी चाल अस्थिर हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी स्वीकार किया था कि एक व्यक्ति शराब के प्रभाव में आए बिना शराब की गंध ले सकता है। अपीलार्थी का कोई मूत्र परीक्षण नहीं किया गया था और हालाँकि अपीलार्थी का रक्त रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा विश्लेषण की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

5. हमें ऐसा लगता है कि इस साक्षय पर यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी नशे में था।

अंतरण

21. "मादक शराब के प्रभाव में" अभिव्यक्ति बीमा अनुबंध में हाल ही में उत्पन्न हुई प्रतीत नहीं होती है। इसमें है।थोड़ी देर के लिए चारों ओर। इस संबंध में, हम अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं। मैर में (एडमिनिस्ट्रेटर) v. रेलवे पैसेंजर्स रेंस कं. (लिमिटेड) 3, लॉर्ड कॉलरिज, मुख्य न्यायाधीश ने "नीचे" शब्दों के साथ काम करते हुए विंग टिप्पणियाँ कीं।

मादक शराब का प्रवाह ", और निम्नानुसार आयोजित किया गया:

एक बिंदु है जिससे परे यह निश्चित रूप से बाधा डालता है-इसे परेशान करता है। मैं स्वीकार करता हूं कि भाषा में भी-निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा में-यह सटीक रूप से पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वह कहाँ है। मुद्दा है; लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक बिंदु है, और ऐसा लगता है

मेरे लिए ये शब्द संतुष्ट होंगे जब के प्रभाव

मादक शराब वास्तव में परेशान करने वाली पाई जाती है।

शराब पीने वाले व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं का शांत और समान अभ्यास। बेशक, अगर मुझे लगता है कि मुझे संतुष्ट करने के लिए सबूत हैं कि इस मामले में नशा था

दुर्घटना में योगदान करने के बिंदु पर जाने के लिए पर्याप्त है, यह

यह एक फोर्टिओरी का अनुसरण करता है कि यह परेशान करने वाले बिंदु पर आ गया था जो मुझे लगता है, अपने लिए बोलते हुए, शब्दों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा।

परंतुक का "।

22. वास्तव में, यह ऐसा मामला नहीं था जहां वाहन चलाया जा रहा था और यह आरोप लगाया गया था कि चालक शराब के नशे में था। उस पर

महिला की कंपनी। चोट लगने से उनकी मौत हो गई। बीमा कंपनी एक खंड के तहत सुरक्षा की मांग की गई जिसमें देयता को बाहर रखा गया है यदि बीमाकृत शराब के नशे के प्रभाव में था।

23. लगभग एक शताब्दी बाद, लाउडैन बनाम में। ब्रिटिश व्यापारी

वादी बीमा कंपनी लिमिटेड ने अपने पति को लगी शारीरिक चोट के संबंध में एक पॉलिसी के तहत दावा किया। बीमाकर्ता ने बहिष्करण खंड का आह्वान किया, जिसने इसे फिर से उस मामले में संरक्षित किया जहां व्यक्ति नशीली दवाओं या मादक शराब के प्रभाव में था। यह एक मामला था

" नशीली दवाओं या मादक शराब के प्रभाव में रहते हुए, उनके अर्थ के बारे में इतना अनिश्चित था कि कोई प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए

उन्हें "। लॉटन, जे। , इस विवाद से निपटने के दौरान मैर (एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स) (उपरोक्त) से समर्थन प्राप्त हुआ, और इसके अलावा, उसमें निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया गया। हम निम्नलिखित के लिए विज्ञापन दे सकते हैं:

" ..... मेरे सामने पॉलिसी के छूट खंड में उपयोग किए गए शब्द शायद कई वर्षों से चोट के खिलाफ आश्वासन देने वाली नीतियों में उपयोग किए जाते रहे हैं। अभियुक्तों के वकील को संदर्भित किया गया मैर वी . रेलवे यात्री आश्वासन कंपनी लिमिटेड उस मामले में नीति में यह प्रावधान किया गया था कि जब बीमित व्यक्ति मादक शराब के प्रभाव में था, तब होने वाली किसी भी मौत या चोट पर आश्वासन का विस्तार नहीं होना चाहिए। यह मामला लॉर्ड कॉलरिज सी. जे. और जे. डेनमैन के समक्ष इस आधार पर एक नए मुकदमे के लिए एक आवेदन के माध्यम से आया कि फैसला साक्षय के भार के खिलाफ था। दोनों न्यायाधीशों ने इन शब्दों का अर्थ लगाया, "जबकि बीमाकृत मादक शराब के प्रभाव में है", हालाँकि उनके निर्णय के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं था। न ही

ऐसा लगता है कि शब्द इतने अनिश्चित थे कि

निर्माण करने में असमर्थ। दोनों की राय थी कि ये शब्द संकायों की गड़बड़ी को दर्शाते हैं, लॉर्ड कोलरिज

"जैसा कि एक आदमी के दिमाग के संतुलन को बाधित करता है" शब्दों का उपयोग करना, और डेनमैन जे. शब्द "संकायों के शांत, शांत, बुद्धिमान अभ्यास को परेशान करना"। श्री एवरेट, जिनके मामलों में अनुभव

ये शब्द। उन परिस्थितियों में, मैं पाता हूं कि शब्द इतने अनिश्चित नहीं हैं कि निर्माण करने में असमर्थ हैं, और मैं मैर v में निर्माण को अपनाता हूं। रेलवे यात्री आश्वासन कंपनी। लिमिटेड, हालांकि उन्हें उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में व्यक्त किया गया है। मैं कोई विवरण नहीं देता, क्योंकि ऐसा करने से भ्रम पैदा हो सकता है जहां बीमाकर्ताओं और पॉलिसी धारकों के बीच इस अवधि के दौरान कोई अस्तित्व नहीं रहा होगा।

पिछले 84 साल। "

24. यह शराब के प्रभाव में कथित रूप से गाड़ी चलाने का मामला था। मृतक शराब (बीयर) पीने के बाद एक दोस्त के साथ कार में यात्रा कर रहा था। वे शांत प्रतीत होते थे। जबकि, मोटर कार ने एक मोड़ पर बातचीत करने का प्रयास किया और यह चेतावनी चौकी से टकरा गई और एक दुर्घटना हुई, वाहन एक खाई में गिर गया। अदालत ने पाया कि रक्त अल्कोहल 100 मिली में 260 मिलीग्राम था और बीमाकर्ता के पक्ष में था।

स्कॉटलैंड से एक मामला

अब सुप्रीम कोर्ट में, प्रतिवादी (डिफेंडर के रूप में वर्णित) ने एक पिंट या अधिक से अधिक डेढ़ पिंट लेजर (एक प्रकार की बीयर) का सेवन करने के बाद एक कार चलाई और एक दुर्घटना हुई जिसमें दो यात्रियों की मौत हो गई। विधवाओं द्वारा की गई एक कार्रवाई में, बीमाकर्ता (जिसे तीसरे पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है) ने पॉलिसी में एक अपवाद पर भरोसा किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके दायित्व को शामिल नहीं किया गया था यदि चालक मादक शराब के प्रभाव में था। न्यायालय के लॉर्ड प्रेसीडेंट, जिनसे अन्य दो न्यायाधीश सहमत थे, ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" उनका अर्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वीकार किया है, "मादक शराब के ऐसे प्रभाव में जो मनुष्य के मन के संतुलन को बाधित करता है।" यह अर्थ उन्हें लॉर्ड कॉलरिज सी. जे. द्वारा मेर बनाम में दिया गया था। रेलवे यात्री आश्वासन कंपनी, 1877 37 एल. टी. 356

जिसमें जे. डेनमैन ने स्थिति को "परेशान करने वाली" के रूप में संदर्भित किया। संकायों का शांत शांत बुद्धिमान अभ्यास ", और लॉडन बनाम के बाद के मामले में जे. लॉटन द्वारा अपनाया गया अर्थ था।

ब्रिटिश मर्चेंट्स इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड, 1961 1 डब्ल्यू. एल. आर. 798. केवल सिद्ध तथ्य हैं (i) एक पिंट लेजर के रक्षक द्वारा स्वीकृत उपभोग और (ii) दुर्घटना की घटना। लार्ड ऑर्डिनरी को भरोसा करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उन्होंने इन तथ्यों पर भरोसा किया था कि रक्षक ने खाली पेट लेजर पिया था और था

शराब के आदी नहीं थे क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि इनमें से किसी भी तथ्य ने इसे अधिक संभावित बना दिया कि शराब की मात्रा का सेवन रक्षक की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जहाँ तक लॉर्ड ऑर्डिनरी डिफेंडर की कार के अनियमित और अस्पष्टीकृत व्यवहार को संदर्भित करता है, इसे केवल दुर्घटना के समय कार की गति के संदर्भ के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप, डिफेंडर के अनुसार, पीछे के पहिये या तो कर्ब या सड़क की सतह पर किसी वस्तु से टकराते हैं। दुर्घटना की घटना क्षणिक असावधानी या एकाग्रता की हानि के परिणामस्वरूप स्पष्ट है और यह कहना सरासर अटकल है कि रक्षक के एक या डेढ़ पिंट लेजर के सेवन ने उसे शराब के ऐसे प्रभाव में डाल दिया था जिससे उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह विचार करना प्रासंगिक था कि यह मोटर कार की पूरी तरह से अस्पष्ट और असाधारण गति का मामला था जिसे रक्षक ने कुछ वर्षों से दुर्घटना मुक्त चलाया था। यह. उन्होंने कहा कि सड़क यातायात अधिनियम 1960 की धारा 1 (1) के उल्लंघन के आरोप में बचाव पक्ष द्वारा दायर याचिका के संबंध में इस संबंध में प्रासंगिक है।

मेरी राय में, इस मामले में डिफेंडर का समर्पण अच्छा है।

स्थापित किया गया। लॉर्ड ऑर्डिनरी, मेरे विचार में, इस तथ्य को ध्यान में रखने के हकदार नहीं थे कि रक्षक द्वारा नशे में धुत लेजर था

खाली पेट सेवन किया और वह शराब के आदी नहीं थे। चाहे कोई विशेष संयोजन हो या नहीं

परिस्थितियों से शराब के एक विशेष सेवन के प्रभावों में वृद्धि होने की संभावना है (जैसा कि लाउडैन में हुआ था)। इस मामले में यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि विचाराधीन परिस्थितियाँ तटस्थ के अलावा अन्य थीं। मेरी राय में, रक्षक के दोषी होने की याचिका को भी कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है। भगवान सामान्य ने इसे कोई महत्व नहीं दिया। जैसे ही यह याद किया जाता है कि इस तरह की

याचिका स्पष्ट हो जाती है कि थोड़ी सी लापरवाही भी को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने की है।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

जनता के लिए खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए दोषसिद्धि को उचित ठहरा सकते हैं। इन परिस्थितियों में लॉर्ड ऑर्डिनरी द्वारा तैयार किया गया "अनुमान" केवल इस बात पर निर्भर करता है कि (i) एक पिंट लेजर का प्रमाणित उपभोग और संभवतः-केवल आधा पिंट और (ii) दुर्घटना की घटना जैसा कि साक्षय में सामने आया है। दुर्घटना से पहले रक्षक की ओर से या उसकी कार की ओर से किसी भी व्यवहार का एक भी प्रमाण नहीं था, जो इस बात की ओर इशारा करता था कि उसने जिस शराब का सेवन किया था, वह किसी भी भौतिक सीमा तक रक्षक के दिमाग के संतुलन को प्रभावित करती थी। इसे लागू करने के लिए अपवाद के लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बचावकर्ता ने दावा होने से कुछ समय पहले एक विशेष मात्रा में शराब का सेवन किया था। मेरी राय में केवल इस बात का प्रमाण है कि रक्षक ने अधिक से अधिक डेढ़ पिंट लेजर का सेवन किया था और यह कि वह बाद में कार चला रहा था जब वह वर्णित तरीके से पश्चिम की ओर दोहरे कैरिजवे से निकला था, इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहराता है कि वह था 5 (ए) के अपवाद के अर्थ में नशे की शराब के प्रभाव में दुर्घटना के समय। दुर्घटना क्षणिक असावधानी के अनुरूप है और यह कहना कि वह उस समय शराब के प्रभाव में था, केवल इस मामले में साबित तथ्यों पर ही अटकलें लगाई जा सकती हैं।

26. लॉर्ड एवनसाइड ने अन्य बातों के साथ अपनी सहमति वाली राय में कहा कि

वीएसः

" प्रत्यर्थी का स्पष्टीकरण कि उसके पीछे के पहियों ने कुछ मारा था, एक ईंट या संभवतः कर्ब, या तो लॉर्ड ऑर्डिनरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था या, कम से कम, शराब से प्रभावित लापरवाही की ओर भी इशारा किया गया था। स्पष्ट रूप से भी लार्ड ऑर्डिनरी ने अपीलार्थी के इस दावे पर विश्वास नहीं किया कि उसने जो पेय लिया था, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

निर्णय। मेरे विचार से यह खेदजनक है कि दुर्घटना के संबंध में अधिक सबूत नहीं मिले। मुझे लगता है कि यह उपलब्ध होगा और शायद इसकी चूक को सामरिक माना जाता था। चाहे ऐसा हो, जिम्मेदारी प्रत्यर्थी पर थी। मेरी राय में, भगवान साधारण बहुत दूर चले गए हैं। जिस व्यक्ति का पेट खाली हो सकता है, उसके पीने के लिए उपयोग न किए गए व्यक्ति पर कम मात्रा में शराब के सेवन के संभावित प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। एक न्यायाधीश के रूप में लॉर्ड ऑर्डिनरी, मेरे विचार में, इस तरह के तथ्यों से सकारात्मक निष्कर्ष निकालने का हकदार नहीं है, उसके सामने कुछ सबूत के बिना और कोई भी नहीं था। दुर्घटना के बाद शराब की गंध थी, यह मुझे लगता है कि स्वीकार किया गया है, बस पूर्व [2021] 14 एस. सी. आर. के तथ्य का प्रमाण है।

शराब का सेवन। दुर्घटना की परिस्थितियाँ काफी उल्लेखनीय थीं, लेकिन अपीलार्थी ने जो कहा उससे समझाया जा सकता था। यह कि अपीलार्थी ने सड़क यातायात अधिनियम 1960 की धारा 1 (1) के तहत एक आरोप के लिए दोषी ठहराया, और लॉर्ड ऑर्डिनरी इसका महत्व समझता है, न तो यहाँ है और न ही वहाँ, लापरवाही की तुलनात्मक रूप से मामूली डिग्री को देखते हुए जिसे अदालतों ने उप-धारा को लागू करने के लिए पर्याप्त माना है। लेकिन प्रत्यर्थी के लिए सबसे अच्छे तथ्यों को देखते हुए मुझे इससे अधिक कुछ नहीं दिखाई देता है कि अपीलार्थी ने अपने जीवन में पहली बार खाली पेट कुछ शराब पी थी और उसके कुछ ही समय बाद वह एक बुरी दुर्घटना में शामिल हो गया था जो उसके पिछले सुरक्षित रिकॉर्ड से पता नहीं चलता कि

होने की संभावना है। " " 9

27. जाहिर है, कुछ समानताएं हैं क्योंकि हमारे सामने मामले के तथ्यों के बीच अंतर हैं। समानता इस तथ्य में निहित है कि

हमसे पहले मामले में ड्राइवर को भी शराब की बदबू आ रही थी। दूसरी समानता दुर्घटना की प्रकृति में है। हालाँकि, अंतर इस तथ्य में निहित है कि निर्दिष्ट मामले में, शराब की वास्तविक मात्रा और प्रकृति का प्रमाण था जिसका चालक द्वारा सेवन किया गया था। हमारे सामने मामले में, ड्राइवर द्वारा सेवन किए गए मादक पेय की सटीक प्रकृति को दर्ज करने का कोई सबूत नहीं है और उसके द्वारा सेवन की गई मात्रा के बारे में भी कोई सामग्री नहीं है। वास्तव में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे सामने मामले में चालक ने कब शराब का सेवन किया था। जबकि निर्दिष्ट निर्णय में न्यायालय के समक्ष मामले में प्रस्तुत साक्षय पर, उस समय के बारे में साक्षय था जब शराब का सेवन किया गया था। इसके अलावा चालक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि दुर्घटना कैसे हुई जब हमारे सामने कोई मामला नहीं है।

28. जहां तक सड़क यातायात अधिनियम, 1960 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, जो उक्त मामले में प्रतिवादी-चालक की याचिका पर आधारित थी, सड़क यातायात अधिनियम, 1960 की धारा 1 (1) पर ध्यान दिया जा सकता है:

" 1. लापरवाही या खतरनाक ड्राइविंग से मृत्यु का कारण: (1) एक व्यक्ति

जो सड़क पर लापरवाही से मोटर वाहन चलाकर, या गति से या इस तरह से जो जनता के लिए खतरनाक हो, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सड़क की प्रकृति, स्थिति और उपयोग, और यातायात की मात्रा जो वास्तव में उस समय है, या जो हो सकता है

उचित रूप से, सड़क पर, होने की उम्मीद की जाएगी, अभियोग पर दोषसिद्धि पर पांच साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए उत्तरदायी होगा। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

खाली पेट लेगर पिया, हम इसका समर्थन करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि जब कोई खाली पेट पीता है, तो सिस्टम में अल्कोहल का अधिक और तेजी से जलसेक होता है जिससे रक्त अल्कोहल एकाग्रता (बीएसी) का स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब खाली पेट शराब का सेवन किया जाता है, तो शराब पेट से छोटी आंत में बिना किसी रुकावट के चली जाती है, जहाँ से 80 प्रतिशत शराब निकलती है। शराब का अवशोषण होता है। इसलिए, यह वास्तव में अदालत के आकलन और निष्कर्ष में एक भूमिका निभाता है, जो अन्य परिस्थितियों को देखते हुए शराब के सेवन के निष्कर्ष का समर्थन करता है कि क्या शराब है।

दुर्घटना की घटना में योगदान दिया है। यह भी ध्यान में रखना अप्रासंगिक नहीं है कि एक व्यक्ति जो शराब सहिष्णु है जिसका अर्थ है कि शराब पीने का आदी हो गया है, विशेष रूप से मस्तिष्क शराब के सेवन को बनाए रखने और इसके प्रभाव से निपटने में सक्षम है।

जबकि जब कोई नौसिखिया या नौसिखिया शराब का सेवन करता है, तो इसके परिणाम होते हैं अलग होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति

31. दिलचस्प बात यह है कि बीमा अनुबंध की शर्तों में केवल शराब के सेवन और शरीर में इसकी उपस्थिति के आधार पर शराब के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व को शामिल नहीं किया जा सकता है। 2016 एन. सी. (10) 1939 में, जीवन और दुर्घटना बीमा पर एक दावे में, प्रश्नों में से एक यह था कि क्या न्यायालय के प्रभार में कोई त्रुटि थी

मादक पेय। विचाराधीन पॉलिसी में कोई चोट या मृत्यु शामिल नहीं थी जो बीमित व्यक्ति को हो सकती है, जबकि बीमित व्यक्ति के शरीर में शारीरिक रूप से मादक शराब या मादक पदार्थ मौजूद होते हैं। वेब बनाम में उत्तरी कैरोलिना का सर्वोच्च न्यायालय। इंपीरियल लाइफ इंस। कं., [इंक. 216 एन. सी. 10 (1939)] को उस आरोप की वैधता पर विचार करना पड़ा जो निचली अदालत ने जूरी को दिया था। न्यायालय ने आरोप को इस प्रकार देखा:

" अदालत आपको आगे निर्देश देती है कि एक नशे में धुत व्यक्ति नशे में धुत व्यक्ति है, एक नशे में धुत व्यक्ति नशे में धुत व्यक्ति है और [2021] 14 एस. सी. आर.

इसका अर्थ है-नशे में धुत होने का कानूनी रूप से यह अर्थ है कि व्यक्ति ने इस हद तक शराब का सेवन किया होगा कि वह उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमताओं या दोनों को काफी प्रभावित और बाधित कर सके। अदालत आपको आगे निर्देश देती है कि शराब के प्रभाव में या उससे प्रभावित होने का मतलब है कि व्यक्ति ने पर्याप्त मात्रा में शराब पी होगी जो उसके शरीर और उसके दिमाग, उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित या प्रभावित कर सके, दूसरे शब्दों में, यह सब आता है, कि उसने शराब पी है, कि उसके शरीर में मादक शराब है जिसका प्रभाव उसके आचरण को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि आपके लिए सवाल यह है कि क्या मृतक के शरीर में उसके प्रभाव और मृत्यु के समय पर्याप्त मात्रा में मादक शराब थी जिससे वह नशे में था या उसके आचरण और उसके आचरण और कार्रवाई को प्रभावित कर सकता था।

या उसके आचरण और कार्य को प्रभावित और प्रभावित करना। 32. न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

शराब या मादक शराब के प्रभाव में "। जबकि अदालत ने जूरी को प्रतिवादी के पक्ष में मुद्दे का जवाब देने का आरोप लगाते हुए इसका पालन किया, अगर वे मृत व्यक्ति को "उसके शरीर में मादक शराब मौजूद पाया", तो यह पिछले निर्देश को ठीक नहीं कर सका। इस प्रकार विद्वान न्यायाधीश ने अनजाने में प्रतिवादी पर यह भार न केवल चोट के समय बीमित व्यक्ति के शरीर में मादक शराब की शारीरिक उपस्थिति दिखाने के लिए रखा, बल्कि यह भी दिखाने के लिए कि वह नशे में था या उसके प्रभाव में था। मादक पेय। पॉलिसी की भाषा द्वारा प्रतिवादी को उसके कवरेज चोट से बाहर रखा गया है जो बीमित व्यक्ति को तब हुई थी जब वह अपने शरीर में मादक शराब मौजूद था। यह पक्षों के बीच अनुबंध था, और प्रतिवादी इस बात के प्रमाण पर दायित्व से बचने का हकदार था कि बीमित व्यक्ति के शरीर में, शारीरिक रूप से मौजूद, किसी भी मात्रा में मादक शराब थी, भले ही वह नशे में हो या नहीं।

प्रतिवादी इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रखने का हकदार था। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

पायने वी. स्टैंटन, 211 एन. सी. 43,188 एस. ई. 629। उल्लिखित मामलों में आरोप के लिए प्रतिवादी के अपवाद

इसे बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे एक नए परीक्षण की आवश्यकता हो।

नया परीक्षण "।

(जोर दिया गया)

33. हेल्टस्ले बनाम। लाइफ एंड कैजुअल्टी इन्स। कं. [299 क्यू. 396 टी (1945)],

अपील न्यायालय ने बीमा अनुबंध में समान खंड के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:

" विचाराधीन नीति प्रावधान की सटीक भाषा

यह है: ' *** न ही यह बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट को कवर करता है।

जबकि वह अपने शरीर में शारीरिक रूप से मौजूद था, शराबी या मादक था।

किसी भी डिग्री में शराब। *** कि यह प्रावधान इसके विपरीत नहीं है

सार्वजनिक नीति; कि यह दोहरे निर्माण या के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है

एक व्याख्या कि नशा की सीमा या डिग्री है

सामग्री; कि यह अनुचित नहीं है, और यह गठित नहीं करता है

अपीलार्थी के लिए अनुपलब्ध एक सीमा, द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की जाती है स्थानीय और विदेशी दोनों प्राधिकरण। रॉबिन्सन एंड सन बनाम। जोन,

254Ky.637,72 S.W.2d 16,19, यह कहा जाता है: ' यह सभी पुरुषों के लिए जाना जाता है

कि मादक शराब पीना, हालांकि यह नहीं किया जाना चाहिए

वास्तविक नशा की सीमा, लापरवाही की भावना पैदा करती है, और है

कई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार। ' और बराबरी के जीवन में एस्योरेंस सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स v. एडम्स, 259 क्यू। 726 , 83

S.W.2d 461,464, 'यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे शब्दों को लें एक बीमा पॉलिसी जैसा कि वे इसमें पाए जाते हैं, और व्यक्तियों के रूप में

उपयोग किए जाने पर सामान्य और सामान्य समझ उनका अर्थ निकालेगी। जिस उद्देश्य के लिए उन्हें नियोजित किया गया था, उसे व्यक्त करने के लिए।

34. मानक जीवन और ए. सी. में अलबामा का सर्वोच्च न्यायालय।

इंस. को. वी. जोन्स 94 अला। 434 , नवंबर, 1891 में निर्णय लिया गया कि इस सवाल पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या "मादक पेय के प्रभाव में" वाक्यांश का कानून में सामान्य बोलचाल से अलग अर्थ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा मामला था कि क्या एक कर्मचारी बीमा पॉलिसी

द्वारा कवर किया गया था और जब वह एक स्विटिचमैन के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। हम निम्नलिखित चर्चा पाते हैं:

" ..... व्हिस्की के प्रभाव में होना जरूरी नहीं है नशे में धुत। किसी को अच्छी तरह से [2021] 14 एस. सी. आर. के प्रभाव में कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सही ढंग से सोचने और कार्य करने की क्षमता में कमी और कुशलता से।

लेकिन वाक्यांश "मादक पेय के प्रभाव में", जैसा कि इस चरित्र की नीतियों में और इस संबंध में उपयोग किया जाता है, का एक कानूनी महत्व है, जो लोकप्रिय से अलग है, और इस तरह के प्रभाव को दर्शाता है जो वास्तव में नशा के बराबर है। एक सुविचारित मामले में, न्यूयॉर्क के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि "मादक शराब के प्रभाव में होने के लिए, इस नीति के अर्थ के भीतर, बीमित व्यक्ति ने शारीरिक या मानसिक क्षमताओं की कार्रवाई को बाधित करने के लिए पर्याप्त शराब पी होनी चाहिए, ताकि वे अब अपनी प्राकृतिक या सामान्य स्थिति में न रहें। जब, इसलिए, प्रतिवादी ने अपने द्वारा बीमित व्यक्तियों पर शर्त लगाई

कि यह उत्तरदायी नहीं होगा जब मृत्यु या चोट होनी चाहिए जबकि बीमित व्यक्ति शराब के प्रभाव में था, इरादा स्पष्ट रूप से बीमित व्यक्ति से इसके उपयोग को इस हद तक सीमित करने की आवश्यकता थी कि वह अपने मन की क्षमताओं पर पूरा नियंत्रण बनाए रखे।

और शरीर।

35. इसलिए, अंग्रेजी न्यायालयों/स्कॉटिश न्यायालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णयों दोनों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का विश्लेषण।

हमें निम्नलिखित रूप में रखने के लिए राजी करेगा:

बीमाकर्ता के दायित्व से बहिष्करण बीमा की सटीक शर्तों पर निर्भर करेगा। हम इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दावे पर विचार नहीं कर रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तत्वावधान में, हम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के असंशोधित प्रावधानों में धारा 149 (2) के प्रावधानों से अनजान नहीं हैं, जो उपलब्ध बचाव के संबंध में संशोधन के बाद वर्तमान अवतार की धारा 150 में दर्ज हैं। ऐसे दावों के संबंध में बीमाकर्ता को। हम स्वयं के नुकसान के मामले और उस खंड से निपट रहे हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ चालक के शराब के प्रभाव में होने के आधार पर बीमाकर्ता को बाहर निकालता है। हम पाएंगे

कि दो प्रकार हैं। मॉडल में से एक का प्रतिनिधित्व अमेरिकी मामलों द्वारा किया जाता है जहां व्यक्ति के शरीर में इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आवश्यकता होती है।

किसी भी स्तर पर शराब। उक्त मॉडल के तहत, उसे प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है आचरण करें। उक्त मॉडल के तहत, बीमाकर्ता के लिए यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि संबंधित व्यक्ति नशे में था या नशे की शराब के प्रभाव में था।

36. यह हमें दूसरे मॉडल पर लाता है कि कौन सा मॉडल मामले के तथ्यों में लागू होता है। , बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी शराब के नशे में धुत थी। मॉडलों के बीच का अंतर स्पष्ट और बोधगम्य है। जहाँ तक प्रकृति के बहिष्करण का संबंध है, जिसके लिए मादक शराब के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने की आवश्यकता होती है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल किसी भी छोटी मात्रा में शराब की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी।

यही कारण है कि अदालत अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकती है और यह मान सकती है कि केवल शराब की उपस्थिति, थोड़ी सी भी मात्रा में, बीमाकर्ता के दायित्व को बाहर करने के लिए पर्याप्त है। इसकी कुछ आवश्यकता है।

अधिक, अर्थात्, कि वाहन का चालक दुर्घटना के समय था

मादक शराब के प्रभाव में कार्य करना। अब यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय घर के करीब हैं और कानून बनाने में सहायता करते हैं। यह दिखाया जाना चाहिए कि तथ्यों में और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ जो शराब के सेवन से दुर्घटना नहीं हुई थी, जो निस्संदेह दुर्घटना को खंड की शरारत के भीतर लाएगी, लेकिन कम से कम दुर्घटना के कारण के लिए एक बोधगम्य तरीके से योगदान दिया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185

37. यह इस मोड़ पर है कि ध्यान देना आवश्यक हो जाता है और

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रतिवादी के तर्क से निपटें। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 इस प्रकार है:

" 185. नशे में धुत व्यक्ति या नशीली दवाओं के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना। जो कोई भी, गाड़ी चलाते समय, या गाड़ी चलाने का प्रयास करते समय, एक मोटर

वाहन,

उनके रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब है। प्रति 100 मिली।

(अ)

श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण में पाए गए रक्त का, या

एक दवा के प्रभाव में इस हद तक है कि

(ख)

उचित नियंत्रण का प्रयोग करने में असमर्थ होना

वाहन,

पहले अपराध के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा

अवधि जो छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ जो [2021] 14 एस. सी. आर.

दो हजार रुपये तक, या दोनों के साथ; और एक सेकंड के लिए या

पश्चात्वर्ती अपराध, यदि तीन वर्ष के भीतर किया जाता है

कारावास के साथ पिछले समान अपराध का अपराध ऐसी अवधि के लिए जो दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ जो हो सकता है

तीन हजार रुपये तक, या दोनों के साथ।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

" आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट दवा या दवाएं किसी व्यक्ति को मोटर पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ मान ली जाएंगी।

वाहन "।

38. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 204 के तहत प्रावधानों के लिए प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। दुर्घटना के बारे में धारा 203 जैसा कि मौजूद थी, निम्नानुसार पढ़िए:

" 203. श्वास परीक्षण। (1) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या मोटर वाहन विभाग का एक अधिकारी, जो उस विभाग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाने या चलाने की आवश्यकता हो सकती है।

यदि ऐसे पुलिस अधिकारी या अधिकारी के पास संदेह करने का कोई उचित कारण है, तो सार्वजनिक स्थान पर या पास में सांस की जांच के लिए सांस के एक या अधिक नमूने प्रदान करने के लिए मोटर वाहन चलाने का प्रयास करना। धारा 185 के तहत अपराध करने का अपराध:

बशर्ते कि श्वास परीक्षण की आवश्यकता आयोग के बाद जितनी जल्दी हो सके (जब तक कि यह नहीं किया जाता है) की जाएगी।

इस तरह के अपराध।

(2) यदि कोई मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना में शामिल है और वर्दी में एक पुलिस अधिकारी के पास यह संदेह करने का कोई उचित कारण है कि दुर्घटना के समय मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के खून में शराब थी या वह धारा 185 में निर्दिष्ट नशीली दवा के प्रभाव में गाड़ी चला रहा था, तो वह यह माँग कर सकता है कि मोटर वाहन चला रहा व्यक्ति, एक नमूना प्रदान करने के लिए

श्वास परीक्षण के लिए उनकी श्वास:

(क) एक व्यक्ति के मामले में जो एक इनडोर रोगी के रूप में अस्पताल में है,

अस्पताल में,

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, या तो उस स्थान पर या उसके पास जहां आवश्यकता की गई है, या, यदि पुलिस अधिकारी उचित समझता है,

पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पुलिस स्टेशन में:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी एक इनडोर रोगी के रूप में एक अस्पताल में रहते हुए नमूना यदि उसके मामले के तत्काल प्रभारी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को पहले आवश्यकता या वस्तु बनाने के प्रस्ताव के बारे में सूचित नहीं किया जाता है

किसी नमूने का इस आधार पर प्रावधान कि उसका प्रावधान या

इसे प्रदान करने की आवश्यकता उचित देखभाल के लिए प्रतिकूल होगी।

या रोगी का उपचार।

(3) यदि वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए श्वास परीक्षण के परिणामस्वरूप यह प्रतीत होता है कि जिस उपकरण के माध्यम से परीक्षण किया गया है, वह उसमें शराब की उपस्थिति का संकेत देता है।

व्यक्ति के खून के बिना, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है

वारंट को छोड़कर जब वह व्यक्ति अस्पताल में एक इनडोर के रूप में है

रोगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक है

अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है सिवाय उस समय के जब वह जेल में हो। एक इनडोर रोगी के रूप में अस्पताल।

(5) इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रहते हुए सांस का नमूना देने का अवसर दिया जाएगा। वहाँ एक सांस परीक्षण के लिए।

(6) इस धारा के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए श्वास परीक्षण के परिणाम साक्षय में स्वीकार्य होंगे। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "श्वास परीक्षण" का अर्थ है किसी व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति का संकेत प्राप्त करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए श्वास के एक या अधिक नमूनों पर, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक प्रकार के उपकरण के माध्यम से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

इस तरह के परीक्षण के उद्देश्य के लिए "।

39. धारा 204 फिर से दुर्घटना की तारीख को अस्तित्व में थी।

2.2007) इस प्रकार पढ़िए:

" 204. प्रयोगशाला परीक्षण। - (1) एक व्यक्ति, जिसे धारा 203 के तहत गिरफ्तार किया गया है, पुलिस स्टेशन में रहते हुए, एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को [2021] 14 एस. सी. आर. के रूप में प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा उसके रक्त का एक नमूना प्रस्तुत किया जाए प्रयोगशाला परीक्षण, यदि

यह पुलिस अधिकारी को प्रतीत होता है कि उपकरण, माध्यम से

(अ)

जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति का श्वास परीक्षण किया गया था, इस तरह के रक्त में शराब की उपस्थिति को इंगित करता है

व्यक्ति,

ऐसा व्यक्ति, जब उसे समर्पण करने का अवसर दिया जाता है

(ख)

श्वास परीक्षण, मना कर दिया है, छोड़ दिया है या ऐसा करने में विफल रहा है:

(2) अस्पताल में एक व्यक्ति को एक इनडोर रोगी के रूप में एक पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में उसका एक नमूना प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रयोगशाला परीक्षण के लिए रक्त:

(अ)

अगर यह पुलिस अधिकारी को दिखाई देता है कि उपकरण का मतलब है

जिनके परीक्षण ऐसे व्यक्ति की सांस के संबंध में किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति का संकेत देते हैं, या यदि व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वह अस्पताल में हो

(ख)

या कहीं और, सांस के लिए सांस का नमूना प्रदान करने के लिए

परीक्षण, इनकार कर दिया है, छोड़ दिया है या ऐसा करने में विफल रहा है और एक पुलिस अधिकारी के पास उस पर संदेह करने का उचित कारण है

उसके खून में शराब:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को इस उप-धारा के तहत प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसके मामले के तत्काल प्रभारी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को पहले इस आधार पर ऐसे नमूने के प्रावधान की आवश्यकता या आपत्ति करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित नहीं किया जाता है कि इसका प्रावधान या इसे प्रदान करने की आवश्यकता रोगी की उचित देखभाल या उपचार के लिए प्रतिकूल होगी।

(3) इसके अनुसरण में किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम

धारा साक्षय में स्वीकार्य होगी।

सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रयोगशाला परीक्षण" का अर्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में बनाए गए रक्त के नमूने का विश्लेषण है।

40. हम संयोग से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 205 पर भी ध्यान दे सकते हैं। यह.

इस प्रकार है:

प्रयोगशाला परीक्षण के लिए रक्त, उसका इनकार, चूक या विफलता, जब तक कि इसके लिए उचित कारण नहीं दिखाया जाता है, यह माना जा सकता है कि इसकी ओर से दिए गए किसी भी साक्षय का समर्थन करने वाली परिस्थिति है। अभियोजन, या पक्ष की ओर से दिए गए किसी भी साक्षय का खंडन करना

बचाव, उस समय उसकी स्थिति के संबंध में "।

41. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने मोटर वाहन 939 को निरस्त कर दिया। उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 117 पर महत्वपूर्ण मतभेदों के साथ वर्तमान अधिनियम की धारा के अनुरूप प्रावधान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। धारा 117 को इस प्रकार पढ़ा गया:

" 117.शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना। - जो कोई मोटर वाहन चलाते समय या चलाने का प्रयास करते समय शराब या नशीली दवा के प्रभाव में इस हद तक है कि वह वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, वह पहले अपराध के लिए तीन महीने तक की अवधि के कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

या दोनों के साथ, और बाद के अपराध के लिए यदि पिछले समान अपराध के तीन साल के भीतर किया गया है

कारावास जो दो वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ।

42. इस प्रावधान को 1977 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उपरोक्त धारा 117 के प्रतिस्थापन के बाद कानून निर्माता ने एक सख्त कदम उठाया

शराब पीकर गाड़ी चलाने के संबंध में। वह इस प्रकार है:

" 117. नशे में धुत व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना

दवाओं से।

जो कोई भी, गाड़ी चलाते समय या चलाने का प्रयास करते समय, मोटर वाहन या सवारी करते समय या सवारी करने का प्रयास करते समय, मोटर साइकिल, -

(अ)

उसके खून में शराब की मात्रा कितनी भी हो, चाहे कितनी भी कम क्यों न हो।

मात्रा हो सकती है, या

किसी दवा के प्रभाव में इस हद तक है कि

(ख)

वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ,

पहले अपराध के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों से; और दूसरे या बाद के अपराध के लिए, यदि अपराध के तीन साल के भीतर किया जाता है।

कारावास के साथ पिछले समान अपराध का अपराध

ऐसी अवधि के लिए जो दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ जो

तीन हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं, या दोनों के साथ। वास्तव में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 को प्रस्तुत करने से पहले

1994 के अधिनियम 54 द्वारा प्रतिस्थापित होने के कारण, धारा 185 को मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 117 के रूप में समान रूप से शब्द दिया गया था, जैसा कि 1977 में प्रतिस्थापित किया गया था। 43. यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय का निर्णय बचूभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य

मोटर वाहनों की धारा 117 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया अधिनियम, 1939 जिसमें न केवल यह अपेक्षित था कि व्यक्ति शराब के प्रभाव में था, बल्कि यह इस हद तक होना था कि वह वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाए। धारा 117 के बाद

दूसरी ओर, 1977 में इसके प्रतिस्थापन ने जहां तक शराब का संबंध है, एक आपराधिक अपराध बनाया, इस आधार पर कि चालक के रक्त में शराब की कोई भी मात्रा थी, चाहे वह मात्रा कितनी भी कम क्यों न हो। यह वास्तव में बीमा के अनुबंधों में खंडों के समान था

संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका हमने उल्लेख किया है (ऊपर)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रक्त में अल्कोहल की सबसे कम मात्रा की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। जहां तक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 का संबंध है, अपराध तब किया जाता है जब 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम शराब की एक निर्दिष्ट मात्रा पाई जाती है। खून से। इस संबंध में, हम मोटर के अनुरूप यूनाइटेड किंगडम में कानून का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

वाहन अधिनियम और इस मुद्दे से निपटने वाले क़ानून की व्याख्या करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का एक प्रारंभिक निर्णय भी।

6 (1971) 3 एस. सी. सी. 930 इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

यू. के. सड़क परिवहन यातायात अधिनियम, 1930 और

बाद के परिणाम 44. यू. के. सड़क परिवहन यातायात अधिनियम, 1930 में, धारा 15 (1) ने वाहन चलाना या वाहन चलाने का प्रयास करना या किसी सड़क परिवहन का प्रभारी होना अपराध बना दिया।

शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में मोटर वाहन 'इस हद तक कि वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ हो'। धारा 11 में खतरनाक ड्राइविंग के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। (1931) में 22 करोड़। ऐप 172, अपीलार्थी को धारा 15 के तहत दोषी ठहराया गया और धारा 11 के तहत बरी कर दिया गया। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

..... हमने उस खोज पर बहुत सावधानी से विचार किया है, लेकिन

समग्र रूप से, और बिना किसी हिचकिचाहट के, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, सारांश के बावजूद, यह अस्पष्ट है। जूरी से पूछा जाना चाहिए था कि क्या उनका मतलब था-उनके अंतिम उत्तर से कि अपीलार्थी इस हद तक शराब के

प्रभाव में था कि वह वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ था, और हम इस विचार को अस्वीकार नहीं कर सकते कि, यदि उस प्रश्न को स्पष्ट रूप से रखा गया होता, तो उन्होंने नकारात्मक या नकारात्मक उत्तर दिया होता।

उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर सहमत नहीं थे।

45. यह दृश्य आज भी अच्छा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, शराब के प्रभाव में होना शराब के प्रभाव में रहने से अलग है। शराब का उस सीमा तक प्रभाव जो ऐसे प्रावधान में घोषित किया गया है। हालाँकि जो वैधानिक परिवर्तन हुए हैं, वे इसे अप्रासंगिक बनाते हैं।

46. इस संबंध में, सम्राट बनाम राम देवजी 2 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना उचित है। नियम 27-ए

मोटर वाहन नियमों में प्रावधान किया गया है कि "कोई भी व्यक्ति, नशे में होने पर, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा"। अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसकी दोषसिद्धि अनुचित थी क्योंकि वास्तव में आरोप लगाया गया था

यह केवल शराब के प्रभाव में होने में से एक था। एक अंतर है

शराब के प्रभाव में होने और नशे में होने के बीच, यह तर्क दिया गया था। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 4. हमारी राय में "नशे में धुत" शब्द को इस चरम अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह वास्तव में "शराबी" शब्द से मेल खाता है।

जो आम तौर पर इसी तरह के अंग्रेजी अधिनियमों में उपयोग किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है कि कब किसी व्यक्ति को उचित रूप से नशे में कहा जा सकता है, और एक अंतर है

7 ' एयर 1928 बी. ओ. एम. 331 [2021] 14 एस. सी. आर.

उसके नशे में होने और उसके केवल नीचे होने के बीच बनाया गया था

हम इस विशेष मामले में उस तरह के किसी भी विवाद में जाने के लिए। तथ्य यह है कि शब्द "शराब के प्रभाव में" हैं।

"नशे में धुत" शब्द के अर्थ को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं,

सिवाय इसके कि यह कहा जा सकता है कि बाद वाला शब्द एक डिग्री व्यक्त करता है

प्रभाव जो "के तहत" शब्दों में पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया गया है

शराब का प्रभाव।" लेकिन डिग्री का सवाल यह है कि

शब्दों में शामिल किसी भी दर पर; और यदि अभियुक्त का इरादा था

दावा करें कि वह कुछ हद तक शराब के प्रभाव में नहीं था

जो वास्तव में उनकी उचित देखभाल के संबंध में महत्वपूर्ण था और

कार चलाने में निर्णय, तब उसके द्वारा कहा जाना चाहिए था

अभियुक्त स्पष्ट रूप से, ताकि इस मुद्दे पर एक मुद्दा उठाया जा सके। जिस पर

अभियुक्त की समझ कि वह कुछ हद तक अपराध स्वीकार कर रहा था मादक पदार्थ का सेवन जो मामले को इस विवाद के दायरे में लाएगा। वहाँ

हमारी राय में, अभियुक्त की कोई गलत समझ नहीं है, इसलिए

के रूप में हमारी धारणा को सही ठहराने के लिए कि उसने उल्लंघन के लिए दोषी नहीं माना

यह विशेष नियम।"

(जोर दिया गया)

47. सड़क यातायात अधिनियम, 1960 ने 1930 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। अनुभाग

6 (1) 1960 के अधिनियम में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर दंड लगाया गया था जो शराब या नशीली दवाओं के माध्यम से गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य था। धारा 6 (6) इस प्रकार है:

" 6 (6) इस धारा में "शराब या नशीली दवाओं के माध्यम से गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य" का अर्थ है

पेय या दवा के प्रभाव में इस हद तक कि मोटर वाहन का उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ।

सड़क यातायात अधिनियम, 1962 द्वारा, हालांकि अयोग्यता को जोड़ा गया था

"अक्षम" होने के साथ।

48. पहली बार वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षण आधार बना

1967 में सड़क सुरक्षा अधिनियम, 1967 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए। धारा 1 सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए इतनी मात्रा में शराब का सेवन करने पर दंडित करती है कि रक्त परीक्षण के माध्यम से पता चलने पर रक्त में इसका अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, जो 80 मिलीग्राम के रूप में प्रदान किया गया था। 100 मिली में शराब। रक्त (0.08%)। इसके बाद सड़क सुरक्षा अधिनियम, 1988 लागू हुआ।

सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

49. नवीनतम अधिनियम में प्रासंगिकता के प्रावधान, अर्थात्

एफ 1988 धारा 3ए, 4 और 5 हैं। धारा 3ए, प्रभाव के साथ अंत:स्थापित

01.07.1992 , इस प्रकार पढ़ता है:

" 3ए. प्रभाव में रहते हुए लापरवाही से गाड़ी चलाने से मृत्यु

शराब या ड्रग्स।

(1) यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाकर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर यांत्रिक रूप से चलने वाला वाहन

उचित देखभाल और ध्यान के बिना, या उचित विचार के बिना सड़क या स्थान का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए, और

वह, उस समय जब वह गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य है

अ)

शराब या नशीली दवाएँ, या

ख)

उसने इतनी शराब का सेवन किया है कि उसका अनुपात

उसकी सांस में, उस समय खून या मूत्र से अधिक हो जाता है

निर्धारित सीमा, या

ख) उसके शरीर में एक निर्दिष्ट नियंत्रित दवा है और

उस समय उसके रक्त या मूत्र में इसका अनुपात उससे अधिक होता है

उस दवा के लिए निर्दिष्ट सीमा, या

उसे, उस समय के बाद 18 घंटों के भीतर, एक प्रदान करना आवश्यक है

(ग)

इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में, लेकिन इसके बिना

उचित बहाना इसे प्रदान करने में विफल रहता है, या

(घ)

उसे एक सिपाही द्वारा अपनी अनुमति देने की आवश्यकता होती है

इस अधिनियम की धारा 7ए, लेकिन उचित बहाने के बिना विफल हो जाती है। ऐसा करने के लिए,

वह एक अपराध का दोषी है।

एक व्यक्ति जो एक के अलावा एक यांत्रिक रूप से संचालित वाहन चला रहा है मोटर वाहन "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 4 (1) और 4 (5) निम्नानुसार हैं:

" 4. गाड़ी चलाना, या प्रभारी होना, जब शराब के प्रभाव में हो या दवाएँ।

एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाते समय या गाड़ी चलाने का प्रयास करते समय

(1)

सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यांत्रिक रूप से चलने वाला वाहन

जगह, शराब या नशीली दवाओं के माध्यम से गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य है अपराध।

XXX

XXX

XXX (5)

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को

यदि उसकी ठीक से गाड़ी चलाने की क्षमता समय के लिए है तो वह गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य है दुर्बल होना।"

(जोर दिया गया)

" 5. निर्धारित सीमा से अधिक शराब के साथ मोटर वाहन चलाना या उसका प्रभारी होना। (1) यदि कोई व्यक्ति -

सड़क पर मोटर वाहन चलाना या चलाने का प्रयास करना

(अ)

या अन्य सार्वजनिक स्थान, या

(ख)

सड़क या किसी अन्य स्थान पर मोटर वाहन का प्रभारी है

सार्वजनिक स्थान,

इतनी शराब पीने के बाद कि इसका अनुपात

उसकी साँस में, रक्त या मूत्र निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है एक अपराध का दोषी है।

यह उस व्यक्ति के लिए बचाव है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है।

(2)

ऊपर उप-धारा (1) (बी) यह साबित करने के लिए कि जिस समय उस पर आरोप लगाया गया है

अपराध करने के लिए परिस्थितियाँ थीं

कि उनके वाहन चलाने की कोई संभावना न हो

जबकि उसकी सांस, रक्त या मूत्र में शराब का अनुपात

निर्धारित सीमा से अधिक होने की संभावना बनी रही। न्यायालय, यह निर्धारित करने में कि क्या ऐसा कोई था

(3)

संभावना जैसा कि ऊपर उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है, उपेक्षा

उसे कोई चोट और वाहन को कोई नुकसान।

(जोर दिया गया)

सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

50. धारा 3ए को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.1992 में डाला गया था। का एक अवलोकन

सड़क यातायात अधिनियम, 1988 की धारा 3ए, 4 और 5 पर और इसकी तुलना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं:

ब्रिटिश अधिनियम में प्रावधान, जो भारतीय अधिनियम की धारा 185 से तुलनीय है, धारा 5 है। यही कारण है कि धारा 5 सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने या मोटर वाहन चलाने का प्रयास करने, शराब पीने के बाद और जब उसकी सांस का अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक हो तो भी दंडित करती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में कोई प्रावधान नहीं है।

सड़क यातायात अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप। दूसरे शब्दों में, यू. के. में, वाहन चलाने या चलाने का प्रयास करने के अलावा, शराब का सेवन करना, निर्धारित प्रतिशत से अधिक रक्त में शराब का स्तर होना, एक अपराध है, यह भी एक अपराध है।

सड़क या सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना या चलाने का प्रयास करना, यदि व्यक्ति शराब या नशीली दवाओं के कारण वाहन चलाने के लिए अयोग्य है। सड़क यातायात अधिनियम, 1988 की धारा 4 (5) यह स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति

अपराध करेंगे। यही सिद्धांत धारा 3ए को सक्रिय करता है, जो एक दुर्घटना के बाद मृत्यु के अपराध के बारे में बात करता है, जब वह वाहन चला रहा था, जबकि मादक पेय के सेवन के माध्यम से ड्राइव करने के लिए अयोग्य था। यहाँ फिर से, धारा 3ए (2) यह स्पष्ट करती है कि शराब पीने के कारण गाड़ी चलाने की अयोग्यता, चालक की ठीक से गाड़ी चलाने की क्षमता, विकलांग होने पर आधारित है। यह हानि परीक्षण द्वारा भी निर्धारित किया जाना है, जो स्पष्ट रूप से धारा 6बी के तहत आयोजित किया जाता है। हम ढूंढ लेंगे। कि एक व्यक्ति को शराब के प्रभाव में कहा जा सकता है, यदि उसकी क्षमताएँ इतनी बाधित हैं कि उसकी ड्राइविंग क्षमताएँ बाधित हैं। कानून की यह अवधारणा अनिवार्य रूप से मैर (एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स) में अदालत द्वारा निर्धारित की गई बातों का पालन कर रही है। ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां प्रकृति का एक खंड है जिससे हम निपट रहे हैं। , बीमाकर्ता के दायित्व को छोड़कर, जब चालक

शराब के प्रभाव में, बहुत अलग परिस्थितियों में। एक 21 वर्षीय, जिसे अन्यथा वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त है, [2021] 14 एस. सी. आर. कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने दोस्तों के साथ शराब पीने का प्रयोग करें। वह थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन कर सकता है। यह रक्त में मौजूद अल्कोहल (30 मिलीग्राम) की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। /100 एमएल। 0.03 %) . हालाँकि, यह निर्विवाद है कि व्यक्ति पर पेय का प्रभाव, यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि वह करने में असमर्थ है

जिस तरह से वह गाड़ी चलाता, अगर वह उस छोटे से पेय का सेवन नहीं करता। ऐसे मामले में, इस बात पर जोर देना कि वह शराब के प्रभाव में नहीं हो सकता है, जब तक कि उसके खून में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब का आवश्यक प्रतिशत न हो। पक्षों के लिए एक नया सौदा करना और अनुबंध को फिर से लिखना भी होगा। शराब के प्रभाव में रहने के लिए, दूसरे शब्दों में, तथ्यों पर जाने वाले एक प्रश्न के रूप में समझा जाना चाहिए और इसके सेवन के प्रभाव के संदर्भ में निर्णय लिया जाना चाहिए।

विशेष चालक पर शराब। फिर भी एक और उदाहरण एक परेशान करने वाले मुद्दे पर प्रकाश डालेगा। एक व्यक्ति, जो खाली पेट पीता है, आवश्यक रूप से रक्त में और इसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क में अपनी उपस्थिति बनाने वाले अल्कोहल की तेज दर होगी। दूसरी ओर, एक व्यक्ति, जिसने शराब के साथ भोजन किया है, बाद में शराब का प्रभाव प्रकट कर सकता है। शराब पीने के प्रभाव

शराब, बाहरी संकेतों के संदर्भ में, मोदी द्वारा अपने काम-मोदीज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में वर्णित किया गया है। वे इस प्रकार हैं:

" यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई विशेष व्यक्ति नशे में है

या नहीं, एक चिकित्सक को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

ध्यान में रखें:

ली गई मात्रा कोई मार्गदर्शक नहीं है।

1 .

साँस में शराब की एक उग्र गंध, हानि

2 .

बुद्धि की स्पष्टता और खुद पर नियंत्रण, एक अस्थिर चाल, एक खाली रूप, सूखे और चिपचिपे होंठ, भीड़भाड़ वाली आंखें, सुस्त और फैली हुई पुतलियां बढ़ गईं।

नाड़ी की दर, एक अस्थिर और मोटी आवाज़, यादृच्छिक रूप से बात करना और मार्ग की धारणा की कमी

समय, नशे की लत के सामान्य संकेत हैं। हालांकि, एक मादक पेय की गंध शराब के उत्सर्जित होने के बाद कई घंटों तक सांस में बनी रह सकती है।

शरीर से, क्योंकि यह गैर-मादक घटकों के कारण होता है

(जन्मजात) पेय में "। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

51. यदि किसी मामले में, बिना किसी रक्त परीक्षण के, शराब के सेवन के प्रभावों से जुड़ी परिस्थितियाँ साबित हो जाती हैं, तो यह हो सकता है निश्चित रूप से यह दिखाने के लिए जाएं कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति शराब के प्रभाव में आ गया था। जिस तरह से वाहन था

संचालित, फिर से, यदि यह अनियंत्रित रूप से उस व्यक्ति को शराब के प्रभाव में होने की ओर इशारा करता है, तो गणना की जा सकती है। सबूत, यदि आने वाला है, एक

गाड़ी चलाने के शुरू होने से पहले या गाड़ी चलाने की प्रक्रिया के दौरान शराब के वास्तविक सेवन के अलावा, अनिश्चित चाल, शराब की गंध, आंखों में भीड़ का होना, दुर्घटना के तरीके के साथ, ड्राइवर के शराब के प्रभाव में होने की ओर इशारा कर सकता है। यह अभिवचनों और साक्षय के प्रभाव के आधार पर एक निष्कर्ष होगा। 52. उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन हमें निम्नलिखित निष्कर्षों पर ले जाएगा:

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 एक आपराधिक अपराध बनाती है। धारा 185 का संक्षिप्त शीर्षक निस्संदेह यह घोषणा करता है कि इसका उद्देश्य है

नशे में धुत व्यक्ति या नशीली दवाओं के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने से निपटने के लिए। जहां तक नशे में धुत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने का संबंध है, यह अपराध एक वस्तुनिष्ठ मानक के उल्लंघन के इर्द-गिर्द बनाया गया था। , चालक में 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली से अधिक शराब की उपस्थिति। श्वास विश्लेषक के परीक्षण में रक्त का पता चला। खंड 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली से अधिक शराब की उपस्थिति के वस्तुनिष्ठ मानदंड को साबित करने का आदेश देता है। एक श्वास विश्लेषक द्वारा एक परीक्षण में रक्त का। यहीं पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 203 लागू होती है। यह पुलिस

अधिकारी को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने या चलाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को सांस की जांच के लिए सांस का एक या अधिक नमूना प्रदान करने का अधिकार देता है, यदि

दुर्घटना, उसके रक्त में शराब थी, अन्य बातों के साथ-साथ, वह व्यक्ति को प्रदान किए गए तरीके से श्वास परीक्षण में अपनी सांस का नमूना प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। धारा 203 (6) घोषित करती है कि धारा 203 के तहत किया गया श्वास परीक्षण साक्षय में स्वीकार्य होगा। धारा 203 बिना वारंट के गिरफ्तारी पर विचार करती है, [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि परीक्षण श्वास परीक्षण में शराब की उपस्थिति का संकेत देता है। धारा 204 उस व्यक्ति का अनुसरण करती है जिसे धारा 203 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसे धारा 203 के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसे ऐसे चिकित्सा व्यवसायी को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का एक नमूना प्रदान करना है, यदि या तो पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि श्वास परीक्षण से ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति का पता चलता है जब उसे श्वास परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, उसने इनकार कर दिया है, छोड़ दिया है या ऐसा करने में विफल रहा है। इसका परिणाम

प्रयोगशाला परीक्षण को भी स्वीकार्य बनाया जाता है। 53. यह स्पष्ट है कि धारा 185 गाड़ी चलाने या प्रयास करने से संबंधित है।

मोटर वाहन चलाने वाला व्यक्ति जिसके रक्त में 30 मि. ग्रा. प्रति 100 मि. ली. से अधिक शराब हो, जिसे श्वास विश्लेषक के परीक्षण में पाया जाता है। होने के नाते

आपराधिक अपराध, यह निर्विवाद है कि अपराध के अवयवों को कानून द्वारा विचार के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मामले को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और साक्षय को स्पष्ट रूप से 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब के स्तर का संकेत देना चाहिए और इससे अधिक क्या है, यह एक श्वास विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण से पता चलना चाहिए। हम यह भी देख सकते हैं कि 01.09.2019 के प्रभाव से, धारा 185 में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए हैं, अर्थात "या प्रयोगशाला परीक्षण सहित किसी अन्य परीक्षण में"। 54. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय के पास इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर था कि क्या धारा 185 के तहत अभियोजन सफल हो सकता है

श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण की अनुपस्थिति। पीएस लोधी कॉलोनी बनाम के माध्यम से राज्य में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। आरोपी संजीव नंदा फरार हो गया।

घटना स्थल से। इसलिए, उन्हें तुरंत सांस परीक्षण विश्लेषक के अधीन नहीं किया जा सका या सांस परीक्षण के लिए उनकी सांस का नमूना या प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उनके रक्त का नमूना प्रदान नहीं किया जा सका। इन प्रावधानों से निपटने के लिए, के. एस. राधाकृष्णन, जे. ने अपने सहमति वाले निर्णय में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

" 82. आरोपी, इस मामले में, घटना स्थल से भाग गया, इसलिए, उसे तुरंत श्वास विश्लेषक परीक्षण के अधीन नहीं किया जा सका, या श्वास परीक्षण के लिए उसकी सांस का नमूना या प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उसके रक्त का नमूना नहीं दिया जा सका। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का संचयी प्रभाव इंगित करेगा कि श्वास विश्लेषक परीक्षण का एक अलग उद्देश्य है और

8 2012 (8) एस. सी. सी. 450 सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

वस्तु। उपरोक्त खंडों की भाषा इंगित करेगी कि

उक्त परीक्षण केवल तभी किया जाना चाहिए जब व्यक्ति वाहन चला रहा हो या वाहन चलाने का प्रयास कर रहा हो। उपरोक्त अनुभागों में "गाड़ी चलाते समय" और "गाड़ी चलाने का प्रयास" अभिव्यक्तियाँ हैं - जिसका अर्थ है "प्रेसेन्टी में"। ऐसी स्थितियों में, रक्त में शराब की उपस्थिति को तुरंत निर्धारित करना पड़ता है ताकि अपराधी पर नशे में गाड़ी चलाने के लिए मुकदमा चलाया जा सके। ऐसी स्थितियों में श्वास विश्लेषक परीक्षण किया जाता है ताकि रक्त में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाया जा सके। मामले में श्वास विश्लेषक परीक्षण लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि आरोपी दुर्घटना स्थल से भाग गया था और उसके अधीन होने का कोई सवाल ही नहीं था

उसे तुरंत श्वास विश्लेषक परीक्षण के लिए भेजा जाता है। फिर भी, पहले आरोपी को 1999 में दोपहर 10-1 पर एम्स अस्पताल ले जाया गया, जब वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (पीडब्लू 16) डॉ. मधुलिका शर्मा द्वारा उसके रक्त का नमूना लिया गया। रक्त में अल्कोहल की मात्रा का परीक्षण करते समय, उसने 0.115% वजन/मात्रा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति देखी। पीडब्लू-16/ए के रूप में प्रदर्शित रिपोर्ट को डॉक्टर द्वारा विधिवत साबित किया गया था। बार-बार, अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने समझाया था कि 0.115% 115 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त के बराबर होगा और यातायात नियमों के अनुसार, यदि व्यक्ति रक्त में शराब और अल्कोहल की मात्रा के प्रभाव में 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त से अधिक, व्यक्ति को प्रतिबद्ध कहा जाता है

शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध।

" जाँच पर, वह सचेत, उन्मुख, सतर्क और सहयोगी था। आँखें भरी हुई थीं, पुतलियाँ दोतरफा रूप से फैली हुई थीं। भाषण सुसंगत था और चाल अस्थिर थी। शराब की बदबू थी। 84. विशेषज्ञों के साक्षय स्पष्ट रूप से उपस्थिति का संकेत देते हैं

अभियुक्त के रक्त में अनुज्ञेय सीमा से अधिक शराब, कि

यह निष्कर्ष नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किया गया था। वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय कि यदि धारा 185 और 203 के तहत एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाना है, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिए गए निर्णय ब्रिटेन में सड़क सुरक्षा अधिनियम, 1967, सड़क यातायात अधिनियम, 1972 आदि के प्रावधान से संबंधित थे और इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊपर उल्लिखित मामले में, शराब की मात्रा की उपस्थिति बहुत अधिक थी (जो कि अनुमेय सीमा से 0.115% है)। यह वह मामला भी है जहाँ दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त दृष्टिकोण ने उन तथ्यों को बदल दिया जिन्होंने श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण को असंभव बना दिया। यह भी पाया गया कि पहले आरोपी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में <आईडी1 पर दोपहर 12.29 पर ले जाया गया था और रक्त के नमूनों से पता चला कि शराब धारा 185 में दर्शाई गई सीमा से कहीं अधिक है। इसके अलावा, निर्णय के बाद, 01.09.2019 के प्रभाव से, एक प्रयोगशाला परीक्षण या कोई अन्य परीक्षण अभियोजन पक्ष को धारा 185 के तहत मामला स्थापित करने में सहायता करता है।

56. हमने 185,203 और 204 की धाराओं के प्रावधानों को निर्धारित किया है ताकि प्रभाव के आधार पर पक्षों के तर्क से निपटा जा सके

ये प्रावधान, किसी ऐसे मामले में बीमा अनुबंध के बहिष्करण खंड के संचालन पर, जिसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। बीमा अनुबंध, वर्तमान मामले में, स्वयं के नुकसान से निपटने वाला बीमा का एक व्यापक अनुबंध है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तीसरे पक्ष का भी है। हालाँकि, इस मामले में जो शामिल है, वह खंड (ए) के तहत बीमाकर्ता के साथ कथित देयता है, जो 'स्वयं के नुकसान' से संबंधित है।

57. उपरोक्त मामले में शामिल दावे के संबंध में, हमारा विचार है कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अन्यथा हो।

अपीलार्थी को यह मामला स्थापित करने से वंचित करें कि अपवर्जन खंड प्रत्यर्थी को सफल होने से वंचित कर देगा। यह शराब के प्रभाव में वाहन चलाने का मामला है या नहीं, यह पूरी तरह से अलग मामला है। धारा 185 की आवश्यकता एक आपराधिक अपराध के संदर्भ में है। हालांकि यह सच हो सकता है कि यदि धारा 185 के तहत कोई दोषसिद्धि होती है, तो यह निस्संदेह बीमाकर्ता को बहिष्करण खंड 2 (सी) को सफलतापूर्वक लागू करने में मजबूत करेगा, क्या इसका उल्टा भी सच है? हम एक्सपैट करते हैं। यदि अभियोजन पक्ष ने धारा 185 के तहत मामला दर्ज नहीं किया है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा की कमी का आरोप लगाने वाली कार्रवाई में एक सक्षम मंच यह पता लगाने से अक्षम है कि वाहन शराब के प्रभाव में व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। 30 मिलीग्राम से अधिक शराब की उपस्थिति

प्रति 100 मिली। बीमाकर्ता को खंड को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम बनाने के लिए रक्त की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। यह साबित करने की आवश्यकता है कि शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना है। नशे में धुत

गाड़ी चलाना, धारा 185 के तहत एक आपराधिक अपराध, शराब-रक्त स्तर के अपने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ, यह साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है कि इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

व्यक्ति शराब के प्रभाव में था। यदि श्वास विश्लेषक या कोई अन्य परीक्षण किसी भी कारण से नहीं किया जाता है, तो बीमाकर्ता को अन्यथा अपना मामला साबित करने से रोका नहीं जा सकता है।

58. हम इस मामले में पक्षकारों के बीच एक अनुबंध में शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्यर्थी के लिए कोई मामला नहीं है कि

अपीलार्थी के दायित्व को बाहर करने के लिए अनुबंध की शर्तें किसी भी तरह से अवैध हैं। हम बिना किसी कठिनाई के किसी परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं

जो प्रस्ताव कि बीमाकर्ता धारा 185 बी. ए. एल. (रक्त विश्लेषक परीक्षण) के संदर्भ में एक मामला स्थापित करने में विफल रहता है, वह विफल हो जाएगा, इस मुद्दे के लिए उचित दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि दुर्घटना चालक के शराब के प्रभाव में होने के कारण हो सकती है और न तो श्वास परीक्षण और न ही प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है। ए. दुर्घटना के बाद चालक भाग सकता है। एक परीक्षण कभी नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे सबूत उपलब्ध हो सकते हैं जो इंगित कर सकते हैं कि दुर्घटना के समय वाहन को शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। तब यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि कोई परीक्षण नहीं किया गया है, बीमाकर्ता को

एक ऐसा मामला स्थापित करने के अपने अधिकार से वंचित किया जाएगा जो अनुबंध के तहत उसके अधिकारों के भीतर है।

एल्कोहल के बारे में कुछ वैज्ञानिक पहलू

59. मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के 26 वें संस्करण में, अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है:

" शुद्ध एथिल अल्कोहल एक पारदर्शी, रंगहीन, गतिशील और वाष्पशील तरल है, जिसमें एक विशिष्ट आत्मिक गंध और एक ज्वलंत स्वाद होता है।

मादक पेय पदार्थों में ईथाइल अल्कोहल अलग-अलग अनुपात में मौजूद होता है।

पूर्ण अल्कोहल (अल्कोहल डिहाइड्रेटम) में 99.95 प्रतिशत होता है

शराब।

व्यक्तियों के वातावरण और तापमान और सेवन की गई शराब के डाइल्यूशन की डिग्री पर। आदतन पीने वाला आमतौर पर शराब की एक ही खुराक से कम प्रभाव दिखाता है। शराब अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग कार्य करती है और अलग-अलग समय पर एक ही व्यक्ति पर भी। क्रिया ज्यादातर व्यक्तियों के पर्यावरण और तापमान और सेवन की गई शराब के कमजोर होने की मात्रा पर निर्भर करती है। आदतन पीने वाला आमतौर पर शराब की एक ही खुराक से कम प्रभाव दिखाता है।

विडमार्क का सूत्र। अनुमानित गणना के लिए आधार रक्त और ऊतकों के बीच संतुलन तक पहुँचने के बाद शरीर में शराब की मात्रा विड-मार्क के सूत्र से होती है:

ए = सीपीआर

ए में व्यक्त शराब की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है

((i)

ग्राम।

ग, शराब की मात्रा ग्राम प्रति किलोग्राम में अनुमानित

((ख)

खून में।

(iii) पी किलोग्राम में व्यक्ति का वजन है, और

((iv)

r औसत को विभाजित करके प्राप्त मूल्य है

शरीर में शराब की सांद्रता रक्त में शराब की सांद्रता। यह स्थिर है और पुरुषों के लिए औसत + 0.085 और + 0.055 है।

महिलाएँ।

69.85 किलोग्राम के शरीर के वजन वाले पुरुष के लिए और यह मानते हुए कि

औसत अल्कोहल की मात्रा, रक्त में 45 मिलीग्राम या मूत्र में 60 मिलीग्राम/100 मिलीएल अल्कोहल होने पर, सेवन की जाने वाली न्यूनतम मात्रा 2 तरल औंस व्हिस्की (70 प्रतिशत प्रूफ = 9.98 ग्राम/तरल औंस) और रक्त में 55 मिलीग्राम या मूत्र में 73 मिलीग्राम/100 मिलीएल के साथ, सेवन की जाने वाली बीयर की न्यूनतम मात्रा 1 1⁄2 पिंट (साधारण बीयर = 14.7 ग्राम/पिंट) होनी चाहिए।

औसत शराब की मात्रा, रक्त में 45 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम/100 होना मूत्र में अल्कोहल का एमएल, सेवन की गई न्यूनतम मात्रा 2 होनी चाहिए

व्हिस्की का द्रव औंस (70 प्रतिशत प्रूफ = 9.98 ग्राम/द्रव औंस) और रक्त में 55 मिलीग्राम या मूत्र में 73 मिलीग्राम/100 मिलीएल के साथ, सेवन की जाने वाली बीयर की न्यूनतम मात्रा 1 1⁄2 पिंट (साधारण बीयर = 14.7 ग्राम/पिंट) होनी चाहिए।"

[हम लाभप्रद रूप से कैनेडी बनाम में खुद को याद दिला सकते हैं। स्मिथ

(फैसले के पैराग्राफ 25 को देखें), यह डेढ़ पिंट लेजर (एक प्रकार की बीयर) का मामला था और इसका मतलब आज भारत में 30 मिलीग्राम/100 मिली की सीमा से अधिक 55 मिलीग्राम/100 मिली होता।]

पेट से प्रतिशत और रक्त में प्रवाहित होता है। अल्कोहल के अवशोषण में सुविधा होती है यदि इसे एक केंद्रित अवस्था में तेजी से निगल लिया जाता है। एक खाली पेट पर समाधान, और एक कमजोर समाधान CO टोक्यो सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड होने पर इसमें देरी होती है।

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

वसा युक्त है या इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। सत्रह से बीस प्रतिशत अंतर्ग्रहित शराब को रक्त प्रवाह में अवशोषित नहीं किया जा सकता है यदि

पेट में भोजन होता है। 6 प्रतिशत की अवशोषण दर

अवशोषण में वृद्धि करें। दूध देरी करने में एक शक्तिशाली कारक है। शराब का अवशोषण। शराब अपनी अधिकतम सांद्रता तक पहुँच जाती है।

लगभग 30 मिनट से लगभग 2 घंटे के भीतर रक्त में

इसे लेने के बाद और इस प्रकार एकाग्रता आम तौर पर आनुपातिक होती है

खपत की गई राशि। जबकि शराब की सांद्रता है कि मूत्र में उत्सर्जित लगभग 20-25 में अपने अधिकतम स्तर तक पहुँच जाता है।

रक्त की तुलना में मिनटों बाद, गिरने की सीमा इसके समानांतर होती है

मूत्र में अल्कोहल आमतौर पर मूत्र की तुलना में 20-30 प्रतिशत अधिक होता है। रक्त और काफी स्थिर है। शराब के वितरण के बाद

अवशोषण पूरे शरीर के तरल पदार्थ और ऊतकों में होता है।

उनके पानी की मात्रा के अनुपात में और वसा और हड्डियों में सबसे कम है।

शराब के चयापचय की विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है।

अल्कोहल की मात्रा इकाई समय में चयापचय की जाती है। यह कहा जाता है

चयापचय का शून्य क्रम गतिज (अधिकांश दवाएं चयापचय होती हैं।

जैसे-जैसे रक्त का स्तर कम होता जाता है वैसे-वैसे कम होता जाता है)। लगभग 90 प्रतिशत सेवन की गई शराब का शरीर में चयापचय होता है, मुख्य रूप से

यकृत में ऑक्सीकरण, जिसमें एंजाइम अल्कोहल होता है

व्हिस्की का आधा पेग। परिणाम यह है कि रक्त में शराब की मात्रा कम हो जाती है। लगभग 12-15 मिलीग्राम/घंटा।

XXX

XXX

XXX

रक्त से अल्कोहल वायुकोशीय हवा में जाता है।

फेफड़े और सक्रिय अवशोषण चरण के दौरान, एक श्वास विश्लेषण विश्वसनीय जानकारी देंगे।

(जोर दिया गया)

60. विद्वान लेखक 'तीव्र शराब के नशा' के बारे में चर्चा करते हैं।

तो आदतन पीने वाले के दीर्घकालिक विषाक्तता के बारे में बात करता है। हम कर सकते हैं

यह मत रखिए कि अपवर्जन खंड के तहत, न्यायालय को होने की आवश्यकता नहीं है

किसी भी शर्त के अनुसार। दूसरे शब्दों में, यह [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए आवश्यक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीमाकर्ता यह स्थापित करने के लिए कि तीव्र शराब का नशा था और समान रूप से, यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वाहन एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया था जो एक था

पुरानी शराबी। बस इतना दिखाना आवश्यक है कि वाहन चलाते समय, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, चालक शराब के नशे में था। इस संबंध में, हम मोदी की निम्नलिखित टिप्पणियों को देख सकते हैं:

" यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई विशेष व्यक्ति नशे में है नहीं, एक चिकित्सक को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

ली गई मात्रा कोई मार्गदर्शक नहीं है।

1 .

साँस में शराब की उग्र गंध, हानि

2 .

बुद्धि की स्पष्टता और स्वयं पर नियंत्रण, एक अस्थिर

चाल, एक खाली रूप, सूखे और चिपचिपे होंठ, भीड़ भरी आंखें,

सुस्त और फैली हुई पुतलियाँ, नाड़ी की दर में वृद्धि, एक अस्थिर स्थिति और मोटी आवाज़, यादृच्छिक रूप से बात करना और धारणा की कमी

समय के साथ, नशे की लत के सामान्य संकेत हैं।

हालांकि, एक अल्कोहल पेय की गंध बनी रह सकती है

शराब उत्सर्जित होने के बाद कई घंटों तक सांस लें

शरीर से, क्योंकि यह गैर-मादक घटकों के कारण होता है (जन्मजात) पेय में "।

(जोर दिया गया)

61. हम देखते हैं कि रक्त अल्कोहल एकाग्रता या बी. ए. सी. इस प्रकार है,

किसी व्यक्ति के रक्त में शराब की सांद्रता। भारत में, अनुमेय बी. ए. सी. स्तर 100 मिली में 30 मिलीग्राम अल्कोहल है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 में रक्त का उपयोग। यह रक्त में शराब के 0.13 प्रतिशत के बराबर है, जिसके अलावा, धारा 185 के तहत घोषित रूप से गाड़ी चलाना या गाड़ी चलाने का प्रयास करना अपराध है। जैसा कि देखा गया है, बी. ए. सी. एक संख्या से सहसंबद्ध है

परिवर्तनीय। यह लिंग और शरीर के वजन से प्रभावित होता है। महिला की तुलना में पुरुष में पानी की मात्रा अधिक होती है। समान मात्रा में पीने पर, बाद वाला पहले वाले की तुलना में अधिक बी. ए. सी. बनाता है। बी. ए. सी. इस बात पर भी स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है कि व्यक्ति खाली पेट पीता है या नहीं। यकृत। एक घंटे में एक पेय की दर से आम तौर पर एक मानक पेय का चयापचय होता है। जिस आवृत्ति पर पेय लिया जाता है, वह बी. ए. सी. स्तर को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि जीन भी अपनी भूमिका निभाते हैं।

तीन रिपोर्टें

62. संयुक्त राज्य अमेरिका में, वास्तव में, एक रिपोर्ट

प्रभाव में गाड़ी चलाना और शराब की सीमा से संबंधित 'को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर कांग्रेस।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा द्वारा

अक्टूबर, 1992 में किए गए नामांकन में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है:

" निष्कर्षण सारांश

वर्तमान कानून प्रभाव में गाड़ी चलाने के खतरे को परिभाषित करता है।

शराब दो तरह से। सबसे पहले, सभी राज्यों में गाड़ी चलाना अवैध है। किसी भी बी. ए. सी. स्तर पर शराब से बाधित। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति

जिसे असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाते हुए देखा जाता है और पाया जाता है शराब पी रहा है, के प्रभाव में गाड़ी चलाने के लिए आरोप लगाया जा सकता है

वास्तविक बी. ए. सी. के बावजूद शराब।

इसके अलावा, मूल रूप से दो प्रकार के कानून हैं

सार्वजनिक ड्राइविंग जो बी. ए. सी. सीमाएँ निर्दिष्ट करती है। " अनुमानित 2 कानूनों में कहा गया है

कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिए गए बी. ए. सी. पर या उसके ऊपर गाड़ी चला रहा है, तो यह है

यह माना जाता है कि चालक विकलांग या नशे में है, लेकिन अनुमान अदालत में खंडन के लिए खुला है। पर से "कानून इसे बनाते हैं

निर्दिष्ट बी. ए. सी. 41 राज्यों में प्रति बी. ए. सी. स्तर 0.10 है और कोलंबिया का जिला और 5 राज्यों में 0.8 है। केवल चार राज्यों में

0. 10 की अनुमानित सीमा। कुछ राज्यों में कानून यह मानते हैं कि एक व्यक्ति विकलांग नहीं है यदि उसका बी. ए. सी. 0.05 या उससे कम है।

अध्याय II। एल्कोहोल। प्रभाव

कांग्रेस को दी गई पहली रिपोर्ट में वैज्ञानिक साहित्य की समीक्षा की गई

चालक के प्रदर्शन और संबंध पर बीएसी के प्रभाव पर

बीएसी स्तर और क्रैश के बीच। इन दोनों के साक्षय

शराब के बारे में कई निष्कर्ष निकालने के लिए क्षेत्रों को एकीकृत किया गया था प्रभाव और बी. ए. सी. स्तर, विशेष रूप से वे जो 0.10 से नीचे हैं। इनमें से

प्रमुख निष्कर्ष थे:

शराब विकार के लिए कोई सीमा नहीं है, अर्थात, वहाँ

कोई निम्न स्तर नहीं है जिस पर हानि शुरू होती है, या उससे नीचे

जिसमें कोई कमी नहीं पाई जाती है।

शराब की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक

किसी दिए गए कार्य पर हानि की डिग्री, उतनी ही अधिक

कार्य (या विभिन्न प्रकार के कार्य) जो हैं बिगड़ा हुआ, और दुर्घटना का खतरा उतना ही अधिक होता है। "

(जोर दिया गया)

63. इसलिए, अनुमानित कानून शराब के सेवन के लिए अनुमानित सीमाओं का प्रावधान करते हैं, जिसका उल्लंघन करते हुए,

यह धारणा खंडन योग्य होने के अधीन है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था

शराब के प्रभाव में। अब तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अनुमानित सीमा, जिसे शुरू में 0.15 से घटाकर 0.10 कर दिया गया था, लगभग सभी राज्यों में घटाकर 0.08 कर दिया गया है। वास्तव में, कम उम्र के चालकों के लिए कम बी. ए. सी. (रक्त शराब एकाग्रता) स्तर या शून्य सहिष्णुता स्तर हैं।

64. जुलाई, 1998 में अमेरिकी परिवहन विभाग द्वारा लाए गए एक अन्य पेपर में, 'कम खुराक के प्रभाव' से निपटने के लिए

ड्राइविंग से संबंधित कौशल पर शराब, साक्षय की समीक्षा, अध्ययन में 177 उद्धरणों का उपयोग किया गया। गाड़ी चलाना एक बहु-कार्य कौशल है। गाड़ी चलाना शामिल है विभिन्न कार्यों का निष्पादन। इसमें साइको-मोटर कौशल, धारणा, दृश्य कार्य, सूचना प्रसंस्करण, केंद्रित ध्यान, विभाजित ध्यान, प्रतिक्रिया और ट्रैकिंग शामिल हैं। रिपोर्ट में निम्नलिखित पाया गया है: " ऐसा लगता है कि कोई निम्न सीमा स्तर नहीं है, जिसके नीचे शराब के लिए कोई हानि मौजूद नहीं है ": निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

" निष्कर्ष और सिफारिशें

यहाँ समीक्षा किए गए साक्षय इंगित करते हैं कि शराब प्रदर्शन के सभी पहलुओं को समान रूप से खराब नहीं करती है। इस तरह के क्षेत्र ऑक्युलोमोटर कार्य और विभाजित ध्यान प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं कि बी. ए. सी. पर 0.02% जितना कम हानि हो सकती है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि 0.05% या उससे अधिक के BAC ड्राइवर प्रदर्शन के लगभग सभी महत्वपूर्ण घटकों को खराब करते हैं। मूल्यांकन में

प्रदर्शन में कमी लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बी. ए. सी. ड्राइविंग के लिए प्रासंगिक, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यहां चर्चा किए गए अधिकांश प्रदर्शन क्षेत्रों के लिए बीएसीएस में हानि की सूचना दी गई है

0. 1 और 0.02% के बीच। दुर्भाग्य से, अपेक्षाकृत कम अध्ययनों ने 0.04% के नीचे बीएसी के प्रभावों की जांच की है, ताकि नीचे बीएसी में व्यवहार संबंधी हानि के बारे में जानकारी मिल सके।

0.04 % 0.05% और उससे ऊपर की तुलना में कम उपलब्ध है। हालाँकि, यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि 0.05% और अधिक के BAC

चालक इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रमुख घटकों की हानि का उत्पादन।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

पुलिस अधिकारियों द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार की लगातार रिपोर्ट प्रदर्शित की गई अपराधियों द्वारा। वर्तमान समीक्षा ने मॉडल से काम किया है

मोस्कोविट्ज़ (1973 ए, बी) द्वारा प्रदान किया गया, जिसने सुझाव दिया कि ड्राइविंग है

एक समय साझा करने वाला कार्य, जिसके प्रमुख घटक ट्रैकिंग हैं

और दृश्य खोज और पहचान। यह स्पष्ट है कि 0.05% के BAC

या इन दोनों व्यक्तिगत कौशल घटकों को कम करता है और

निम्न स्तर, एक विभाजित में इन कौशल के संयोजन को भी खराब करते हैं

ध्यान की स्थिति। उच्च बी. ए. सी. स्तर (उदाहरण के लिए, जो अधिक हैं)

0.10 %) निरंतर हानि प्रभाव भी दिखाता है। से साक्षय

वास्तविक ड्राइविंग कार्यों पर शराब के अध्ययन से पता चलता है कि चालक

प्रदर्शन भी इसी तरह प्रभावित होता है। इस प्रकार, मौजूदा का वजन

अनुभवजन्य साक्षय को वैज्ञानिक रूप से उचित ठहराने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

0.05% के नीचे बी. ए. सी. को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, इन निम्न स्तरों पर प्रदर्शन हानि के व्यापक प्रमाण

बी. ए. सी., लेकिन आगे के अध्ययन बेहतर परिभाषा की अनुमति देंगे बी. ए. सी. स्तर जिन पर हानि पहले अलग-अलग के लिए दिखाई देती है

व्यवहार क्षेत्र।

(जोर दिया गया)

65. हम समीक्षा की रिपोर्ट का उल्लेख करना भी उचित समझते हैं।

ड्रिंक एंड ड्रग ड्राइविंग लॉ "जो वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था यू. के. में सड़क सुरक्षा अधिनियम, 1967, इसे यू. के. में अपराध बनाता है।

80 मिलीग्राम से अधिक रक्त-अल्कोहल सांद्रता वाले वाहन को चलाना। शराब प्रति 100 मिली। खून से। सरकार ने सर को नियुक्त किया पीटर नॉर्थ, सी. बी. ई., क्यू. सी. ने पूछताछ की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि क्या सीमा को कम करने की आवश्यकता थी। रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार बताती है:

" शोध के निष्कर्ष 3.26 . राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र

स्वास्थ्य और नैदानिक उत्कृष्टता संस्थान (एन. आई. सी. ई.) ने हाल ही में

परिवहन विभाग द्वारा कमीशन किया गया था। 34 समीक्षा इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि रक्त में अल्कोहल की मात्रा कितनी प्रभावी है [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(बी. ए. सी.) कानून सड़क यातायात चोटों और मौतों को कम करने के लिए हैं। इसने बी. ए. सी. सीमा को 80 मिलीग्राम/100 मिली. से घटाकर 50 मिलीग्राम/100 मिली. करने के संभावित प्रभाव का भी आकलन किया। शराब पीकर गाड़ी चलाना और सड़क दुर्घटना का खतरा

3.29 . एन. आई. सी. ई. ने निष्कर्ष निकाला कि इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि यदि किसी के रक्त में कोई शराब है तो उसकी गाड़ी चलाने की क्षमता प्रभावित होती है। अध्ययनों से लगातार पता चलता है कि दुर्घटना होने का खतरा तेजी से बढ़ता है क्योंकि अधिक शराब का सेवन किया जाता है। 20

मिलीग्राम/100 मिली और 50 मिलीग्राम/100 मिली के बीच बीएसी वाले चालकों को उन चालकों की तुलना में वाहन दुर्घटना में मरने का कम से कम तीन गुना अधिक खतरा होता है जिनके रक्त में शराब नहीं होती है। 50 मिलीग्राम/100 मिली और 80 मिलीग्राम/100 मिली के बीच बीएसी के साथ यह जोखिम कम से कम छह गुना और 80 मिलीग्राम/100 मिली और 100 मिलीग्राम/100 मिली के बीच बीएसी के साथ 11 गुना तक बढ़ जाता है। 3.30 . युवा चालकों को विशेष रूप से दुर्घटना का खतरा होता है जब भी उन्होंने शराब का सेवन किया हो-चाहे उनका बी. ए. सी. स्तर कुछ भी हो-क्योंकि वे कम अनुभवी चालक हैं, अपरिपक्व हैं और वृद्ध लोगों की तुलना में शराब के प्रभावों के प्रति कम सहिष्णुता रखते हैं। जवान।

चालकों को जोखिम लेने की भी आशंका हो सकती है-चाहे उन्होंने शराब पी हो या नहीं।

श्वास परीक्षण उपकरण-गैर-साक्षय, स्थिर साक्षय और पोर्टेबल साक्षय 3.69 . मानव श्वास में शराब के विश्लेषण के लिए पहला व्यावहारिक उपकरण 1950 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। द.

ब्रीथएलाइज़र® उपकरण ने व्यापक स्वीकृति प्राप्त की और कई वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पुलिस अधिकारियों द्वारा यातायात कानून प्रवर्तन में इसका उपयोग किया गया। 93 ब्रीथएलाइज़र® ने चालक के बी. ए. सी. को निर्धारित करने के लिए एक गैर-घुसपैठ तरीका प्रदान किया, हालांकि यूरोपीय देशों ने फोरेंसिक के लिए इस विधि में कोई रुचि नहीं दिखाई।

उद्देश्यों और इसके बजाय नशे में धुत चालकों के अभियोजन के लिए सबूत के रूप में रक्त में शराब का निर्धारण किया। यूरोप में साक्षय श्वास-शराब परीक्षण में रुचि 1980 के दशक में उत्पन्न हुई जब अधिक सघन, स्वचालित और विश्वसनीय उपकरण उपलब्ध हुए।

अध्याय 4: शराब पीकर गाड़ी चलाना-निष्कर्ष और सिफारिशें, निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दिया गया है: वर्तमान रक्त अल्कोहल सीमा को 80 मिलीग्राम/100 मिली से घटाकर 20 मिलीग्राम/100 मिली आई. एफ. एफ. सी. ओ. टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करना।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

4.6 . जैसा कि अनुच्छेद 1.23 निर्धारित करता है, 20 मिलीग्राम/100 मिली की रक्त अल्कोहल सांद्रता (बी. ए. सी.) सीमा प्रभावी रूप से एक शून्य सहिष्णुता स्तर है। नाइस रिपोर्ट स्पष्ट प्रमाण प्रदान करती है कि किसी व्यक्ति की क्षमता शराब की किसी भी मात्रा का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाना प्रभावित होता है। एक ड्राइवर जिसका बी. ए. सी. 20 मिलीग्राम/100 मिली और 50 मिलीग्राम/100 के बीच है।

सड़क यातायात दुर्घटना में एमएल के मरने की संभावना कम से कम 3 गुना अधिक होती है।

एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके शरीर में शराब नहीं है। 4.7 . इस साक्षय को ध्यान में रखते हुए, 20 मिलीग्राम/100 मिली की सभी पर लागू होने वाली सामान्य बी. ए. सी. सीमा में स्पष्ट रूप से योग्यता और समझदारी है। यह भी माना जाता है कि 20 मिलीग्राम/100 मिली की सीमा बिल्कुल सही और आवश्यक 'शराब पीकर गाड़ी न चलाएँ' संदेश के अनुरूप है। वास्तव में, कई यूरोपीय देशों सहित

स्वीडन, पोलैंड और बेल्जियम ने 20 मिलीग्राम/100 मिली, या 20 मिलीग्राम/100 मिली, बीएसी सीमा को अपनाया है। समीक्षा ने अप्रैल में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के वार्षिक सम्मेलन में 'शून्य सहिष्णुता' पेय ड्राइव सीमा के समर्थन में वोट को रुचि के साथ नोट किया।

2010. "

66. हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कम उम्र के चालक के लिए आयु वर्ग 17-24 वर्ष प्रतीत होता है।

रिपोर्ट करें। समिति ने 100 मिली रक्त में बी. ए. सी. के स्तर को 50 मिलीग्राम अल्कोहल तक कम करने की सिफारिश की।

दो लेख

मस्तिष्क विकास पर एल्कोहल का प्रभाव

फरहीन पटेल और पलाश मंडल द्वारा

67. " जब लोग शराब का सेवन करते हैं तो लगभग 20 प्रतिशत पेट में अवशोषित हो जाता है और लगभग 80 प्रतिशत छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। शराब

अवशोषण दो मुख्य कारकों से संबंधित है:

शराब की एकाग्रता और

ए।

बी।

पीने से पहले भारी भोजन का सेवन करें। एक खाली

पेट शराब के अवशोषण को तेज कर देगा।

68. " अवशोषित शराब रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और पूरे शरीर में ले जाती है। शरीर में पहुँचने पर, साथ ही शरीर इसे खत्म करने का काम करता है। 10 प्रतिशत अल्कोहल गुर्दे (मूत्र) द्वारा हटा दिया जाता है।

और फेफड़े (सांस)। बचे हुए अल्कोहल को यकृत द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, अल्कोहल को पहले एसिटाल्डेहाइड में परिवर्तित किया जाता है और फिर आगे एसिटिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यूरोलॉजिकल में एल्कोहल एक्ट कैसे होता है

स्तर?

69. " मस्तिष्क रसायन विज्ञान न्यूरोट्रांसमीटर के परिवर्तन के माध्यम से शराब से प्रभावित होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो संदेश भेजते हैं।

पूरे शरीर में संकेतों को बाहर निकालना और विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना,

व्यवहार और संवेदना प्रक्रियाएँ। न्यूरोट्रांसमीटर या तो उत्तेजक (मस्तिष्क विद्युत गति को उत्तेजित करने वाले) या अवरोधक (मस्तिष्क विद्युत गति को कम करने वाले) होते हैं। शराब अवरोधक के प्रभाव को बढ़ाती है।

मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जीएबीए। जी. ए. बी. ए. सुस्ती का कारण बनता है

हरकतें और विकृत भाषण जो अक्सर शराबियों में होते हैं। उसी समय, शराब उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट को रोकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक समान प्रकार की शारीरिक मंदी का दमन होता है। इसके अलावा, शराब मस्तिष्क केंद्र में रासायनिक डोपामाइन की मात्रा को भी बढ़ाती है, जो शराब पीने के बाद आनंद की भावना पैदा करती है। कुछ पेय के बाद, शराब के शारीरिक प्रभाव बोधगम्य हो जाते हैं। बी. ए. सी. का स्तर तब बढ़ता है जब शरीर शराब को उतनी तेजी से ग्रहण करता है जितना वह छोड़ सकता है। "

70. हर्बर्ट मोस्कोविट्ज़, मार्सेलिन बर्न्स और मार्सेलिन बर्न्स द्वारा "शराब के सेवन से सांस की गंध का पुलिस अधिकारियों द्वारा पता लगाना" शीर्षक वाले एक लेख में

सुसान फर्ग्यूसन, हम निम्नलिखित पर ध्यान देते हैं:

जाँच द्वारा पूरक एक कंप्यूटर साहित्य खोज विभिन्न प्रकाशनों में संदर्भों से केवल दो अध्ययन प्राप्त हुए

सांस की शराब की गंध का पता लगाने की क्षमता की जांच करना। पहला अध्ययन विडमार्क (1932) (जर्मन संस्करण 1932, अंग्रेजी अनुवाद, 1981) द्वारा प्रकाशित एक मोनोग्राफ में पाया गया था। विडमार्क स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उन्होंने शराब के प्रभाव में संभावित

ड्राइविंग के लिए गिरफ्तार किए गए 562 चालकों के व्यवहार परीक्षण से प्राप्त डेटा प्रस्तुत किया। व्यवहार परीक्षण पूरे स्वीडन में पुलिस थानों में हुआ, और 150 से अधिक चिकित्सकों द्वारा किया गया। सात व्यवहार परीक्षणों में सांस पर शराब की गंध, शरीर के लहराने का रोमबर्ग परीक्षण, चलना शामिल थे।

एक सीधी रेखा और मोड़, उंगली से उंगली परीक्षण, छोटी वस्तुओं को उठाना और अस्पष्ट भाषण।

व्यवहार संबंधी को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इन वस्तुओं में से प्रत्येक। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

सभी विषयों को बैटरी दी गई थी। विडमार्क ने उल्लेख किया कि

अवशोषण चरण। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके रक्त में अल्कोहल की मात्रा हो (बी. ए. सी.) नीचे के 0.06% में शराब की गंध का पता चला था

डॉक्टरों द्वारा। 0.061 और 0.08% BAC के बीच, 33 प्रतिशत चालक

0.081 और 0.10% BAC के बीच गंध होने का पता चला,

63 % चालकों का पता चला; 0.101 से 0.181% BAC तक,

पता लगाने का औसत 81 प्रतिशत; 0.181% और 0.260% BAC के बीच, पता लगाने का औसत 92 प्रतिशत था और यह केवल 0.261% BAC से ऊपर था।

कि सांस पर एक मादक गंध 100% का पता चला था। इस मुद्दे से संबंधित दूसरा संदर्भ एक राष्ट्रीय था

राजमार्ग परिवहन सुरक्षा प्रशासन, विभाग

शराब (डीयूआई) के प्रभाव में ड्राइवरों का पता लगाने में अधिकारी (कॉम्पटन, 1985)। यह एक प्रयोगात्मक अध्ययन था जिसमें 75 पुरुष थे।

स्वयंसेवी चालकों को पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल पेय दिया गया

शून्य या 0.05 और 0.15% के बीच के बी. ए. सी. का उत्पादन करना।

खपत एक 1.5-2h अवधि में की गई थी। एक अतिरिक्त के बाद

आधे घंटे की प्रतीक्षा, विषयों ने एक कार को एक बंद मार्ग पर चलाया चेक प्वाइंट, जहाँ एक अधिकारी/पर्यवेक्षक ड्राइवर के साथ बातचीत करता है

और अन्य लक्षणों के बीच नोट किया कि क्या शराब की गंध थी

प्रस्तुत किया। जांच किए गए अन्य लक्षणों में चेहरा लाल होना, धुंधला होना शामिल थे।

बोलचाल, आँखों का फैलाव, व्यवहार, विकृत बाल, खराब निपुणता और

कपड़े उखड़ गए। इसके बाद अधिकारियों ने निर्णय लिया

क्या आगे की जाँच के लिए चालक को हिरासत में लिया जाना चाहिए।

शून्य बी. ए. सी. वाले चालकों की 93 प्रतिशत सही पहचान की गई थी

समय। 7 प्रतिशत गलत-सकारात्मक थे, अर्थात शून्य की पहचान। बी. ए. सी. चालक को शराब की बदबू आ रही है। चूंकि अधिकारियों को पता था

यह दर निस्संदेह वास्तविक यातायात स्टॉप की तुलना में अधिक है। बीच में बी. ए. सी. वाले चालकों में शराब की गंध पाई गई

0.05 और 0.09% केवल 39 प्रतिशत समय गलत नकारात्मक का उत्पादन करते हैं

त्रुटि दर 61 प्रतिशत। इसके विपरीत, बी. ए. सी. वाले 61 प्रतिशत चालक

0.10 और 0.15% को अल्कोहल की गंध उत्सर्जित करने के रूप में पाया गया

39 % गलत नकारात्मक, यानी 0.10% के ऊपर के ड्राइवरों का पता नहीं चला है। गंध का पता लगाने में अधिकारियों के बीच भिन्नता काफी बड़ी थी। ”

(जोर दिया गया)

यह स्पष्ट नहीं है कि सांस की गंध को बिना किसी उपाय के समझने की कोशिश की गई थी या नहीं।

अन्वेषक के आधार पर तर्क

सबूत के बोझ से संबंधित रिपोर्ट और प्रश्न

71. श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि बीमाकर्ता को शर्त के उल्लंघन को साबित करने के दायित्व के साथ जोड़ा गया था, जो कि उपलब्धि के लिए असंभव है, इस मामले के तथ्यों में आधारहीन है। इस संबंध में, उन्होंने अन्वेषक रिपोर्ट की सामग्री की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि जाँच रिपोर्ट से पता चलेगा कि जाँचकर्ता सुबह-सुबह बहुत मौजूद था, और इसलिए, उन्हें कार के चालक, पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। जाँचकर्ता चालक का परीक्षण कराने पर भी जोर दे सकता था। हालाँकि, इस अवसर के प्रस्तुत होने के बावजूद, उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया है। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति शराब के प्रभाव में था।

72. जाँच रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

" उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में जांच का विवरण वाहन ने कहा:

उपरोक्त दुर्घटना दावे के संबंध में, मुझे आपके द्वारा उपरोक्त दावे की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इस संबंध में, मैं गया

आई. डी. 1 पर इंडिया गेट पर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और कार का निरीक्षण किया और उसके बाद पी. एस. तिलक मार्ग गए और इस मामले के आई. ओ. एस. आई. मुख्तियार सिंह से उक्त दुर्घटना के बारे में पूछताछ की।

एस. आई. मुख्तियार सिंह से प्राप्त जानकारी:

पी. एस. तिलक मार्ग पर तैनात एस. आई. मुख्तार सिंह ने मुझे बताया कि उन्हें एक दुर्घटना कॉल आया जो डी. डी. आर. रजिस्टर में दर्ज किया गया था। 39 सुबह 5 बजे 22/12/07 पर ए: 05 ए. एम. और उसके बाद वह कांस्टेबल विनोद नं. 2098 / एन. डी. पी. एस. तिलक मार्ग से इंडिया गेट पर दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुआ और जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक कार देखी। नहीं। डीएल 1 सीजे-3577 जल रहा है और अतिरिक्त एसएचओ और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद थे।

उन्हें सूचित किया जा रहा था कि सीओ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

घायलों को आर. एम. एल. अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एम. एल. सी. संख्या 62213/07 की प्रति रुचि राम जयपुरिया पुत्र सी. के. जयपुरिया पुत्र 11 के नाम से प्राप्त हुई। नंबर 8, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली जिसमें डॉक्टर ने उल्लेख किया है "ताजा होने का कोई सबूत नहीं"

अमन बंगिया एस/ओ के नाम पर श्वास शराब (+) और एमएलसी संख्या 62214/सी 7 की चिकित्सा जांच और गंध के लिए चोटें एस. एस. के. बंगिया आर/ओ 42 ए, पी. के. टी. सी., सिद्धार्थ एक्सटेंशन। नई दिल्ली 14 को डॉक्टर द्वारा बनाया गया था जिसमें डॉक्टर ने मेडिकल जांच और सांस की शराब (+) की गंध के लिए 'ताजा चोटों का कोई सबूत नहीं' का उल्लेख किया है। इसके बाद वह फिर से मौके पर पहुंचे, जहां पी. एस. तिलक मार्ग पर तैनात कांस्टेबल आनंद प्रकाश संख्या 1226/एन. डी. ने उक्त मामले में अपना बयान दिया।

दुर्घटना और घायलों के एमएलसी के रिकॉर्ड के आधार पर

आई. पी. सी. पर 22/12/07 यू/एस 279/427 के साथ-साथ एम. वी. अधिनियम 1988 की यू/एस 185 पर एफ. आई. आर. सं. <आई. डी. 2 दर्ज की गई। उक्त एफ. आई. आर. की प्रति इसके साथ संलग्न है। और इसे अनुलग्नक "ए" के रूप में संलग्न किया गया है।

मेरी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

1. एस. आई. मुख्तियार सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार, और पी. एस. की एफ़. आई. आर. सं. 453/07 दिनांक 22/12/07 को कायम रखने के बाद। तिलक मार्ग और एमएलसी संख्या। 62213/07 श्री अमन बंगिया की ओर से यह पुष्टि की गई है कि चालक श्री अमन बंगाल थे। शराब के प्रभाव में होने के कारण उसने नियंत्रण खो दिया और जिसके परिणामस्वरूप उक्त दुर्घटना हुई है।

73. 06.02.2008 दिनांकित एक परिशिष्ट रिपोर्ट निम्नानुसार पाई जाती है:

" यह मोटर दावे की जाँच से संबंधित और संबंधित मेरी जाँच रिपोर्ट दिनांक 27/01/08 के लिए आगे है। वाहन नं. मेसर्स पर्ल बेवरेजेज का डीएल 1 सीजे-3577 कोवमोट नं. 37669622 .

एफ. आई. आर. नं. 453/07 तत्काल मामले में दायर P.S.Tilak मार्ग का दिनांक 22/12/07। M.V.Act 1988 की धारा 185 भी लागू की गई है। 1988 की धारा 185 के अनुसार, एक शराबी चालक द्वारा वाहन चलाना ऐसी धारा के तहत एक अपराध है और जो कारावास से दंडनीय है। इस प्रकार उक्त दुर्घटना के समय उक्त वाहन को उसका चालक श्री अमन बंगिया शराब के नशे में चला रहा था। इस तरह से ड्राइवर श्री अमन बंगिया द्वारा 'प्राइमा फेसी ड्रंकप ड्राइविंग' साबित हो गया है।

बीमाकर्ता पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दावे पर विचार कर सकता है।

74. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार, रिपोर्ट इंगित करती है कि अन्वेषक को अपीलार्थी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि वह 22.12.2007 पर दुर्घटना स्थल पर गया था। जिस समय अन्वेषक, अन्य बातों के साथ-साथ, उस स्थान पर पहुँचा था, उस समय के रूप में प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा 5.05 ए. एम. होने का संदर्भ वास्तव में उस जानकारी का हिस्सा है जो अन्वेषक को उप-निरीक्षक से प्राप्त हुई थी। उप-निरीक्षक ने अन्वेषक को सूचित किया है कि उन्हें सुबह 5.05 बजे सूचना मिली और उसके बाद, उन्होंने एक

दुर्घटना या दुर्घटना के तुरंत बाद, हमें बीमा पॉलिसी की कुछ शर्तों पर ध्यान देना चाहिए। अनुबंध में प्रावधान है कि किसी भी दावे की स्थिति में किसी भी आकस्मिक नुकसान या क्षति की घटना के तुरंत बाद बीमाकर्ता को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। बीमित व्यक्ति को कंपनी द्वारा आवश्यक सभी जानकारी और सहायता देनी होती है। यह. यह स्पष्ट रूप से सच है कि अपीलार्थी को 22.12.2007 पर सूचित किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर गया था।

22.12.2007 और गाड़ी का निरीक्षण किया। हालाँकि रिपोर्ट में दिए गए सटीक समय का उल्लेख नहीं किया गया है। जिस समय वह गया था, वह भी प्रतिवादी द्वारा जारी पूछताछ के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कार के चालक को कोई नई चोट नहीं लगी होगी और वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से रक्त परीक्षण या श्वास परीक्षण नहीं किया। इस संबंध में क्या हुआ, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। एफ. आई. आर. से ऐसा प्रतीत होता है कि मुखबिर अधिकारी की प्राथमिकता पुरुषों को बाहर निकालना और उन्हें अस्पताल ले जाना था। हालाँकि, हम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत या इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मामले को आगे बढ़ाने के लिए सांस परीक्षण या अन्य परीक्षणों के रूप में मामले को आगे नहीं बढ़ाने में पुलिस अधिकारी के आचरण पर अपनी बेचैनी दर्ज करने का विरोध नहीं कर सकते हैं।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना। हालाँकि हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और कुछ भी कहने से बचते हैं कि 14 साल बीत चुके हैं।

76. सबूत के बोझ पर फिर से सवाल पर आते हुए, जहां तक अपीलकर्ता-बीमित व्यक्ति दायित्व के बहिष्करण का संबंध स्थापित करना चाहता है, सबूत का बोझ उस पर है, बशर्ते कि हम क्या रखते हैं।

77. सबूत के बोझ से संबंधित प्रश्न के संदर्भ में, इस प्रकृति के मामले में, हम सबूत की धारा 106 पर ध्यान दे सकते हैं। एक्ट करें। साक्षय अधिनियम की धारा 106 उन तथ्यों को साबित करने के बोझ की बात करती है जो व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हैं। साक्षय अधिनियम की धारा 106 इस प्रकार है:

" 106 तथ्यों को विशेष रूप से ज्ञान के भीतर साबित करने का बोझ-जब कोई भी तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है।"

78. यह खंड उस सिद्धांत को स्थापित करता है जो तथ्यों को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है जब वे तथ्य विशेष रूप से किसी पक्ष के ज्ञान में होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह एक हितकारी प्रावधान है जो दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों पर भी लागू होता है। हम वी. किशन राव (ऊपर) को नोटिस करते हैं, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 13. जिला फोरम के समक्ष, प्रतिवादी 1 की ओर से, यह था उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 61,64,74 और 75 के प्रावधानों का पालन किए बिना यशोदा अस्पताल के रिकॉर्ड को साबित करने की मांग की। फोरम ने आपत्ति को खारिज कर दिया, और हमारे विचार में सही है कि उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायतों का संक्षिप्त रूप से परीक्षण किया जाता है और साक्षय अधिनियम लागू नहीं होता है। यह न्यायालय मलय कुमार गांगुली बनाम में आयोजित किया गया था। डॉ. सुकुमार

मुखर्जी [(2009) 9 एससीसी 221: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 299] कि साक्षय अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और मंच

अधिनियम के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है (देखें

पैरा 43, पृ. 252 रिपोर्ट से) "।

79. भले ही यह धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर लागू नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि यह सिद्धांत इन पर लागू नहीं हो सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही। हम शंभू नाथ मेहरा बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को देख सकते हैं। अजमेरो राज्य। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 11 इस प्रकार है: 9 9 एआईआर 1956 एससी 404 [2021] 14 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि एक आपराधिक मामले में

सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है और धारा 106 निश्चित रूप से है

कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए जिनमें यह असंभव होगा, या अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी दर पर असमान रूप से कठिन

उन तथ्यों को स्थापित करें जो "विशेष रूप से" के ज्ञान के भीतर हैं

अभियुक्त और जिसे वह बिना किसी कठिनाई के साबित कर सकता था या असुविधा। "विशेष रूप से" शब्द इस पर जोर देता है। इसका मतलब है तथ्य।

जो उनके ज्ञान में पहले से या असाधारण रूप से हैं। अगर खंड की व्याख्या अन्यथा की जानी थी, इससे

बहुत ही चौंका देने वाला निष्कर्ष है कि हत्या के मामले में बोझ उस पर पड़ता है

अभियुक्त यह साबित करने के लिए कि उसने हत्या नहीं की क्योंकि

स्पष्ट है कि यह इरादा नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस खंड का अर्थ लगाने से इनकार कर दिया, जैसा कि कुछ में पुनः प्रस्तुत किया गया है

भारत के बाहर अन्य अधिनियम, जिसका अर्थ है कि बोझ एक अभियुक्त पर है

व्यक्ति यह दिखाने के लिए कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए वह है

कोशिश की। ये मामले एट्टीगाले बनाम हैं। सम्राट [ए. आई. आर 1936 पी. सी. 169]

और सेनेविरत्ने वी। आर. [(1936) 3 सभी ई. आर. 36,49] "।

(जोर दिया गया)

80. यही दृष्टिकोण मुरलीधर और अन्य बनाम में भी लिया गया है।

राजस्थान राज्य 1 0.

81. यदि हम साक्षय अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत को लागू करते हैं,

क्या यह निम्नलिखित परिणाम नहीं देगा?

प्रतिवादी ने मामला स्थापित किया कि चालक ने सेवन नहीं किया था

कोई भी शराब। अगले वाक्य में, यह अनुरोध किया जाता है कि आगे यह मानते हुए कि उसने शराब का सेवन किया था, क्योंकि वह नशे में नहीं था, बहिष्करण खंड आकर्षित नहीं होता है। हालाँकि, जब हलफनामे के साक्षय की बात आती है, तो चालक ने यह बयान नहीं दिया है कि उसने मादक शराब का सेवन नहीं किया था। उसने केवल इतना कहा है कि दुर्घटना के समय वह न तो मादक शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था। उन साक्षयों को ध्यान में रखते हुए जो चालक से शराब की बदबू आने की ओर इशारा करते हैं और यहां तक कि चालक द्वारा भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने शराब का सेवन नहीं किया है और जैसा कि राष्ट्रीय आयोग ने पाया है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शराब पीने के बाद चालक द्वारा कार चलाई गई थी। ऐसे मामले में कि शराब की प्रकृति क्या थी और इसकी मात्रा क्या थी

10 एयर 2005 एससी 2345 इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

शराब का सेवन, और उसने कहाँ सेवन किया था, यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्य होंगे जिसने शराब का सेवन किया है। उदाहरण के लिए, चालक ने भी, एक बार जब हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि उसने शराब का सेवन किया है, तो यह संकेत नहीं दिया है कि उसने कब शराब का सेवन किया है। बीमाकर्ता के लिए तथ्यों में यह साबित करना "असमान रूप से कठिन" होगा कि क्या

चालक ने खाली पेट शराब का सेवन किया है या उसने खाना खाया है और फिर शराब का सेवन किया है या पेय की मात्रा और गुणवत्ता (शराब की मात्रा) क्या थी जो प्रासंगिक परिस्थितियाँ होतीं - इस बात पर विचार करें कि क्या उसने शराब के प्रभाव में वाहन चलाया था। चालक ने केवल इतना कहा है कि वह नशे के प्रभाव में नहीं था और वह पूरी तरह से होश में था।

82. यह सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा चालक से कोई पूछताछ नहीं की गई है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही संक्षिप्त होने के कारण, प्रतिपरीक्षा सामान्य रूप से पूछताछ के तौर-तरीकों के माध्यम से आयोजित की जाए। डॉ. जे. जे. मर्चेंट (डॉ.) बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी 1 1

" 19. यह सच है कि किसी उपयुक्त मामले में आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की जांच करना आयोग का विवेकाधिकार है। यह भी उतना ही सच है कि जिन मामलों में विशेषज्ञों की जांच करना उचित समझा जाता है, वहां आयोग के समक्ष साक्षय दर्ज करने में समय लग सकता है। अधिनियम

विशेष रूप से उपभोक्ता मंचों को इसका पालन करने का अधिकार देता है

प्रक्रिया सख्ती से। अधिनियम के तहत, शिकायत की सुनवाई करते समय, हलफनामों (धारा 13 (4) (iii) के तहत) पर साक्षय लिया जा सकता है। यह ऐसे मंचों को किसी भी आयोग को जारी करने का अधिकार भी देता है। किसी भी गवाह की परीक्षा [धारा 13 (4) (v) के तहत]। यह भी कहा जाना चाहिए कि आदेश 18 सी. पी. सी. में नियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है जो

अन्य प्रावधान है कि हर मामले में, एक की परीक्षा-इन-चीफ

गवाह शपथ पत्र पर होगा और उसकी प्रतियां विरोधी पक्ष को उस पक्ष द्वारा प्रदान की जाएंगी जो उसे साक्षय के लिए बुलाता है। यह. यह भी प्रावधान है कि गवाहों से अदालत या उसके द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा पूछताछ की जा सकती

है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आयोग को उक्त प्रक्रिया का पालन करने का भी अधिकार है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि परीक्षा या क्रॉस में देरी की कोई गुंजाइश है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गवाहों की जाँच। विशेषज्ञों के शपथ पत्र जिनमें शामिल हैं

डॉक्टरों को सबूत के रूप में लिया जा सकता है। इसके बाद, यदि पार किया जाता है

दूसरे पक्ष और आयोग द्वारा जांच की मांग की जाती है

यह उचित लगता है, यह आसानी से अनुमति देने वाली प्रक्रिया विकसित कर सकता है

पक्षकार जो कुछ प्रश्न पूछकर जिरह करने का इरादा रखता है

लिखित रूप में और उन प्रश्नों का उत्तर भी ऐसे विशेषज्ञ दे सकते हैं।

शपथ पत्र पर डॉक्टरों सहित। ऐसे मामले में जहां दांव बहुत हैं उच्च और अभी भी एक पक्ष ऐसे डॉक्टरों की जांच करने का इरादा रखता है या

विशेषज्ञ, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है या उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं

टेलीफोनिक सम्मेलन की व्यवस्था करना और प्रारंभिक चरण में यह लागत

इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंस का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, आयुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। एक निश्चित स्थान पर ऐसे विशेषज्ञों के कार्यस्थल पर उसके द्वारा नियुक्त किया गया

समय "।

(जोर दिया गया)

83. इस प्रकार, अदालत में कार्यवाही के विपरीत, आम तौर पर बीमाकर्ता

हो सकता है कि वह प्रतिपरीक्षा करने की स्थिति में न हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि साक्षय अधिनियम की धारा 106 का सिद्धांत केवल उस व्यक्ति पर बोझ डालता है जिसे तथ्यों का विशेष ज्ञान है, तथ्यों के अलावा, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। , कहाँ इसका सेवन किया गया था, शराब की गुणवत्ता और मात्रा, जिस समय इसका सेवन किया गया था, क्या यह भोजन के साथ था जिसे स्पष्ट रूप

से वाहन चलाने वाले व्यक्ति के ज्ञान में कहा जा सकता है, दुर्घटना के बाद स्पष्ट संकेतों के माध्यम से पीने के प्रभाव।

तथ्यों में, यह केवल चालक की जानकारी में नहीं कहा जा सकता है। हम यह इस कारण से कहते हैं कि एफ. आई. आर. के अनुसार, गश्ती पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने दुर्घटना की घटना का कथित रूप से वर्णन किया है और वह उस समय मौजूद था। उनके कथन के अनुसार, उन्होंने अपने साथी अधिकारी की सहायता से चालक और सह-यात्री को वाहन से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में, चिकित्सा कानूनी रिपोर्ट में, शराब (+) की सांस का संदर्भ है। हालाँकि, यह सच है कि बीमाकर्ता या उसके एजेंट को उस स्तर पर नोटिस नहीं दिया गया होगा। हम इस बात से भी सहमत हैं कि यह अभिनिर्धारित करना उचित या कानूनी नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियों में, बीमाकर्ता अभी भी श्वास परीक्षण या रक्त परीक्षण के माध्यम से यह साबित करने की स्थिति में होगा कि चालक की हालत ठीक नहीं थी। शराब का प्रभाव। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चालक को कोई नई चोट नहीं लगी है, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और वह चला जाता है, तो हम इसे अकल्पनीय पाते हैं कि सांस या रक्त परीक्षण नहीं कराने के लिए बीमाकर्ता की गलती कैसे हो सकती है।

यह सच हो सकता है कि बीमाकर्ता इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो सकता है। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

किसी अन्य तथ्य के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी से शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में सामग्री प्राप्त की है।

चालक द्वारा शराब का सेवन करना।

आर. ई. एस. आई. पी. एस. ए. स्थान 84. राज्य आयोग ने रेज़ इप्सा के सिद्धांत को लागू किया है

एक्विटर। जवाब देने के लिए सवाल यह नहीं है कि क्या चालक

एहिकल लापरवाह था। रेस इप्सा लोकिटुर पर चर्चा की गई हैसैयद अकबर बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। कर्नाटक राज्य 1 2 और यह है

क्या आयोजित किया जाता है:

" 19. एक नियम के रूप में, केवल इस बात का प्रमाण कि कोई घटना हुई है या कोई दुर्घटना हुई है, जिसका कारण अज्ञात है, लापरवाही का प्रमाण नहीं है। लेकिन किसी विशेष मामले में घटना या दुर्घटना का गठन करने वाली विशिष्ट परिस्थितियाँ स्वयं सुसंगत, स्पष्ट और असंदिग्ध आवाज़ों में लापरवाही की घोषणा कर सकती हैं।

घटना या दुर्घटना का कारण कोई है। यह ऐसे के लिए है

यदि दुर्घटना का कारण अज्ञात है और प्रतिवादी की ओर से कारण के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसे मामले जिनमें अधिकतम आई. पी. एस. ए. लॉक्विटुर लागू हो सकता है। इस बात पर जोर देने के लिए, यह दोहराया जा सकता है कि ऐसे मामलों में, घटना या दुर्घटना उस तरह की होनी चाहिए जो सामान्य प्रक्रिया में नहीं होती है।

जिन लोगों के पास प्रबंधन और नियंत्रण है वे उचित देखभाल का उपयोग करते हैं। लेकिन, कुछ निर्णयों के अनुसार, केवल इस शर्त की संतुष्टि रेज़ इप्सा के काम में आने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे आगे संतुष्ट करना होगा कि जिस घटना के कारण दुर्घटना हुई वह प्रतिवादी के नियंत्रण में थी। इस पल का कारण

आवश्यकता यह है कि जहां प्रतिवादी का उस चीज़ पर नियंत्रण है जिससे चोट लगी है, वह वादी की तुलना में यह समझाने के लिए बेहतर स्थिति में है कि दुर्घटना कैसे हुई। इस तरह की विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं के उदाहरण जो संतान होने की "अपनी कहानी बताते हैं"

लापरवाही के मामले, ऐसे मामलों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि जहां एक मोटर वाहन फुटपाथ पर चढ़ता है या प्रोजेक्ट करता है और वहां किसी को चोट पहुंचाता है या वाहन में यात्रा करता है; एक कार दूसरे से टकरा जाती है। पीछे , या यहाँ तक कि एक सिर-सड़क के गलत तरफ टक्कर पर। (बार्कवे बनाम में लॉर्ड नॉरमैंड के अनुसार देखें। साउथ वेल्स परिवहन

कं. [(1950) 1 सभी ई. आर. 392,399]; क्रीम बनाम। स्मिथ [(1961) 8 ए. ई. आर. 349]; रिचली बनाम। फाउल [(1965) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1454: (1965) 3 सभी ईआर

109])

(1980) 1

एससीसी 30 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. इस प्रकार, अधिकतम रेस इप्सा लोकिटुर के अनुप्रयोग के लिए एक कम महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि रेस को केवल बेस्पेक नहीं होना चाहिए।

लापरवाही, लेकिन इसे प्रतिवादी पर पिन करें "।

85. इस प्रकार, इसका उपयोग अपकृत्य के मामलों में किया जाता है और जहां तथ्य बिना किसी चीज के अधिक स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। सिद्धांत

रेज़ इप्सा लोकिटुर, इस प्रकार, अनुचित प्रतीत होता है, जब, सवाल यह है कि क्या चालक शराब के प्रभाव में था। यह एक और बात हो सकती है कि हालांकि इस तरह का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से दुर्घटना हुई वह अन्य परिस्थितियों के साथ हो सकती है।

ड्राइवर के शराब के प्रभाव में होने की ओर इशारा करें।

विवादित आदेश में हवाएँ

86. राष्ट्रीय आयोग के आदेश में, जिस पर भरोसा किया जाता है, आयोग ने मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र को संदर्भित किया है और

और विष विज्ञान। मोदी ने इस संबंध में अपने काम में उस अनुमानित सीमा को रेखांकित किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित थी। संयुक्त राष्ट्र में राज्यों में, एक समय में, शराब की सांद्रता की 0.15% अधिकतम अनुमानित सीमा थी। यदि शराब की सांद्रता 0.15% से अधिक पाई गई, जब तक कि आरोपी द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया, तो यह माना जाता था कि चालक शराब के प्रभाव में था। वास्तव में, 0.05% की एक कम अनुमानित सीमा थी और यदि एकाग्रता इस सीमा से कम थी तो यह माना जाता था कि चालक गलत नहीं था। प्रासंगिक बात यह है कि विभिन्न अध्ययनों के बाद एक ओर सभी राज्यों में अनुमानित सीमा को कम कर दिया गया था और अधिकतम अनुमानित सीमा को शुरू में 0.10% कर दिया गया था और उसके बाद इसे 0.08% कर दिया गया था।

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

भारत में यह प्रतिशत 0.003 है जो 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम के बराबर है। चीन और स्वीडन में, प्रतिशत अभी भी कम है। यह 0.02% है। निर्भर आदेश के पैराग्राफ 6 में ल्योन का संदर्भ दिया गया है। चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान। इसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के नीतिगत बयान का संदर्भ दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा परिषद ने कहा कि 0.10% को शराब के नशे के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में लिया जा सकता है और यह मान्यता दी जा सकती है कि कई व्यक्ति

0.05% से 0.10% सीमा के प्रभाव में हैं। यह 0.15% शराब के किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं बनाने के पहले के संदर्भ के साथ लॉगरहेड्स पर है।

मोटर वाहन को चलाने के लिए जब तक कि इसे पहले के समय में कानून के रूप में नहीं समझा जाता है। 0.05% रक्त शराब के स्तर का आगे का संदर्भ इस धारणा को बढ़ाता है कि कोई विषय मादक पेय के

प्रभाव में नहीं था, फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनों के सेट पर आधारित है जो इस तरह की धारणा के लिए प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय आयोग ने नहीं किया

इस तथ्य पर विचार किया कि इस तरह की अनुमानित सीमा के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून यह भी प्रदान करते हैं कि शराब की परवाह किए बिना प्रतिशत या बी. ए. सी. स्तर, यदि वाहन सुरक्षित रूप से नहीं चलाया जाता है और किसी व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है, तो उस पर किसी अन्य कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ल्योन के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में किया गया अवलोकन कि 0.10% से कम का रक्त अल्कोहल स्तर एक धारणा को नहीं बढ़ाता है

नशा भी उन विकासों के विपरीत है जिनके तहत अनुमानित सीमा को भी 0.08% तक कम कर दिया गया है। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कम उम्र के चालकों के लिए अधिकांश राज्यों में शून्य प्रतिशत अल्कोहल स्तर या 0.02% अल्कोहल है। निर्भर के अनुच्छेद 7 पर आते हैं

चिकित्सा विज्ञान, नई दिल्ली। दूसरे वर्गीकरण में प्रथम स्थान पर त्रुटि है। वास्तव में, यह '80 से ऊपर' के बीएसी स्तर के लिए अभिप्रेत है। यहां तक कि उक्त वर्गीकरण में भी शराब के वास्तविक प्रभाव खपत को निम्नानुसार दिखाया गया है-"शोर, मूडी, बिगड़ा हुआ निर्णय, खराब ड्राइविंग क्षमता" जबकि तीसरा वर्गीकरण 100 से 200 बीएसी है, जिसके प्रभाव हैं-"इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफिक परिवर्तन"।

दिखाई देने लगता है, धुंधली दृष्टि, अस्थिर चाल, समन्वय में सकल मोटर, अस्पष्ट भाषण, आक्रामक, झगड़ालू, जोर से बात करना। आयोग ने बी. ए. सी. के 80 से नीचे के प्रभावों का उल्लेख नहीं किया है मैनुअल। उसी में, प्रभावों को इस प्रकार दिखाया गया है-"उत्साह, आराम की भावना और स्वतंत्र रूप से बात करना, हाथों और पैरों की अनाड़ी गति, सतर्कता में कमी लेकिन खुद को सतर्क मानता है।" निर्भर आदेश भी

मोदी के मेडिकल [2021] 14 एस. सी. आर. में व्यक्त विचारों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छा दिखाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राय के आधार पर न्यायशास्त्र और विष विज्ञान जो कथित रूप से ल्योन के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान में व्यक्त राय द्वारा सहयोग किया गया है। द.

उक्त मामले में आयोग, जो शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने के मामले से नहीं निपटता था, ने विभिन्न मामलों में निर्धारित सीमाओं को प्रासंगिक पाया।

देशों। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमत शराब की मात्रा 100 मिली रक्त में 100 मिलीग्राम से अधिक नहीं बताई जाती है। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां यह 100 मिली में 100 मिलीग्राम हुआ करता था, अब इसे 100 मिली में 80 मिलीग्राम के अनुरूप 0.08% कर दिया गया है।

88. हम यह भी पाते हैं कि एन. सी. डी. आर. सी. को भ्रमित करने में गलती हुई थी

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत आवश्यकता, जिसके साथ बीमा अनुबंध में बहिष्करण खंड के तहत आवश्यकता है।

एफ. आई. आर.

89. यह रिपोर्ट एक पुलिस कांस्टेबल आनंद कुमार द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है। उनके बयान से पता चलता है कि जैसा कि कांस्टेबल ने पोस्ट किया था

पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में 21/22.12.2007 पर, वह और एक अन्य सिपाही गश्त पर थे। लगभग 02.25 पर, वह अपने

मोटरसाइकिल सी-हेक्सागोन, ज़ाकिर हुसैन मार्ग पहुँच गई। उन्होंने कार के चालक नं. डीएल-1 सीजे-3577 (विचाराधीन कार), निजामुद्दीन की ओर से जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट की ओर बहुत जल्दबाजी, लापरवाही और बहुत तेज गति से आई। बहुत तेज गति के कारण, यह कार नियंत्रण से बाहर हो गई और सी हेक्सागोन के फुटपाथ, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, चिल्ड्रन पार्क, इंडिया गेट, बिजली के खंभे और चिल्ड्रन पार्क की दीवार से टकरा गई और पलट गई। गाड़ी में आग लग गई। वह अपने सहयोगी, एक होम गार्ड के साथ, बहुत प्रयासों के बाद चालक श्री अमन बंगिया और उनके सहयोगी को उक्त कार से बाहर ले आया और वायरलेस विपक्ष को घटना के बारे में सूचित किया। (पुलिस स्टेशन का ऑपरेटर) डी 56, वायरलेस के माध्यम से होना चाहिए। फायर ब्रिगेड, पीसीआर वैन और अतिरिक्त एसएचओ वैन के वाहन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि

दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। एफ. आई. आर. से पता चलता है कि उप-निरीक्षक, उक्त जानकारी के आधार पर, जो उसने दर्ज की थी, दुर्घटना स्थल पर जाता है। एफ़. आई. आर. में आगे यह दर्ज किया गया है कि ए. डी./एस. एच. ओ. और अग्निशमन दल के वाहन सभी इतने मौजूद थे कि आग पर नियंत्रण रखें। बताया जा रहा है कि पीसीआर वैन आरोपी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई थी। उप-निरीक्षक के पास जाता है

अस्पताल। उन्होंने कार के चालक और सह यात्री के एमएलसी का स्वागत किया। उसी में, डॉक्टरों ने बताया है कि कोई नहीं है

ताजा चोट और शराब की गंध का प्रमाण (+)।

वस्तुतः वही इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

रिपोर्ट चालक और सह-यात्री दोनों के बारे में की जाती है। की आयु चालक को 27 वर्ष का दिखाया गया है। यह आगे दर्ज किया गया कि आई. पी. सी. की धारा 279/427 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना की तारीख और समय फिर से इस रूप में दिखाया गया है

22.12.2007 लगभग 02.25 पर। 90. यह एफ. आई. आर. 2007 की एफ. आई. आर. सं. 453 है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कार्यवाही दिनांक 27.08.2011 से पता चलेगा कि

91. राज्य आयोग के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि एफ. आई. आर. और मेडिको लीगल केस शीट प्रस्तुत की गई है स्वयं उत्तरदाता।

92. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रत्यर्थी ने स्वयं भरोसा करना चाहा था

एफ. आई. आर. और मेडिको लीगल केस (एम. एल. सी.) पर। हमने इसकी सामग्री पर ध्यान दिया है। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी तैयार की गई है। आपराधिक मामले में एफ. आई. आर. के उपयोग को अलग किया जाना चाहिए।

कम से कम एक अपराध के संबंध में दोषी ठहराना, अर्थात। , आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत अपराध, जो जाहिर तौर पर राज्य आयोग और राज्य आयोग के समक्ष शिकायत के लंबित रहने के दौरान हुआ था, ने इस विकास का संज्ञान लिया है। 93. जहाँ तक एमएलसी का संबंध है, प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एमएलसी ने

ड्राइवर और सह-यात्री को शराब की बदबू आ रही है।

94. इस मोड़ पर, प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित मामले पर ध्यान देना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से इस मामले को स्थापित करता है कि [2021] 14 एस. सी. आर. चलाने वाला व्यक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गाड़ी ने शराब का सेवन नहीं किया था। अगला वाक्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, वैकल्पिक मामला स्थापित करता है, जो यह है कि आगे यह मानते हुए कि उसने शराब का सेवन किया था, मामला बहिष्करण खंड के तहत नहीं आएगा, क्योंकि वह किसी भी मामले में नशे में नहीं था।

95. यह और उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी के कंपनी सचिव, पीडब्लू1 ने अपने शपथ पत्र साक्षय में कहा है कि धारा के तहत

185 मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, शराब का एक निश्चित प्रतिशत किसी व्यक्ति पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए मुकदमा चलाने से पहले पाया जाना चाहिए। कानून.

शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध नहीं है और केवल यह प्रतिबंधित है कि शराब का प्रतिशत 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति 100 मिली। खून से। इसलिए, समझ यह प्रतीत होती है कि केवल

ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ गाड़ी चलाने का कार्य, शराब का सेवन करने से, धारा 185 का प्रकोप होता है और उसके तहत एक अपराध किया जाता है, कि स्वयं के नुकसान के लिए बीमा अनुबंध में अपवर्जन खंड का अनादर आकर्षित होता है। 96. पी. डब्ल्यू. 2, स्वयं चालक के शपथ पत्र से पता चलता है कि वह यह गवाही नहीं देता है कि उसने शराब का सेवन नहीं किया था जैसा कि शिकायत में किया गया था। इसके बजाय, वह केवल यह बयान देता है कि दुर्घटना के समय वह न तो मादक शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था। उन्होंने आगे कहा कि वह पूरी तरह से होश में थे और उक्त वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में सक्षम थे। यहां तक कि शपथ पत्र के माध्यम से बयान के स्तर पर, जो 2010 में दायर किया गया प्रतीत होता है, वह दोहराता है कि 2007 की प्राथमिकी संख्या 453 में मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत में उनके खिलाफ लंबित मामला दुर्भावनापूर्ण बताया गया है और उन्हें उक्त मामले में बरी किया जाना निश्चित है। हालाँकि, लगभग एक साल के भीतर, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, कथित रूप से झूठे मामले को चालक द्वारा सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। पीडब्लू2 के शपथ पत्र में यह नहीं दिखाया गया है कि चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था, जो मामला स्थापित किया गया है। इसके विपरीत, ड्राइवर नशे में होने के कारण, द्वारा मजबूत किया जाता है

एमएलसी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चालक से शराब की बदबू आ रही थी। 97. इसलिए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी का मामला कि कार चलाने वाले व्यक्ति ने शराब का सेवन नहीं किया था,

स्पष्ट रूप से गलत है।

अंतःक्रियाएँ

98. निम्नलिखित पूछताछ दिनांक 18.10.2010, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से दी गई थीः

ओ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" शिकायतकर्ता के स्वयं पर हस्तक्षेप 1 .

उस सर्वेक्षक का नाम बताइए जिसे इस मामले में नियुक्त किया गया था। क्या उक्त सर्वेक्षक अभी भी आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है?

2 .

3 .

आपने उक्त सर्वेक्षक का हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया है?

वर्तमान कार्यवाही?

क्या मेसर्स भोला एंड एसोसिएट्स एक वकील की फर्म है?

4 .

श्री सोनू भोला की शैक्षिक योग्यताएँ क्या हैं?

5 .

वकील? क्या श्री सोनू भोला के पास वकालत करने का लाइसेंस है?

6 .

अधिवक्ता। यदि हाँ, तो कृपया उसका बार काउंसिल पंजीकरण दें।

नंबर?

7 .

क्या श्री भोला व्यक्तिगत रूप से चालक श्री अमन बंगिया से मिले हैं? वाहन से। यदि हाँ तो कब और कहाँ?

क्या श्री भोला द्वारा अपनी जाँच में किया गया अवलोकन

8 .

रिपोर्ट केवल एफ. आई. आर., एम. एल. सी. से लिया गया एक निष्कर्ष है या यह किसी ठोस और विश्वसनीय साक्षय पर आधारित है? कृपया उन सभी ठोस और विश्वसनीय साक्षयों का विवरण दें और वर्तमान कार्यवाही के रिकॉर्ड से भी यही दिखाएं।

क्या मेसर्स भोला और एसोसिएट्स इसके लिए योग्य हैं

9 .

ऐसे मामले की जांच करें। यदि हाँ, तो कैसे।

क्या श्री सोनू भोला किसी डॉक्टर से मिले थे या अपने कार्यकाल के दौरान?

10 .

जाँच? यदि हां, तो कृपया समय, स्थान और समय दें। डॉक्टर का नाम।

क्या श्री भोला ने उनसे कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की थी?

11 .

जाँच के दौरान डॉक्टर या जाँच अधिकारी?

क्या चालक श्री का कोई मूत्र परीक्षण किया गया था।

12 .

अमन बंगिया शराब के सेवन का निर्धारण करेंगे?

13 .

क्या चालक श्री अमन बंगिया के रक्त का नमूना डॉक्टर ने ले लिया। यदि हाँ, तो क्या उक्त नमूना शराब के सेवन को निर्धारित करने के लिए रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था?

क्या आपके पास ड्राइवर के मूत्र या रक्त परीक्षण की कोई रिपोर्ट है?

14 .

श्रीमान अमन बंगिया?

क्या आपने इन कार्यवाही में डॉक्टर के हलफनामे की अवहेलना की है?

15 .

किसने अपनी रिपोर्ट में "शराब की गंध" बताई थी?

क्या आपके पास कोई चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट है जो दिखा सकती है

16 .

चालक के रक्त में शराब का स्तर?

17 .

क्या आप जानते हैं कि श्री अमन बंगिया के खिलाफ आपराधिक मामला है। क्या अभी भी अदालत में लंबित है?

99. अपीलार्थी द्वारा पूछताछकर्ताओं को दिया गया उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाता है -

बनाम :

" हस्तक्षेपों को जवाब देकर जवाब दें

स्वयं के खिलाफ शिकायत दर्ज

1. उस सर्वेक्षक का नाम बताइए जिसे इस मामले में नियुक्त किया गया था।

उत्तर। श्री विकास पुरी (स्थल सर्वेक्षण), श्री जवाहरलाल (अंतिम सर्वेक्षण)।

2. क्या उक्त सर्वेक्षक अभी भी आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है?

उत्तर। हां.

3. आपने उक्त सर्वेक्षक का हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया है?

वर्तमान कार्यवाही?

उत्तर।

जरूरी नहीं है। क्या मेसर्स भोला एंड एसोसिएट्स एक वकील की फर्म है?

उत्तर। हां. 5. श्री सोनू भोला की शैक्षिक योग्यताएँ क्या हैं?

वकील?

उत्तर। B.Com LLB।

6. क्या श्री सोनू भोला के पास वकालत करने का लाइसेंस है?

अधिवक्ता। यदि हाँ, तो कृपया उसका बार काउंसिल पंजीकरण दें।

नंबर?

उत्तर। यह जांच के साथ प्रासंगिक नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया

पूछताछ करें।

7 .

क्या श्री भोला व्यक्तिगत रूप से चालक श्री अमन बंगिया से मिले हैं?

वाहन से। यदि हाँ तो कब और कहाँ?

उत्तर। नहीं।

टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

क्या श्री भोला द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में किया गया अवलोकन केवल एफ़. आई. आर., एम. एल. सी. से लिया गया निष्कर्ष है या यह किसी ठोस और विश्वसनीय साक्षय पर आधारित है? कृपा करें।

उन सभी ठोस और विश्वसनीय साक्षयों का विवरण दें और वर्तमान कार्यवाहियों के अभिलेख से भी यही दिखाएँ।

एनएस। एमएलसी, एफ. आई. आर. के आधार पर।

क्या मेसर्स भोला और एसोसिएट्स इसके लिए योग्य हैं ऐसे मामले की जांच करें। यदि हाँ, तो कैसे।

एनएस। हां. कानून द्वारा कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।) . क्या श्री सोनू भोला किसी डॉक्टर से मिले थे या अपनी जाँच के दौरान? यदि हां, तो कृपया समय, स्थान और समय दें।

डॉक्टर का नाम।

एनएस। हम इसके बारे में जागरूक नहीं हैं।

क्या श्री भोला ने उनसे कोई चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की थी? जाँच के दौरान डॉक्टर या जाँच अधिकारी?

एनएस। नहीं।

क्या चालक श्री का कोई मूत्र परीक्षण किया गया था।

.

अमन बंगिया शराब के सेवन का निर्धारण करेंगे?

एनएस। पता नहीं चलता।

क्या चालक श्री अमन बंगिया के रक्त का नमूना

.

डॉक्टर ने ले लिया। यदि हाँ, तो क्या उक्त नमूना खपत निर्धारित करने के लिए रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था

शराब का?

एनएस। पता नहीं चलता। ना. क्या आपके पास ड्राइवर के मूत्र या रक्त परीक्षण की कोई रिपोर्ट है?

श्रीमान अमन बंगिया?

एनएस। नहीं।

क्या आपने इन कार्यवाही में डॉक्टर के हलफनामे की अवहेलना की है?

.

किसने अपनी रिपोर्ट में "शराब की गंध" बताई थी?

एनएस। नहीं।

क्या आपके पास कोई चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट है जो दिखा सकती है

.

चालक के रक्त में शराब का स्तर?

एनएस। नहीं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं कि श्री अमन बंगिया के खिलाफ आपराधिक मामला है।

17 .

क्या अभी भी अदालत में लंबित है?

उत्तर। नहीं "।

100. पूछताछ, उत्तरों के साथ, खुलासा करती है

निम्नलिखित:

अपीलार्थी का सर्वेक्षक एक वकील फर्म है।

ए।

बी।

सर्वेक्षक व्यक्तिगत रूप से कार के चालक से नहीं मिला है।

सर्वेक्षणकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियाँ इस पर आधारित हैं -

सी.

एमएलसी और एफ. आई. आर.।

डी।

अपीलार्थी को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या सर्वेक्षणकर्ता ने जाँच के दौरान किसी भी डॉक्टर से मुलाकात की।

सर्वेक्षणकर्ता ने कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

ई.

चिकित्सक या जाँच अधिकारी, अपने कार्यकाल के दौरान

जांच पड़ताल की।

आबन

अपीलार्थी अज्ञानता का अनुरोध करता है कि क्या कोई मूत्र है

यह निर्धारित करने के लिए चालक पर परीक्षण किया गया था

शराब का सेवन।

जी। यही जवाब इस संबंध में भी है कि क्या शराब के सेवन को निर्धारित करने के लिए कोई रक्त का नमूना लिया गया था।

अपीलार्थी ने अपने जवाब में कहा है कि उसने दाखिल नहीं किया है

एच.

डॉक्टर का शपथ पत्र, जिसमें 'शराब की गंध' बताई गई है

उसकी रिपोर्ट।

अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि उसके पास कोई नहीं है

आई.

रक्त में अल्कोहल के स्तर को दिखाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट।

101. हम सोचेंगे कि दोनों स्थितियों को जोड़ना उचित नहीं होगा। , मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत आवश्यकता और विचाराधीन बीमा अनुबंध में एक बहिष्करण खंड। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे में गाड़ी चलाने की आवश्यकताओं को केवल शराब की सांद्रता की उपस्थिति के संदर्भ में साबित किया जा सकता है जो प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम है। यह 0.13 प्रतिशत बी. ए. सी. के बराबर है। वास्तव में, यह उल्लेखनीय है कि स्वीडन और चीन में यह 0.02 है।

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

102. जहाँ तक प्रकृति के किसी खंड में बीमाकर्ता द्वारा विवाद स्थापित करने की बात है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। , एक मामला जहां बीमाकर्ता आरोप लगाता है कि चालक शराब के बीमा के तहत वाहन चला रहा था, यह सब बहुत अच्छा है, अगर कोई आपराधिक मामला है और उसमें सबूत प्राप्त किया जाता है, जिससे पता चलता है कि चालक के पास 30 मिलीग्राम/100 मिली या उससे अधिक था। या दूसरे शब्दों में, यदि बी. ए. सी. स्तर 0.003 या उससे अधिक था। हम सोचेंगे कि ऐसे मामले में जहां श्वास परीक्षण का रक्त परीक्षण होता है, जो इंगित करता है कि कोई खपत नहीं है, निस्संदेह, बीमाकर्ता के लिए बहिष्करण का मामला स्थापित करना खुला नहीं होगा। बाचुभाई हसनल्ली कार्यानी (ऊपर) मामले में इस न्यायालय का निर्णय धारा 117 के तहत दिया गया था।

मोटर वाहन अधिनियम, 1939,1977 में इसके प्रतिस्थापन से पहले, और इसके अलावा इसने साक्षय को भी चालू कर दिया।

103. हालांकि, उन मामलों में, जहां कोई वैज्ञानिक सामग्री नहीं है, उपलब्ध परीक्षण परिणामों के रूप में, जैसा कि हमारे सामने मामला है, यह नहीं हो सकता है

बीमाकर्ता को बहिष्करण के लिए एक मामला स्थापित करने से अक्षम करें। किसी मामले में प्राप्त होने वाली परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले में, जो एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जांच के दायरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक

उपभोक्ता, अधिनियम के तहत, केवल सेवा की सिद्ध कमी के आधार पर सफल हो सकता है। सेवा की कमी केवल अनुबंध की शर्तों और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे घेरने वाले कानून के संदर्भ में उत्पन्न होगी। यदि कमी स्थापित नहीं होती है, तो अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को विफल होना चाहिए।

104. इस संबंध में, हम सोचेंगे कि इस मामले में शामिल प्रकृति के बहिष्करण को देखा जाना चाहिए। हम सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं।

इस मामले में, इस आधार पर कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति ने शराब का सेवन किया था। हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि उसने शराब पीने के बाद कार चलाई थी। यह सच है कि सटीक मात्रा, जिसका उसने सेवन किया था, आने वाली नहीं है। एफ़. आई. आर. की सामग्री और एम. एल. सी. को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य कि उन्हें शराब की बदबू आ रही थी, निर्विवाद है।

उनके साथ पीडब्लू 3 भी था। पीडब्लू3 से भी शराब की बदबू आती थी। यह घटना

यह 22.12.2007 के शुरुआती घंटों में हुआ था। यह नई दिल्ली में हुआ। यह और स्पष्ट है कि यह इंडिया गेट के निकट हुआ था। चालक और यात्री बीस वर्ष के थे। दिन के उस समय, अर्थात। , शुरुआती घंटों में, किसी भी अचानक घटना के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना की किसी भी संभावना के संदर्भ के बिना पार्टियों के संस्करण की सराहना की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पार करने का प्रयास।

या एक जानवर, जिसके लिए वाहन की आवश्यकता थी, [2021] 14 एस. सी. आर. में शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दुर्घटना, जिस तरह से, एफ. आई. आर. द्वारा प्रकट की जाती है। प्रत्यर्थी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है। यह स्पष्ट है कि हम आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत दर्ज की गई सजा को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं कि वाहन को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया था। इसे प्रत्यर्थी के प्रस्तुत करने के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए मामला कि चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था और आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत भी मामला झूठा मामला था। इसके अलावा, अगर हम दुर्घटना की सटीक प्रकृति की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि शराब के सेवन से वाहन के चालक पर क्या प्रभाव पड़ा था। कार, जो निस्संदेह एक पोर्श है, जिसे हम मानते हैं,

एक बहुत शक्तिशाली इंजन है और भारी गति प्राप्त करने में सक्षम है, बताया जाता है कि नियंत्रण से बाहर हो गया है और इसके साथ एक विशाल बल पर मारा गया है सड़क का फुटपाथ। यह पलट गया। इसमें आग लग गई। वास्तव में, यह प्रतिवादी का मामला है कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे कुल नुकसान बताया गया था। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए आईं। हम इस बात

से अवगत हैं कि गति और इसका प्रभाव सड़क, यातायात और गति सीमा के सापेक्ष हो सकता है। एफ. आई. आर. में कार को 'बहुत तेजी से' चलाने का उल्लेख किया गया है। एक व्यक्ति शराब के प्रभाव में आए बिना जल्दबाजी और लापरवाही कर सकता है। साथ ही, शराब के प्रभाव में रहने से जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का कारण भी बन सकता है। वे नहीं हैं।

बेमेल।

105. यदि यह दुर्घटना के समय नाम के लायक किसी भी यातायात की असंभवता को ध्यान में रखता है, तो यह न्यायालय छूट नहीं देगा।

यद्यपि हम प्रत्यर्थी के साथ सहमत हो सकते हैं कि बहिष्करण खंड को दबाने के लिए मामला बनाना बीमाकर्ता का काम होगा, हम इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकते कि प्रत्यर्थी के अभिवचनों में या दुर्घटना को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्षय में कोई सामग्री नहीं है। हम इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दे सकते हैं कि राजधानी शहर की सड़कें, विशेष रूप से उस क्षेत्र की सड़कें, जहां दुर्घटना हुई थी, पर्याप्त रूप से चौड़ी हैं और फुटपाथ से टकराने वाला वाहन और कछुए को मोड़ना और आग पकड़ना, इस तथ्य के साथ ही इंगित करता है कि शराब का सेवन

जिसका सेवन ड्राइवर की सांस में समकालीन रूप से प्रकट होता है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि शराब ने भूमिका निभाई, जो दुर्भाग्य से, उत्पादन करने में सक्षम है। 106. जिन सिद्धांतों को संदर्भित किया गया है, उन्हें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

ए.

सबसे पहले, एमएलसी में, चालक के संबंध में, रिपोर्ट, अंतर अलिया, अल्कोहल (+) की गंध को इंगित करता है; कियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

उल्लेखनीय है कि सहयात्री के संबंध में भी यही रिपोर्ट है। चालक और यात्री दोनों अंदर थे।

बीस के दशक के अंत में;

अभ्यासी; यद्यपि मामला प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित किया गया था कि

चालक ने शराब का सेवन नहीं किया था, चालक ने अपने साक्षय (शपथ पत्र साक्षय) में यह भी नहीं कहा है कि उसने शराब का सेवन नहीं किया है, जैसा कि शिकायत में स्थापित विशिष्ट मामले में किया गया था। दूसरी ओर, वैकल्पिक मामला, जिसे स्थापित किया गया था कि वह शराब के प्रभाव में नहीं था,

अकेले पदच्युत कर दिया गया था। यह तब भी है जब प्रत्यर्थी ने प्रत्युत्तर शपथ पत्र में दोहराया था कि वाहन ने शराब या किसी अन्य का सेवन नहीं किया था

मादक पेय/दवा;

यहां तक कि एन. सी. डी. आर. सी. ने भी इस आधार पर कार्रवाई की है कि चालक ने कुछ शराब का सेवन किया था। इसलिए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अपीलार्थी ने यह स्थापित किया है कि चालक ने शराब का सेवन किया था और वाहन चला रहा था, जब

दुर्घटना हुई; शराब के सेवन की मात्रा के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। यह भी सच है कि शराब के सेवन के किसी भी अन्य प्रभाव के बारे में चालक और सह यात्री दोनों पर शराब की गंध के अलावा कोई सबूत नहीं है।

मोटर वाहनों की धारा 185 के तहत आवश्यकता अधिनियम को स्वयं के नुकसान के दावे में बीमा पॉलिसी के तहत शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह के दावे पर दुर्घटना की प्रकृति, यात्रा से पहले या उसके दौरान शराब पीने के साक्षय, चालक पर प्रभाव और पक्षों द्वारा स्थापित मामले के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू, जिसे दबाया जाता है, वह है, जिस तरह से दुर्घटना हुई थी। इस संबंध में, यह स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी मामले में, यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जो यह स्थापित कर सकती है कि चालक शराब के प्रभाव में था। शराब के प्रभाव में रहते हुए गाड़ी चलाना है

ड्राइविंग के रूप में समझा जाना चाहिए, जब [2021] 14 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

शराब का सेवन, या तो गाड़ी चलाने से पहले या गाड़ी चलाने के दौरान और दुर्घटना से पहले, जब चालक द्वारा शराब का सेवन प्रभावित करेगा

(प्रभाव) उनके संकाय और उनके ड्राइविंग कौशल। हम समझेंगे और मानेंगे कि इसका मतलब है कि पहले सेवन की गई शराब दुर्घटना का कारण थी या इसने दुर्घटना की घटना में योगदान दिया।

यह एक ऐसा मामला होगा जहां दुर्घटना होने के बावजूद भी चालक अपनी क्षमताओं के नियंत्रण में रहेगा। एफ. आई. आर. के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सामग्री (विशेष रूप से, संक्षिप्त कार्यवाही की प्रकृति में) है। सूचना दर्ज कराने वाले पुलिस अधिकारी ने विशेष रूप से कहा है कि कार को बहुत तेजी से चलाया जा रहा था। चालक ने अपनी मुख्य जाँच में दुर्घटना के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि कार या ब्रेक में कोई खराबी थी।

चालक ने अपराध स्वीकार कर लिया है और आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो जल्दबाजी या लापरवाही को दंडित करता है। गाड़ी चला रहे हैं। एक व्यक्ति, जो शराब के प्रभाव में नहीं है, उतावला और लापरवाह हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, जो शराब के प्रभाव में है, जल्दबाजी और लापरवाही भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वे पूरी तरह से असंगत नहीं हैं। दूसरी ओर, शराब के प्रभाव में होने से स्थिति बिगड़ जाती है।

जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की संभावना क्योंकि यह निकटवर्ती कारण हो सकता है। कार को लगभग 27 वर्षीय चालक चला रहा था। वास्तव में, उन्होंने और उनके साथी दोनों ने शराब का सेवन किया था। दुर्घटना तब हुई जब सड़क किसी भी यातायात से पूरी तरह से मुक्त होती (कोई मामला नहीं है) चाहे दुर्घटना किसी अन्य वाहन के किसी भी तरह से चलाए जाने या किसी व्यक्ति या पशु इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कारण हुई हो।

वी. पी. ए. आर. एल.

बेवरेज लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

सड़क पार करने का प्रयास करना या अन्यथा चालक का ध्यान भटकाना)। दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, यहां तक कि प्रतिवादी और चालक और उसके अनुसार साथी (पीडब्लू3), फिर भी हमें यह विश्वास करने के लिए कहा जाता है कि

चालक अपनी इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण में था। यदि राज्य आयोग, परिस्थितियों में, प्रतिवादी के कथन पर विश्वास करता है, तो संक्षिप्त कार्यवाही में, हम विश्वास करेंगे

कि एन. सी. डी. आर. सी. ने तर्क पर हस्तक्षेप करने में गलती की, जो

हम गलत पाते हैं।

107. संक्षिप्त कार्यवाही में जो उल्लेखनीय है, वह सड़क की चौड़ाई (इंडिया गेट, नई दिल्ली के पास एक सड़क) और

सबसे कम संभव यातायात, और बिना किसी बहाने के, भारी बल के साथ फुटपाथ पर टकराना, नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं होना, बिजली के खंभे से टकराना, बच्चों के पार्क की दीवार। प्रभाव इतना अधिक है कि इससे कार पलट गई और वाहन में आग लग गई। यह दुर्घटना अकथनीय है, अगर चालक को पीडब्लू 2 के रूप में माना जाए, जब उसने अपदस्थ किया था "मैं अपने पूरे होश में था और सक्षम था

दुर्घटना के समय कार पर पूर्ण नियंत्रण रखना "। यह अधिक संभावना है कि उसका पेय वास्तव में इसका कारण बना। तथ्यों पर, राज्य आयोग का दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। 108. चर्चा का

परिणाम यह है कि विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील

की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे